अप्रैल 2023

मूल्य : ₹ 22

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

पंचायती राज

हमारी पत्रिकाएँ

योजना
विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अँग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

कुरुक्षेत्र
ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अँग्रेज़ी)

आजकल
साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

बाल भारती
बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
https://bharatkosh.gov.in/Product/Product

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल		बाल भारती	
वर्ष	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ	साधारण डाक	ट्रैकिंग सुविधा के साथ
1	₹ 230	₹ 434	₹ 160	₹ 364

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल ऑडर या मनीआर्डर **'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय'** के पक्ष में **नई दिल्ली** में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजें। भेजने का पता है-
संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

अधिक जानकारी के लिए ईमेल करें- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- **फोन : 011-24367453** (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद सदस्यता शुरू होने में कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं। कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1 वर्ष के प्लान के तहत .... पत्रिका .... भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में) ....

पता : ....

.... ज़िला .... पिन ....

ईमेल .... मोबाइल नं. ....

डीडी/पीओ/एमओ सं. .... दिनांक .... सदस्यता सं. ....

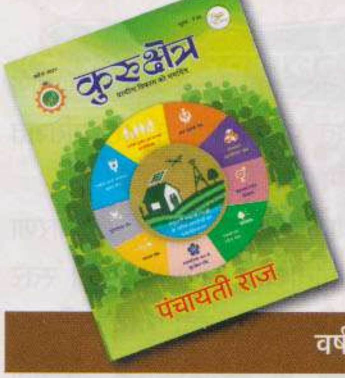

कुरुक्षेत्र

इस अंक में

वर्ष : 69 ★ मासिक अंक : 06 ★ पृष्ठ : 56 ★ चैत्र– वैशाख 1945 ★ अप्रैल 2023

वरिष्ठ संपादक : ललिता खुराना

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डी.के.सी. हृदयनाथ

आवरण : राजिन्द्र कुमार

सज्जा : मनोज कुमार

संपादकीय कार्यालय
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन,
सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110 0 03

ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in

@publicationsdivision

@DPD_India

@dpd_India

कुरुक्षेत्र सदस्यता शुल्क

पत्रिका ऑनलाइन खरीदने के लिए bharatkash.gov.in/product पर तथा ई–पुस्तकों के लिए Google play, Kobo या Amazon पर लॉग–इन करें।

वार्षिक साधारण डाक : ₹ 230

ट्रैकिंग सुविधा के साथ : ₹ 434

कुरुक्षेत्र की सदस्यता की जानकारी लेने, एजेंसी संबंधी सूचना तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें–

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तल,
सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003

नोट : सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है।

पत्रिका न मिलने की शिकायत हेतु ई–मेल : pdjucir@gmail.com या दूरभाषः 011–24367453 पर संपर्क करें।

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कॅरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय–वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण 5
–गिरिराज सिंह

ई-ग्रामस्वराज 10
–इशिता जी त्रिपाठी

समावेशी विकास के लिए स्मार्ट गाँव 14
–डॉ. हरवीन कौर

गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए एसडीजी संकेतक 20
–डॉ. सुदीप कुमावत

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना 24
–सत्येन्द्र प्रसाद सिंह

जल प्रबंधन : ग्राम पंचायतों की भूमिका अहम 30
–संतोष कुमार पाठक

महिला सशक्तीकरण की वाहक ग्राम पंचायतें 36
–अरविंद कुमार मिश्रा

पंचायती राज और मानवीय विकास 41
–देबव्रत सामंता

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन 46
–गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन' एवं डॉ. शम्भूनाथ सिंह

सभी की सेहत के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र 51
–डॉ मनीषा वर्मा

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011–24367260
दिल्ली	हाल सं. 196, पुराना सचिवालय	110054	011–23890205
नवी मुंबई	701, सी-विंग, सातवीं मंज़िल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022–27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033–22488030
चेन्नई	'ए विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044–24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नई गवर्नमेंट प्रेस के निकट	695001	0471–2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवादिगुड़ा सिकंदराबाद	500080	040–27535383
बैंगलुरु	फर्स्ट फ्लोर, 'एफ विंग, केंद्रीय सदर, कोरामंगला	560034	080–25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612–2683407
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-ए, अलीगंज	226024	0522–2325455
अहमदाबाद	4-सी, नैप्च्युन टॉवर, चौथी मंज़िल, एचपी पेट्रोल पंप के निकट, नेहरू ब्रिज कार्नर, आश्रम रोड, अहमदाबाद	380009	079–26588669

संपादकीय

6.50 लाख से अधिक गाँवों में बसी 65 प्रतिशत आबादी वाले हमारे देश के विकास का मुख्य एजेंडा 'ग्रामीण विकास' है। लगभग 2.6 लाख पंचायतों में इस समय करीब 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46 प्रतिशत महिलाएँ हैं जो ग्रामीण भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की अद्‌भुत मिसाल है।

24 अप्रैल, 1993 को भारत के संविधान के 73वें संशोधन ने त्रि-स्तरीय स्थानीय स्वशासन की अवधारणा को मूर्त रूप देकर ग्रामीणों के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण का मार्ग सुनिश्चित किया। ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की नींव को मज़बूत करने की दिशा में यह फैसला मील का पत्थर साबित हुआ। वहीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटे आरक्षित किए जानें से महिलाओं के सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसके परिणाम इतने क्रांतिकारी रहे कि उनसे उत्साहित होकर आज देश के 21 राज्य पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ा कर 50 प्रतिशत कर चुके हैं। तत्पश्चात पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी, कुशल एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 27 मई, 2004 को पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई।

देश को राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ग्रामीण भारत का विकास ज़रूरी है; पंचायती राज मंत्रालय इसी दिशा में प्रयासरत है और पंचायती राज संस्थाओं को पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए, मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में समाहित किया गया है, ताकि पंचायतें उन्हीं लक्ष्यों की रूपरेखा पर कार्य कर विकासात्मक योजना तैयार करें।

पंचायतों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को सामने लाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए एलएसडीजी के 9 विषयों के साथ संरेखित किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सभी ग्राम पंचायतों की विषयवार रैंकिंग और उनकी ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर ब्लॉक पंचायतों और ज़िला पंचायतों को भी सक्षम बनाएंगे।

पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मज़बूत करने के उद्देश्य से 24 अप्रैल, 2020 को ई-ग्रामस्वराज योजना को लॉन्च किया गया। पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए और खातों के रखरखाव में पारदर्शिता एवं जवाबदेही बढ़ाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया गया है। ई-ग्राम स्वराज को अब सरकारी ई-मार्केट प्लेस 'जैम' के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि देश की ढाई लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की हैं। यही नहीं बल्कि 2.78 लाख पंचायतें जीएसपीआई से जुड़ चुकी हैं जिसमें 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतें ई-जीएसपीआई का उपयोग करके सफलतापूर्वक ऑनलाइन लेनदेन भी कर रही हैं।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँवों में आबादी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके घरों का अभिलेख का अधिकार प्रदान करने एवं संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के लिए 'स्वामित्व योजना' को लागू किया जा रहा है। ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड बनने से कर्ज़ के लेन-देन और संपत्ति की खरीद-फरोख्त में आसानी होगी।

संक्षेप में, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आज देश में हर दूसरे गाँव में सफलता की नित नई कहानियाँ लिखी जा रही हैं। आज पंचायतों में महिलाओं सहित सभी कमज़ोर वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलने से वे राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं जिसने गाँवों की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल दी है। निसंदेह निकट भविष्य में 'स्मार्ट' गाँवों की तर्ज पर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हमारे गाँवों की विकास गाथा एक नया इतिहास रचेगी।

पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तीकरण

-गिरिराज सिंह

पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में मैप किया गया है, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संसाधनों का उपयोग करके लक्षित विकासात्मक योजना तैयार की जा सके।

पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र का आधार स्तंभ हैं। इसे सशक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अनेक प्रयास किए हैं तथा आने वाले समय में अमृतकाल के दौरान और भी सशक्त प्रयास किए जाएंगे। अब तक उठाए गए कदमों में से एक प्रमुख कदम पेसा (PESA) अधिनियम को लागू कराया जाना है। इस अधिनियम के माध्यम से एक ऐसी सशक्त व्यवस्था कायम होती है, जिसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्यरत पारंपरिक पंचायतों को उनके नियम-कानून के अनुरूप ही मान्यता मिलती है। हमारी सरकार के निरंतर किए गए प्रयासों से अधिकांश राज्यों ने इसे अपने यहाँ लागू किया है तथा जिन एक-दो राज्यों में इसे लागू किया जाना शेष है, उन राज्यों को भी हम लगातार इसे लागू करने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं।

लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार हैं।
ई-मेल : min-mopr@gov.in

माननीय प्रधानमंत्री की संकल्पना है कि हमें पंचायतों को सशक्त बनाने के साथ-साथ सेल्फ सस्टेनेबल भी बनाना है। हमारी कोशिश है कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी ज़रूरतों का स्वयं आकलन कर जन-भागीदारी के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि के साथ-साथ राजस्व के अपने स्रोत विकसित कर उस निधि से पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कर प्रगति के पथ पर सतत आगे बढ़ें। जनभागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ग्रामसभाओं को सशक्त करना अर्थात ग्रामसभाओं में जनता की सक्रिय एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है। वर्ष भर में कम से कम 6 ग्रामसभाओं का आयोजन हो, जो युवाओं, महिलाओं, बच्चों, किसानों आदि के समग्र उत्थान पर केंद्रित हो और इनसे संबंधित सभी प्रकार की योजनाओं की उक्त ग्रामसभा में चर्चा, परिचर्चा, योजनाओं का चयन और अनुमोदन आदि का कार्य किया जाए तथा इन्हीं ग्राम सभाओं में इन योजनाओं की नियमित समीक्षा भी हो।

केंद्र सरकार की यह निरंतर कोशिश है कि 73वें संविधान संशोधन के उपरांत पंचायती राज संस्थाओं को उन्हें आवंटित 29 विषयों के क्षेत्र में राज्यों द्वारा उन्हें न केवल अधिकार प्रदान किए जाएं, अपितु वास्तविक रूप से इसे कार्यरूप भी दिया जाए।

इस क्रम में कई राज्यों ने बेहतर प्रयास किए हैं। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर द्वारा इस दिशा में किए गए गंभीर प्रयास के लिए जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन, विशेष रूप से वहाँ के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य/केंद्रशासित प्रदेश भी आगे बढ़कर पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण के लिए ठोस प्रयास करें।

6.50 लाख गाँव और 65 फीसदी ग्रामीण आबादी वाले हमारे देश भारत के विकास का मुख्य एजेंडा ग्रामीण विकास है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था की वास्तुकला, जिसकी जड़ें हमारे देश के पुरातन इतिहास और संस्कृति में हैं, मुख्य रूप से इस एजेंडे को संबोधित करने के लिए तैयार की गई हैं। यह एजेंडा 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली लगभग 2.6 लाख पंचायतों, जिनमें से लगभग 46 प्रतिशत महिलाएं हैं, में रहने वाले ग्रामीणों का सामाजिक और राजनीतिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करके ज़मीनी-स्तर पर लोकतंत्र की नींव को भी मज़बूत करता है।

पंचायती राज प्रणाली को भारत के संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों को शक्तियों एवं दायित्वों का हस्तांतरण करने के लिए इस संशोधन की अगली कड़ी के रूप में भाग IX (अनुच्छेद 243) को जोड़ा गया। यह समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति (एसटी), अनुसूचित जाति (एससी)एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को व्यापक प्रतिनिधित्व भी प्रदान करता है। संविधान के अनुच्छेद 243छ में कहा गया है कि पंचायतों को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना एवं उन्हें लागू करना चाहिए।

पंचायत मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है चूंकि 'स्थानीय सरकार' राज्य का विषय है। पंचायतों की स्थापना और संचालन संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से किया जाता है। राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को हस्तांतरण के लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उदाहरण के तौर पर निर्धारित 29 विषयों पर विचार करना है। 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास एजेंडे की एक वृहद् श्रृंखला शामिल है जिसमें कृषि, भूमि विकास, भू-सुधार, सूक्ष्म सिंचाई, जल प्रबंधन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज, लघु एवं कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया, घाट, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, बाजार एवं मेले, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सामुदायिक संपत्ति के रखरखाव को शामिल किया गया है।

पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली को स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं के अनुरूप (पीआरआई) प्रभावी, कुशल एवं पारदर्शी वाहक बनाने के उद्देश्य से 27 मई, 2004 को पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की गई थी।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का क्षमता निर्माण

चूंकि अब पंचायतों के माध्यम से काफी मात्रा में सार्वजनिक धन खर्च किया जा रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) एवं विभिन्न पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण अत्यधिक आवश्यक हो गया है। इस प्रयोजन के लिए पंचायती राज मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) को वित्तपोषित करने के लिए योजनाओं को लागू करता है। वर्तमान में मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू कर रहा है। वर्ष 2018-19 में इस योजना की शुरुआत से अब तक निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों सहित 1.42 करोड़ प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान 33 लाख से अधिक प्रतिभागी प्रशिक्षित किए गए हैं। पंचायतों के सशक्तीकरण के लिए आरजीएसए के अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मध्य 2149.09 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की गई, एवं वर्ष 2022-23 के मध्य 610.05 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)

चूंकि पंचायतों को अपनी विकासात्मक योजना को तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिदेशित किया गया है, पंचायती राज मंत्रालय विशेष अभियान, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के माध्यम से पंचायत विकास योजना तैयार करने पर जोर दे रहा है। वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान क्रमशः लगभग 2.51 लाख, 2.58 लाख एवं 2.28 लाख ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष निकायों ने अपनी जीपीडीपी तैयार की है।

पंचायती राज मंत्रालय का वर्तमान फोकस पीआरआई को पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है ताकि देश को राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके लिए पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाने की एक नई पहल की है। इसके अंतर्गत 17 सतत विकास लक्ष्यों को 9 विषयों में मैप किया गया है, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संसाधनों का उपयोग करके लक्षित विकासात्मक योजना तैयार की जा सके। वस्तुतः इसके पीछे 'संपूर्ण सरकार' एवं 'संपूर्ण समाज' का दृष्टिकोण है। ये 9 विषय हैं :

1. **गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त गाँव** : जिसका उद्देश्य गरीबों के आय स्तर में वृद्धि के रास्ते बनाना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और रोजगारोन्मुखी योजना जैसी मनरेगा के तहत पात्र लाभार्थियों को शामिल करना सुनिश्चित करना है।

2. **स्वस्थ गाँव** : आईसीडीएस आदि के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, 100 प्रतिशत टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, पोषण और प्रारंभिक बाल देखभाल के माध्यम से सभी के लिए स्वस्थ

जीवन और कल्याण सुनिश्चित करना।

3. बाल हितैषी गाँव : विद्यालय में शत-प्रतिशत नामांकन, ड्रापआउट अनुपात कम करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण, बालश्रम से मुक्त गाँव, बाल तस्करी पर रोक, बच्चों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ वातावरण निर्मित करना आदि।

4. जल पर्याप्त गाँव : हर घर में पीने योग्य पानी की पहुँच की सुविधा सुनिश्चित करना, गंदे पानी का उपचार एवं शुद्धिकरण, भूजल की कमी को रोकने के उपाय करना, आर्सेनिक संदूषण, वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण।

5. स्वच्छ एवं हरित गाँव : 100 प्रतिशत ओडीएफ गाँवों का लक्ष्य, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों में स्थानांतरण, हरित आवरण में वृद्धि करना, जैव विविधता का संरक्षण आदि।

6. आत्मनिर्भर अधोसंरचना से युक्त गाँव : गाँव में मूलभूत अधोसंरचना उपलब्ध कराने का उद्देश्य जिसमें ग्राम पंचायत भवन, आँगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक सेवा केंद्र (सीएससी), स्कूलों में बालकों एवं बालिकाओं के लिए पृथक जलयुक्त शौचालय, बारहमासी सड़कें, सौर ऊर्जा चालित स्ट्रीट लाइट आदि शामिल हैं।

7. सामाजिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव : गरीबीरेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले, अक्षम, निराश्रित, सामूहिक रूप से वंचित समूह के जीवन-स्तर में सुधार लाना एवं पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, दिव्यांग जनों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।

8. सुशासित गाँव : बेहतर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए वार्ड, महिला, बाल और ग्रामसभा का नियमित आयोजन, कार्यात्मक स्थायी समितियां होना, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में एसएचजी और ग्राम समितियों की भागीदारी, जीपीडीपी की तैयारी के लिए विभिन्न संस्थानों, हितधारकों के बीच समन्वय और अभिसरण शामिल है।

9. महिला हितैषी गाँव : गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, शत-प्रतिशत एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर, महिलाओं एवं बालिकाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी लाना, महिलाओं की गाँव की सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक गतिविधियों में सहभागिता को शामिल किया गया है।

वित्त आयोग के वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान

पंचायतें ग्रामीण आबादी को बुनियादी सेवाएं, जैसे कि पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता का रखरखाव और ओडीएफ स्थिति आदि प्रदान करती हैं। वे जलस्रोत, कुएं, टैंक एवं पंप, स्ट्रीट लाइट, ड्रेनेज व्यवस्था आदि का रखरखाव भी करती हैं। ऐसी गतिविधियों को करने के लिए पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से धन प्राप्त होता है। पंद्रहवें वित्त आयोग ने अवार्ड अवधि 2021-2026 के लिए 2,36,805.00 करोड़ रुपये की अनुशंसा की है। राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों से भी पंचायतें सालाना लगभग 30,000 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करती हैं। विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से यह अनुमान है कि प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपये से 2 लाख करोड़ रुपये पंचायतों को पहुँचते हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

पंचायतों एवं राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए उनके अच्छे काम की मान्यता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों और राज्यों/संघशासित प्रदेशों को पंचायतों की प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन सहित पुरस्कार दिए जाते हैं।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को वर्ष 2022 से संशोधित करते हुए एलएसडीजी के 9 विषयों के साथ संरेखित किया गया है। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सभी ग्राम पंचायतों की विषयवार रैंकिंग और उनकी ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन के आधार पर ब्लॉक पंचायतों और ज़िला पंचायतों को भी सक्षम बनाएंगे। इससे पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रत्येक एलएसडीजी विषय के तहत उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए एक आधार रेखा तैयार होगी और वर्ष 2030 तक क्रमिक योजना के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से एसडीजी हासिल करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सकेगा।

वर्ष 2022-23 में इस संशोधित विषयगत पुरस्कार प्रतियोगिता में देश की 2 लाख से अधिक पंचायतों ने भाग लिया है। पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एलएसडीजी के एक विषय में प्रदर्शन) तथा नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार (एलएसडीजी के सभी 9 विषयों में सकल प्रदर्शन) की श्रेणियों के तहत प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं शून्य कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में काम करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य विशेष श्रेणियों के पुरस्कारों की स्थापना भी की गई है।

ई-गवर्नेंस एवं आईसीटी पहल

वर्ष 2020 में, पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस को मज़बूत करने और अंततः ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में शामिल जटिलताओं को कम करने के लिए, एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा आवेदन 'ई-ग्राम स्वराज' 24 अप्रैल, 2020 को लॉन्च किया गया था। खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने ई-ग्राम स्वराज को पीएफएमएस के साथ एकीकृत

किया है। ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस (ईजीएसपीआई) ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए अपनी तरह का अनूठा अनुप्रयोग है। इसमें सभी लेन-देन सुरक्षित हैं, और भुगतान वाउचर 2 फेक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग करके बनाए गए हैं।

देश की 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों या समकक्ष निकायों ने वर्ष 2022-23 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार की है। वहीं 2.78 लाख पंचायतें जीएसपीआई से जुड़ी हैं, जिसमें 90% ग्राम पंचायतें ई-जीएसपीआई का उपयोग करके सफलतापूर्वक ऑनलाइन लेनदेन कर रही हैं। 1.2 लाख करोड़ रुपये का लेनदेन ई-जीएसपीआई के माध्यम से पंचायतों द्वारा किया गया है जो कि पारदर्शिता और कुशल वित्तीय लेनदेन की दिशा में एक सराहनीय उपलब्धि है।

अब, ई-ग्राम स्वराज को सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जैम) के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है, ताकि पंचायतों को निर्बाध खरीद और लेखा अनुभव प्राप्त हो सके। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट का 10 राज्यों द्वारा परीक्षण किया जा चुका है। मंत्रालय ई-ग्राम स्वराज पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची दिखाने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी प्रदान कर रहा है। आज तक, लगभग 17 करोड़ लाभार्थियों के विवरण के साथ 7 मंत्रालयों और 18 योजनाओं के डेटा को पोर्ट किया जा चुका है।

ऑडिट ऑनलाइन एप्लिकेशन को पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देने और ऑडिट में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। ऑडिट अवधि 2019-20 के लिए, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर, सभी राज्यों ने 25 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के ऑडिट का लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऑडिट अवधि 2020-21 के लिए लगभग 1.95 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

सिटीज़न चार्टर अभियान

मंत्रालय ने "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार- जन सेवाएं हमारे द्वार" के तत्वावधान में 01 जुलाई से 30 सितंबर, 2021 तक सिटीज़न चार्टर अभियान चलाया। इसका उद्देश्य पंचायतों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना है। अब तक, 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने सिटीज़न चार्टर को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में फैली 952 सेवाओं की पेशकश की गई है, जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, लोक कल्याण, रोजगार आदि शामिल हैं।

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी)

सीएससी का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम पंचायतों में सभी डिजिटल सेवाओं के वितरण के लिए एकल पहुँच बिंदु के रूप में कार्य करना और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। आज की तारीख में लगभग 52,409 सीएससी को पंचायत भवनों के साथ सह-स्थित किया गया है।

स्वामित्व योजना

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गाँवों में आबादी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके घरों का अभिलेख का अधिकार प्रदान करने एवं संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने के

अमृतकाल के दौरान हम क्या हासिल करना चाहते हैं?

- जीवंत ग्रामसभा जो कि 'ग्राम स्वराज' और 'जनता को शक्ति' के सपनों को साकार करेगी।
- आवश्यक सेवाएं प्रदान करने और सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए राज्यों के माध्यम से पंचायतों को निधियों, कार्यों और कार्यकर्ताओं (3एफ)* का पर्याप्त हस्तांतरण।
- सभी पंचायतों के लिए पंचायत सचिवालय एवं ग्राम सचिवालय का प्रावधान तथा पंचायत सचिवालय एवं ग्राम सचिवालय में लाइन विभागों की उपस्थिति।
- विभिन्न विकास कार्यों को करने में सक्षम होने के लिए बाज़ार उधार सहित पंचायतों को विभिन्न वित्तीय साधन सुनिश्चित करना।
- सतत विकास लक्ष्यों (एसजीडी) को प्राप्त करने की दृष्टि से ग्राम पंचायतों की वैधानिक स्थायी समितियों का सुदृढ़ीकरण।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना और अपने नागरिकों को प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए पंचायतों को नए युग की स्थानीय स्व-सरकार के रूप में बदलना जिससे जीवन की आसानी और जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
- ग्राम पंचायतों के लिए मास्टर स्थानिक योजना जिसमें कृषि, आवास, बाज़ार, पार्क, जल निकाय, उद्योग, बैंक, पोस्ट ऑफिस, आंगनवाड़ी, पीएचसी, स्कूल आदि जैसे संस्थागत क्षेत्रों के लिए स्पष्ट रूप से सीमांकन हो, ताकि शहरों की तर्ज पर गाँवों का भी विकास हो सके।
- ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व के पर्याप्त स्वयं के राजस्व स्रोत (ओएसआर)।
- ग्राम पंचायतों के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया के लिए रूपरेखा तैयार करती है।
- ग्राम ऊर्जा स्वराज के माध्यम से गाँवों का ऊर्जा सशक्तीकरण।

*3Fs-Funds, Functions & Functionaries

लिए स्वामित्व योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में संशोधित प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) को लागू किया गया है। 1 मार्च, 2023 की स्थिति में 2.32 लाख गाँवों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन और दीव केंद्रशासित प्रदेशो में तथा मध्य प्रदेश राज्य में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। अब तक लगभग 70 हज़ार गाँवों के 1.20 करोड़ संपत्ति कार्ड बन चुके हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा के सभी बसे हुए गाँवों के संपत्ति कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। संपत्ति कार्ड के माध्यम से ग्रामीणों को प्राप्त हो रहे रिकार्ड के अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के मुद्रीकरण में एक बड़ा गेमचेंजर साबित होने जा रहे हैं। साथ ही, स्वामित्व योजना के माध्यम से पंचायतें अपने स्वयं के राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के प्रयास में निकट भविष्य में संपत्ति कर का आकलन और संग्रह करने में सक्षम बन सकेंगी।

सोशल मीडिया गतिविधियाँ

पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए विभिन्न माध्यमों से मीडिया गतिविधियां बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। प्रभावी संचार प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण आउटरीच को और बढ़ाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय देश भर में प्रमुख लक्षित क्षेत्रों- पंचायतों के साथ दो-तरफा संचार की सुविधा के लिए विभिन्न सोशल मीडिया खातों का संचालन करता है। इस समय मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर 650 से अधिक वीडियो उपलब्ध हैं (@MinistryOfPanchayatiRaj)। मंत्रालय ट्वीटर (@mopr_goi) एवं फेसबुक (@ MinistryOfPanchayatiRaj) पर भी सक्रिय है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रकाशित ट्वीट, पोस्ट, वीडियो पर औसत प्रभाव क्रमशः 7.72 लाख, 7.27 लाख और 1.12 लाख से अधिक है।

पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तीकरण एवं आत्मनिर्भरता हेतु अपनी योजनाओं तथा अन्य मंत्रालयों की योजनाओं का कनवर्जेंस कराकर राज्यों के साथ मिलकर, स्थानीय जन प्रतिनिधियों के नेतृत्व में, सक्रिय जनभागीदारी से अपने लक्ष्य की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है तथा आज़ादी के इस अमृतकाल में हम शिक्षायुक्त पंचायत, रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छ पंचायत, हरित पंचायत एवं आत्मनिर्भर पंचायत आदि की दिशा में त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं और क्रमिक रूप से हम इन लक्ष्यों को भी हासिल करेंगे तथा माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाएंगे। ❑

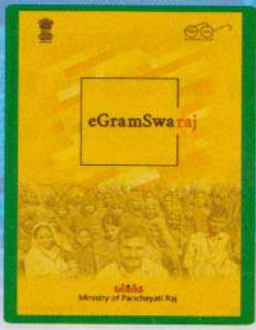

ई-ग्रामस्वराज

-इशिता जी त्रिपाठी

पंचायती राज संस्थाओं में ई-शासन से सामुदायिक विकास के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को सुधारने और उन्हें फिर से परिभाषित करने में मदद मिल सकती है। इस संदर्भ में ई-ग्रामस्वराज 'न्यूनतम नियंत्रण और अधिकतम शासन' की बेहतरीन मिसाल है।

मौजूदा समय की सूचना प्रौद्योगिकी और संचार शासन को मजबूत बनाने में मददगार हैं। लिहाजा, विश्व भर के देश इलेक्ट्रॉनिक शासन की प्रक्रियाओं और प्रथाओं को अपना रहे हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की इकाइयां- ग्राम पंचायतें भी पीछे नहीं हैं। पंचायतों से उम्मीद की जाती है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक सेवाओं को समय पर तथा निर्बाध और किफायती ढंग से लाभार्थियों के घरों तक पहुँचाएंगी। भारतीय संविधान में पंचायती राज के तीन स्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। ग्राम, जिला और मध्यवर्ती स्तर की पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 243जी के तहत सौंपे गए कार्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से करना होता है। उद्देश्य यह है कि योजना निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर का दृष्टिकोण अपनाते हुए आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय कर सामुदायिक स्तर पर गतिविधियों के क्रियान्वयन के जरिए अधिकतम जन-कल्याण के वृहद् लक्ष्य को हासिल किया जाए।

1992 में 73वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में कुछ अनिवार्य प्रावधानों को शामिल किया गया। इनका उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सशक्तीकरण था ताकि वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में प्रभावी ढंग से काम कर सकें। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और ज़िम्मेदारियों को परिभाषित किया गया। इसमें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया। साथ ही, कर लगाने की शक्तियों तथा पंचायतों के खातों के प्रतिपालन और उनकी जांच के बारे में भी प्रावधान किए गए। पंचायतों को अपने विकास और स्वावलंबन के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 गतिविधियों से संबंधित योजनाओं को लागू करना होता है।

पंचायतें और ई-शासन

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक स्तर पर चुस्त और दुरुस्त प्रशासन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। इस काम में 'न्यूनतम नियंत्रण और अधिकतम शासन' का मंत्र काफी उपयोगी साबित हुआ है। इस सिलसिले में, सामुदायिक स्तर की गतिविधियों के प्रशासन में ई-शासन समेत शासन की उन्नत प्रणालियों को अपनाना महत्वपूर्ण है। पंचायती राज संस्थाओं में ई-शासन से सामुदायिक विकास के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और प्रौद्योगिकीय पहलुओं को सुधारने और उन्हें फिर से परिभाषित करने में मदद मिल सकती है। इस संदर्भ में ई-ग्रामस्वराज 'न्यूनतम नियंत्रण और अधिकतम शासन' की बेहतरीन मिसाल है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्रांति पर आधारित ई-ग्रामस्वराज प्रभावी विकेंद्रीकरण, सार्वजनिक सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले धन की जवाबदेही के संवर्धन, दुर्लभ संसाधनों के अधिकतम उपयोग तथा स्थानीय शासन की प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के कई लक्ष्यों को पूरा करता है।

ई-ग्रामस्वराज के ज़रिए उत्तम शासन

स्वशासन का जिक्र प्राचीन यूनान की राजधानी एथेंस के इतिहास तक में मिलता है। कई देशों ने स्थानीय निकायों के जरिए शासन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं ताकि सेवाओं को

लेखिका भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी है; वर्तमान में विकास आयुक्त, एमएसएमई, भारत सरकार के कार्यालय में अतिरिक्त विकास आयुक्त हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं। ई-मेल : igtripathy@gmail.com

लाभार्थियों के घरों तक पहुँचाया जा सके और सेवा आपूर्ति शृंखला बिचौलियों से मुक्त हो। स्थानीय स्वशासन के यूरोपीय घोषणापत्र में विकास को मज़बूत करने और उसकी निगरानी के लिए सदस्य देशों में स्थानीय और क्षेत्रीय लोकतंत्र की स्थिति का आकलन किया गया है। फ्रांस सरकार ने 1982 में एक कानून बनाया जिसके तहत निर्वाचित क्षेत्रीय परिषदों को अपने अधिकारियों का चुनाव करने की शक्ति दी गई। हमारे देश में भी 1935 में भारत सरकार के कानून में प्रांतों तक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के प्रावधान किए गए थे। इसके बाद बलवंत मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव और एलएम सिंघवी की अध्यक्षता वाली समितियों ने स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं का निर्माण सिर्फ स्थानीय क्षेत्रों की तरक्की के लिए नहीं है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि विकास संवहनीय हो। वास्तव में ये योजनाएं 2030 के संवहनीय विकास के लक्ष्यों से अभिन्न रूप से जुड़ी हैं। संवहनीय विकास के 17 लक्ष्यों को हासिल करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज मंत्रालय संवहनीय विकास लक्ष्यों के ग्राम पंचायतों में स्थानीयकरण के लिए राज्यों के साथ काम कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र ने उत्तम शासन की आठ विशेषताएं निर्धारित की हैं। उसके अनुसार सुशासन को सहभागी, सहमति आधारित, जवाबदेह, पारदर्शी, ज़िम्मेदार, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत और समावेशी तथा कानून के अनुरूप होना चाहिए। इस संदर्भ में, समुदाय को डिजिटल तौर पर समावेशी और समाज को सशक्त बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से की निर्बाध रूप से सूचनाओं और सेवाओं तक पहुँच और उनके आदान-प्रदान के ज़रिए नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। तभी वे सहभागी विकास प्रक्रिया में सफलतापूर्वक योगदान कर सकेंगे।

पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल, 2020 को कार्य-आधारित विस्तृत एप्लीकेशन ई-ग्रामस्वराज की शुरुआत की। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू किए गए इस ऐप का उद्देश्य पंचायतों का डिजिटल सुदृढ़ीकरण, निचले स्तर पर शासन में सुधार, ग्रामीणों का सशक्तीकरण तथा पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। इस ऐप के ज़रिए ग्राम पंचायतों के कार्यों की प्रभावी ढंग से निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। ग्राम पंचायतें इस पर अपनी विकास योजनाओं तथा वित्तीय और भौतिक प्रगति की रिपोर्टों को अपलोड कर सकती हैं। सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) से जुड़े इस ऐप के ज़रिए माल विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को ऑनलाइन भुगतान भी किया जा सकता है। ई-ग्रामस्वराज के पीएफएमएस से जुड़े होने से इसके ज़रिए ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की आसान रिपोर्टिंग और समय पर निगरानी संभव है। यह योजना निर्माण, बजट निर्धारण, लेखांकन, निगरानी और संपदा प्रबंधन जैसे पंचायतों के सभी कार्यों के लिए सर्व-समावेशी एकल मंच है।

ई-ग्रामस्वराज की प्रगति

प्रौद्योगिकी तेजी से पंचायती राज संस्थाओं की प्रशासनिक कार्यकुशलता की बुनियाद बनती जा रही है। भारत में कुल 662841 गाँवों के लिए 271770 ग्राम पंचायतें/ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में 05 फरवरी, 2023 तक और 2021-22 में 2.56 लाख ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) अपलोड की गईं। वित्त वर्ष 2020-21 में अपलोड की गई जीपीडीपी की संख्या 2.43 लाख थी। ग्राम पंचायतों की अपलोड की गई विकास योजनाओं तथा निर्धारित और पूर्ण गतिविधियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा तालिका-1 में दिया गया है।

कोविड-19 की वैश्विक महामारी के दौरान यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो गया कि ऑनलाइन प्रणाली को अपनाना निश्चित तौर पर संभव और कुछ खास स्थितियों में ज़रूरी है। पंचायती राज मंत्रालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पंचायतों के खातों की ऑनलाइन ऑडिटिंग के लिए एक ऐप शुरू किया है। वेबसाइट

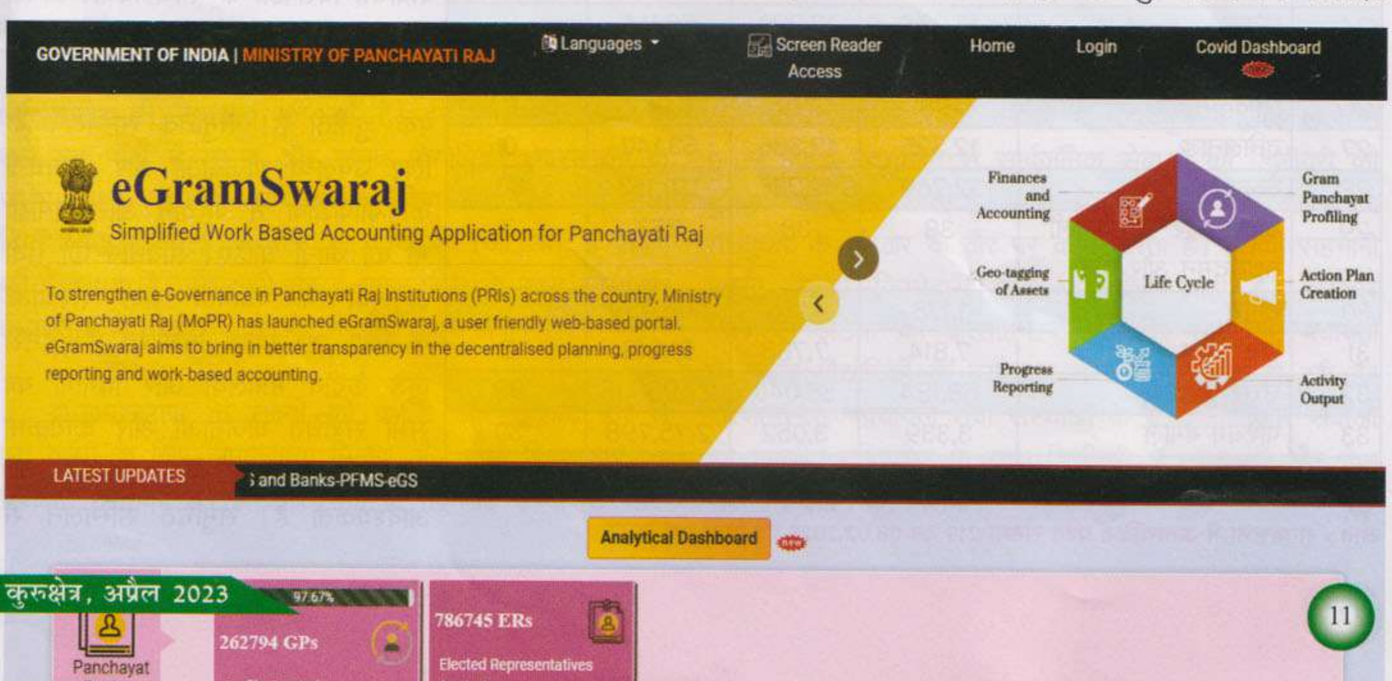

तालिका-1 : ग्राम पंचायत विकास योजना का वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार ब्यौरा (05.02.2023 तक)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पारंपरिक स्थानीय निकायों समेत कुल ग्राम पंचायतें	अपलोड की गई जीपीडीपी	निर्धारित गतिविधियां	पूर्ण गतिविधियां
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	70	70	5,701	0
2	आंध्र प्रदेश	13,325	13,323	1,53,744	0
3	अरुणाचल प्रदेश	2,108	1,955	11,029	0
4	असम	2,663	2,191	22,491	0
5	बिहार	8,174	8,067	4,26,351	74
6	छत्तीसगढ़	11,659	11,646	2,39,999	26
7	गोवा	191	190	4,648	0
8	गुजरात	14,365	14,200	1,40,899	0
9	हरियाणा	6,229	6,225	42,132	63
10	हिमाचल प्रदेश	3,615	3,602	42,706	6
11	जम्मू कश्मीर	4,291	4,289	67,439	0
12	झारखंड	4,345	4,333	1,58,982	4
13	कर्नाटक	5,958	5,789	1,93,892	14
14	केरल	941	941	23,696	7
15	लद्दाख	193	193	4,059	0
16	लक्षद्वीप	10	0	0	0
17	मध्य प्रदेश	23,032	22,884	5,13,475	79
18	महाराष्ट्र	27,897	27,828	5,03,456	12
19	मणिपुर	3,812	758	28,782	0
20	मेघालय	6,811	0	0	0
21	मिज़ोरम	834	763	2,324	0
22	नगालैंड	1,292	0	0	0
23	ओडिशा	6,794	6,749	1,86,740	294
24	पंजाब	13,234	13,220	56,114	0
25	राजस्थान	11,303	11,302	5,59,112	239
26	सिक्किम	198	179	3,977	0
27	तमिलनाडु	12,525	12,386	63,140	0
28	तेलंगाना	12,769	12,756	1,71,153	30
29	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38	38	753	0
30	त्रिपुरा	1,178	1,176	1,06,039	1
31	उत्तराखंड	7,814	7,783	91,818	5
32	उत्तर प्रदेश	58,184	58,040	27,95,415	98
33	पश्चिम बंगाल	3,339	3,052	2,75,798	30
कुल		2,69,191	2,55,928	68,95,864	982

स्रोत : राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 719 का 08.02.2023 को दिया गया उत्तर

https://auditonline.gov.in के ज़रिए ऑडिट रिकॉर्डों का रखरखाव, ऑडिट जांच-पड़ताल और स्थानीय ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना संभव है। पंचायतें राज्य का विषय हैं और उनके संदर्भ में केंद्र सरकार की भूमिका राज्यों के प्रयासों में मददगार है।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और 2022-23 में लागू उसके परिमार्जित स्वरूप के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहायता करती है। वह सर्वश्रेष्ठ कामकाज करने वाली पंचायतों को वित्तीय प्रोत्साहन भी देती है। ई-पंचायतों पर मिशन परियोजनाओं के ज़रिए वह पंचायती राज संस्थाओं को ज़्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावशाली बनाने का प्रयास कर रही है।

चुनौतियों का अवसरों में परिवर्तन

संविधान में ग्राम पंचायतों को समुदाय के पास उपलब्ध संसाधनों की जांच और समीक्षा कर उसके अनुरूप आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए जीपीडीपी तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। जीपीडीपी विस्तृत होनी चाहिए। वह सहभागिता पर आधारित हो तथा उसमें समुदाय और खासतौर से ग्रामसभा को शामिल किया जाना चाहिए। संबंधित विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद योजना का सही ढंग से प्रलेखन सुनिश्चित करना पंचायतों के सामने एक चुनौती है। समुचित सम्मिलन के लिए उपलब्ध योजनाओं और संसाधनों की जीपीडीपी में पहचान और समीक्षा भी की जानी चाहिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 29 विषय निर्धारित हैं। इनसे जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों का सभी संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों से सम्मिलन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। समुचित सम्मिलन से

यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पंचायतें सरकारी योजनाओं और अभियानों के निचले स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किए जाने पर ग्राम पंचायतें अपने कार्य निर्बाध ढंग से कर सकेंगी। देश भर की 2,71,770 ग्राम पंचायतों में से 51,508 के पास अपना भवन नहीं है। पाँच इंटरनेट कनेक्शन की उपलब्धता ई-ग्रामस्वराज के लिए बुनियादी आवश्यकता है। उत्पाद-परिणाम निगरानी फ्रेमवर्क ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर/रेडियो/उपग्रह के ज़रिए उच्च गति ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लक्ष्य जैसे पैमानों का लेखा-जोखा रखता है। वित्त वर्ष 2021-22 में 20000, 2022-23 में 22000 और 2023-24 में 17500 ग्राम पंचायतों को उच्च गति ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ग्रामीणों को डिजिटल तौर-तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना अपने आप में एक चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। सामग्री की उपलब्धता, सूचना सुरक्षा और निजता तथा एकीकृत सेवा डिलीवरी से संबंधित मसलों का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सभी राज्यों में पंचायतों तक शक्तियों के विकेंद्रीकरण में एकरूपता होनी चाहिए। समुचित विकेंद्रीकरण अंतिम छोर तक धन की पर्याप्त और समयोचित उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए पंचायत की आखिरी इकाई तक संसाधन के प्रवाह को सुचारू बनाना सरकार की ई-पहलकदमियों के लिए मददगार होगा।

देश में ई-शासन के प्रसार के लिए सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी) की शुरुआत की गई है। हर सीएससी कम-से-कम छह गाँवों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, दूरचिकित्सा, बैंकिंग और वित्त तथा अन्य निजी सेवाओं जैसी सरकार से नागरिक (जी2सी) ई-सेवाएं मुहैया कराता है। सीएससी का ई-ग्रामस्वराज के साथ सम्मिलन ई-शासन की दिशा में एक और मज़बूत कदम होगा।

निष्कर्ष

ई-ग्रामस्वराज के लक्ष्यों को प्रभावी और कुशल ढंग से पूरा करने के लिए जागरूकता निर्माण और सभी हितधारकों का प्रशिक्षण अनिवार्य है। ई-ग्रामस्वराज के गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जीईएम) के साथ पूर्ण एकीकरण के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। ई-ग्रामस्वराज निचले स्तर तक पहुँच कर ग्रामीण भारत में परिवर्तन लाने के साथ ही ई-शासन की बुनियाद को मजबूत कर रहा है। वह प्रभावी विकेंद्रीकरण के नए मानदंड निर्धारित कर रहा है। इस समूची प्रणाली को मज़बूत और समय की मांग के अनुरूप खुद में बदलाव लाने के लिए गतिशील बनाने में हितधारकों से नियमित फीडबैक ज़रूरी है। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की सफलता गतिविधियों की सटीक पहचान, सहभागी दृष्टिकोण और प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर है। इनकी सफलता के लिए सभी संबंधित विभागों के बीच तालमेल की ज़रूरत है।

लोकतंत्र की बुनियाद होने के नाते 'स्वशासन' विश्व के सबसे बड़े जनतंत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ग्राम स्वराज या स्वशासन आत्मनिर्भरता का अभिन्न अंग है और ई-ग्रामस्वराज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। वह स्थानीय स्वशासन के अंदरूनी और बाहरी कामकाज के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम है। ई-स्वशासन से सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी की गुणवत्ता में सुधार आता है। साथ ही, यह शासन के कायाकल्प में सुधार के औज़ार के तौर पर काम करता है। इसकी सहभागी प्रकृति ज़्यादा ज़िम्मेदारी और जवाबदेही लाती है। सरकार डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही, पंचायतों में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में तेजी से वृद्धि हो रही है। परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज और सेवाओं की मानवीय दृष्टिकोण के साथ डिलीवरी में लाभकारी और तेज़ परिवर्तन देखने को मिलेगा। ❑

समावेशी विकास के लिए स्मार्ट गाँव

-डॉ. हरवीन कौर

तकनीक और नवाचार के साथ गाँव रोज़गार और उद्यमिता के केंद्र बनें, इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को अगले कुछ दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाए। यह लक्ष्य जनभागीदारी और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली से ही हासिल किया जा सकता है।

आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता, ईज़ ऑफ़ लीविंग तथा टिकाऊ विकास की बात हो रही है। यह मानवीय जीवन के साथ हमारे पर्यावरणीय विकास की पहली शर्त है। इसके लिए ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को जनभागीदारी की नींव पर निवेश, नवाचार और तकनीक के ज़रिए मज़बूती प्रदान करनी होगी। सामुदायिक प्रयासों से पंचायती राज व्यवस्था के ज़रिए कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इसे जम्मू एवं कश्मीर की पल्ली पंचायत के ज़रिए दुनिया देख रही है। पल्ली पंचायत में हर व्यक्ति को पक्का मकान, नल से जल, शौचालय, उज्जवला गैस और अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली की बुनियादी सुविधा मिली है। यह देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। पंचायत ने किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, आधार, जनधन, अटल पेंशन योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन किया है।

शासन प्रक्रिया में जनता की सीधी भागीदारी ही पंचायती राज व्यवस्था की आत्मा है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के ज़रिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता से लेकर विकास का टिकाऊ मॉडल खड़ा करने में पंचायत सबसे अहम क्रियान्वयन इकाई हैं। आज़ादी की 75 वर्षों की यात्रा के साथ पंचायतें स्वयं निर्णय लेते हुए शासन व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण की सबसे अहम निकाय बन चुकी हैं।

गाँवों में पक्की सड़कें, ड्रोन की मदद से खेती, डिजिटल बोर्ड से बच्चों की पढ़ाई, कॉमन सर्विस सेंटर से लेकर पंचायत सचिवालय गुणवत्तापूर्ण विकास के बेहतरीन उदाहरण हैं। ग्राम पंचायतें देश के समग्र विकास की यात्रा में इंजन की तरह हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में 68.84 प्रतिशत आबादी रह रही है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्यों को पंचायत केंद्रित प्रयासों से ही हासिल किया जा सकता है।

लेखक पर्यावरण और संवहनीयता विशेषज्ञ हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : dr.harveen@outlook.com

पंचायतों के ज़रिए सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

आज समावेशी विकास के हर उपक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सितंबर 2015 में घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। भारत समेत पूरी दुनिया को 2030 तक इन एसडीजी लक्ष्यों के साथ विकास की अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना होगा। एसडीजी लक्ष्यों का उद्देश्य 'लीव नो वन बिहाइंड' (कोई भी पीछे न छूटे) की परिकल्पना पर आधारित है। भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद (ब्लॉक) और ज़िला पंचायत/परिषद के ज़रिए शासन व्यवस्था का न सिर्फ लोकतंत्रीकरण करती है बल्कि जन-जन की सहभागिता से विकास की व्यक्तिगत और सामूहिक उम्मीदों को पूरा करती है। देश में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 9 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) चिह्नित किए हैं जिनको केंद्र

में रखकर पंचायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना विकसित कर रही है। इससे देश में विकास के मानकों में शहर और गाँव के बीच अंतर कम हो रहा है।

ग्राम पंचायतों में एसडीजी की दिशा में प्रगति

1. गरीबी से मुक्ति व आजीविका की दिशा में प्रयास- गरीबी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक असमानता की वजह बनती है। देश में गरीबी उन्मूलन के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं एकीकृत बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) जैसी योजनाएं संचालित हैं। महात्मा गाँधी रोज़गार गारंटी (मनरेगा) योजना और एकल तथा सामूहिक उद्यम पर आधारित स्कीम से आजीविकाएं सृजित की जाती हैं।

सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हितग्राहियों की पहचान, जॉब कार्ड के प्रभावी वितरण के साथ हितग्राहियों को पीडीएस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इसी तरह, गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों में कौशल विकास कार्यक्रमों (स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम) से रोज़गार और उद्यमिता के ज़रिए आय का वैकल्पिक साधन मुहैया कराया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं, बायोफर्टिलाइज़र की मदद से कृषि उत्पादकता बढ़ाकर किसान आर्थिक सुरक्षा हासिल कर रहे हैं।

ऐसे प्रयासों का नतीजा यह है कि देश में गरीबी का स्तर कम हुआ है। 17 अक्टूबर, 2022 को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहता है कि भारत में 41.5 करोड़ लोग (2005-6 से 2019-21 के बीच) गरीबी से मुक्त हुए हैं। नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 की रिपोर्ट की मानें तो भारत की जनसंख्या के 25.01 फीसदी लोगों की बहुआयामी गरीब के रूप में पहचान की गई है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 32.75 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 8.81 फीसदी है।

2. गाँवों में स्वास्थ्य का बढ़ता स्तर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को एकीकृत बाल विकास परियोजना से जोड़कर कुपोषण और प्रसव के दौरान होने वाली मृत्युदर को कम किया गया है। मध्याह्न भोजन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ स्कूलों में न्यूट्री गार्डन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मदद से टेलीमेडिसिन को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण भारत तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच तय की गई है। 15 अगस्त, 2020 को शुरू नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का मुख्य हितग्राही ग्रामीण आबादी ही है। दूरदराज में रह रहे लोग ई-संजीवनी ओपीडी और टेलीमेडिसिन व्यवस्था से विशेषज्ञ डॉक्टरों की विशेषज्ञता का लाभ घर बैठे ले सकते हैं। हॉस्पिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और स्वास्थ्य पहचान-पत्र (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) ने ग्रामीण जनों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को मज़बूती दी है।

3. गाँवों को बच्चों के अनुकूल बनाने के प्रयास : भविष्य के आदर्श नागरिक तैयार करने के लिए हमें बच्चों को पोषण, शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना होगा। यह बच्चों को बाल श्रम, जेंडर असमानता, तस्करी, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से मुक्त कराए बिना नहीं होगा। छह से दस वर्ष की आयु के लड़के-लड़कियों की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक नामांकन में वित्त वर्ष 2022 में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार हुआ है। इस सुधार ने वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2019 की अवधि के बीच गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया है। आंगनबाड़ियों और ग्राम बाल सभाओं में बच्चों की पंचायत जैसे आयोजन से खेल-खेल में बच्चों में सीखने की प्रक्रिया का विकास बेहतरीन परिणाम लेकर आया है। वित्त वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 26.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में नामांकित हुए, 19.4 लाख अतिरिक्त बच्चों का प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन हुआ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कुल नामांकन 22.7 लाख है, जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 3.3 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।

4. जल दक्षता से युक्त होते गाँव - गाँवों में पर्याप्त और पाइप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 15 अगस्त, 2019 से शुरू 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत देश में 11 करोड़ घरों में नल से जल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है। 2019 में इस अभियान की शुरुआत के बाद इसमें 8

करोड़ कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जल सुरक्षा किसी भी गाँव के विकास को टिकाऊ बनाने का सबसे अनिवार्य संसाधन है। जल संकट के समाधान से निजात हासिल करने के लिए भूजल स्तर को सुधारना होगा। जल जीवन मिशन 'जल' की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) दक्षता संवर्धन के कार्यक्रम देशभर में आयोजित कर रहा है।

गाँवों में जल दक्षता का कोई भी कार्यक्रम वर्षा जल के संरक्षण के बिना पूरा नहीं होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों तथा विभिन्न साझेधारों के साथ मिलकर वर्षा की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए 'कैच द रैन' अभियान शुरू किया। इसके तहत वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को मज़बूती प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 577 ग्राम पंचायतों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए जा चुके हैं। इस अभियान के तहत स्कूलों व पंचायत भवनों की छतों का पानी वॉटर हार्वेस्टिंग के ज़रिए सीधे 70 फीट की गहराई तक रिचार्ज किया जाता है। वॉटर रिचार्ज की यह व्यवस्था 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले भवनों के लिए तैयार की गई है।

इसी क्रम में केंद्र सरकार ने **अटल भूजल संरक्षण योजना** शुरू की है। इसके तहत वॉटर शेड प्रोजेक्ट संचालित किए जाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजय एवं स्वच्छता विभाग गाँवों को सुजल और स्वच्छ गाँवों में रुपांतरित कर रहा है।

5 स्वच्छ और हरित होते गाँव - आज ग्राम पंचायतों द्वारा प्रायोजित विकास कार्यों में गुणवत्ता एक अहम कारक है। 19 अगस्त, 2022 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियान ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। तब तक 1,01,462 गाँव खुद को ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) प्लस घोषित कर चुके हैं। 2 अक्टूबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य-एसडीजी-6 लक्ष्य से 11 वर्ष पहले देश का ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त हो गया है। ग्रामीण भारत की स्वच्छता की यह यात्रा गाँव को सुंदर और टिकाऊ अवसंरचना प्रदान करती है। इसी क्रम में अब देश के गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा रहा है। देश में 2 लाख से अधिक गाँव ओडीएफ प्लस घोषित किए जा चुके हैं। 16 मार्च, 2023 तक देश में 3 लाख से अधिक शौचालयों को नई अवसंरचना से युक्त किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के दूसरे चरण में गाँवों में कचरे का उचित प्रबंधन करना न केवल हमारे गाँवों को स्वच्छ बनाएगा बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए आय के नए स्रोत भी मुहैया कराएगा।

यूनिसेफ के मुताबिक मल के केवल एक ग्राम में लाखों विषाणु, बैक्टीरिया और परजीवी शामिल होते हैं। यह भारत में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया से होने वाली लगभग एक लाख मौतों की वजह बनता है।

गाँवों को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए हमें जीवाश्म ईंधन की जगह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का अनुपात बढ़ाना होगा। देश भर में 9 करोड़ 34 लाख 12 हजार 104 उज्जवला कनेक्शन (12 जुलाई, 2022 तक) प्रदान किए जा चुके हैं। 1 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से शुरू **प्रधानमंत्री उज्जवला योजना** के सबसे बड़े हितग्राही ग्रामीण भारत और वहां के परिवार विशेष रूप से महिलाएं रही हैं। इससे वृक्षों की कटाई पर रोक लगी है। 2070 तक देश की अर्थव्यस्था को शून्य कार्बन उत्सर्जन के स्तर

जलवायु अनुकूल गाँव

उत्तर प्रदेश में जलवायु संकट से सबसे अधिक प्रभावित 39 ज़िलों में क्लाइमेट स्मार्ट विलेज योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में मौसम आधारित जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे वह कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से संपन्न कर सकते हैं। ऊर्जा और जल संरक्षण के आधुनिक प्रयास इन गाँवों को आधुनिक बनाते हैं। ग्रामीण भारत में लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को ज़ीरो डिफेक्ट स्कीम के तहत गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है। क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत जलवायु शमन (क्लाइमेट अडाप्टेशन) और जलवायु अनुकूलन (क्लाइमेट मिटिगेशन) पर आधारित है। जलवायु अनुकूलन के अंतर्गत ये ग्राम पंचायतें खुद को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, जल संकट आदि से बचाव के लिए तैयार करती हैं। क्लाइमेट अडाप्टेशन के तहत ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने पर ज़ोर दिया जाएगा। इसके तहत जैविक खाद, वनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज में मौसम आधारित जानकारियां किसानों को उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे वह कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी रूप से संपन्न कर सकते हैं। ऊर्जा और जल संरक्षण के आधुनिक प्रयास इन गाँवों को आधुनिक बनाते हैं। ग्रामीण भारत में लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों से तैयार उत्पादों को 'ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफेक्ट' स्कीम के तहत गुणवत्तापूर्ण बनाया जा रहा है।

स्मार्ट विलेज के तीन चरण

स्मार्ट विलेज फेज़-1 (जल, स्वच्छता, ऊर्जा, रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य)

- समुदाय के साथ संपर्क कर उनसे संवाद करना
- स्वच्छता और पेयजल
- ई-लाइब्रेरी
- ग्रीन मोबिलिटी (इलेक्ट्रॉनिक वाहन)
- कॉमन सर्विस सेंटर
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेलीमेडिसिन सुविधा

स्मार्ट विलेज का फेज़-2 (उद्योग)

- फूड प्रोसेसिंग
- एनर्जी माइक्रो ग्रिड
- मिल्क प्रोसेसिंग
- बायो फ्यूल प्रॉडक्शन
- फ्लोरिकल्चर एंड सिरीकल्चर
- ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र

स्मार्ट विलेज फेज़-3 (उद्यमशीलता)

- कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग
- डाटाबेस मैनेजमेंट
- वोकेशनल ट्रेनिंग
- पौधारोपण एंव वाटर शेड मैनेजमेंट
- सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनलन वीडियो स्क्रीनिंग
- ग्राम दिवस का आयोजन

पर ले जाने के लिए हमें कृषि वानिकी के लक्ष्य हासिल करने होंगे। वर्ष 2014 में प्रस्तुत कृषि वानिकी नीति के अंतर्गत गाँव में कृषि योग्य भूमि का उपयोग खेती और पशुपालन के साथ वन उत्पादों के विकास के लिए भी हो रहा है।

6. दक्ष आधारभूत संरचना से साकार होती स्मार्ट गाँव की परिकल्पना- आँगनबाड़ी, ग्राम पंचायत, शौचालय, कॉमन सर्विस सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक भवन, डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी और खेल का मैदान गाँव के प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। दक्ष आधारभूत संरचना के जरिए बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने से स्मार्ट गाँव की परिकल्पना साकार हो रही है। देश में 4,63,705 कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए लोगों को बुनियादी सेवाओं का डिजिटल समाधान मौके पर ही मिल रहा है। इससे गाँव की संचार सेवाओं के लिए शहरों में निर्भरता कम हुई है।

7. सामाजिक सुरक्षा - टिकाऊ विकास के इस लक्ष्य के अंतर्गत ग्रामीण भारत में रह रहे बीपीएल परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ई-श्रम पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का न सिर्फ डाटा एकत्र किया जाता है बल्कि उन्हें रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से संबद्ध किया जाता है।

8. गुड गवर्नेंस - ग्राम पंचायतों में सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए 5टी सिद्धांतों टीमवर्क, टेक्नोलॉजी, टाइमलिमिट ट्रांसपेरेंसी और ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाया जा रहा है। सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा ग्रामीण जीवन को सहज और सुखद बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में देश भर की 2.78 लाख पंचायती राज संस्थाओं को सूचना, संचार एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिक, पारदर्शी व दक्ष बनाने के उद्देश्य से ई-ग्रामस्वराज एक दूरदर्शी पहल है।

9. भेदभाव रहित विकास - संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। ग्रामीण इलाकों में जातिगत, लैंगिक और अन्य किसी भी तरह के सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे प्राथमिकता का क्षेत्र माना है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जेंडर समानता को प्रोत्साहित करने वाले बजट निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है। महिलाओं और बच्चों को समुचित कानूनी सहायता की उपलब्धता होती है तथा पुरुष व महिलाओं को समान वेतनमान हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

स्मार्ट ग्रिड से गाँवों में ऊर्जा आत्मनिर्भरता : स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा संसाधन ग्रामीण विकास का आधार हैं। बिजली के बिना कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और कुटीर उद्योगों की कल्पना नहीं की जा सकती है। सौर, पवन, जैव ऊर्जा से जुड़ी तकनीक आज लागत सक्षम दर पर उपलब्ध है। ग्रामीण भारत में गाँवों के समूह और कुछ एकल गाँवों के लिए भी मिनी, माइक्रो और नैनो ग्रिड स्थापित किए गए हैं। इन ग्रिडों के ज़रिए सरप्लस बिजली किसान सरकार को बेच सकते हैं। ओडिशा के अंगलु ज़िले में छोटकी गाँव देश का पहला गाँव है जिसने स्मार्ट माइक्रो ग्रिड सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। गाँव में इस ग्रिड से 30 KWp (किलोवॉट पीक) बिजली की आपूर्ति होती है। स्मार्ट नैनो ग्रिड से

140 घरों और 20 स्ट्रीट लाइट, एक मंदिर और 3 सामुदायिक भवनों को बिजली की आपूर्ति होती है। रोजमर्रा की खपत से बची 10 किलोवॉट पीक बिजली सिंचाई और कुटीर उद्योगों में काम आती है।

2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने में ग्राम पंचायतों की ऊर्जा आत्मनिर्भरता अहम होगी। इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने **ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल** शुरू की है। मई 2022 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल का शुभारंभ किया गया। ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के डैशबोर्ड के मुताबिक 16 मार्च, 2023 तक देश की 2078 ग्राम पंचायत अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं। 2018 ग्राम पंचायतें सौर ऊर्जा संयंत्रों से युक्त हैं। 60 ग्राम पंचायतों में पनबिजली और 69 में पवन ऊर्जा परियोजनाएं ग्रामीण भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में अपना योगदान दे रही हैं। देश की 106 ग्राम पंचायतों में बायोगैस ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा स्वराज का उद्देश्य हासिल किया जा चुका है। 366 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

आदर्श ग्राम पंचायतों का क्लस्टर

समावेशी ग्राम पंचायतों से विकास को गति देने में देशभर में 250 आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। इस परियोजना के उद्देश्य को हासिल करने में युवाओं की विशेष भूमिका है। इस परियोजना में शामिल युवा फेलो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में जुटे हैं। युवा फेलो ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) को स्थानीय बनाने के अंतर्गत विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आदर्श ग्राम पंचायतें शिक्षा युक्त पंचायत, जेंडर रोजगार युक्त पंचायत, स्वच्छता युक्त पंचायत, हरित पंचायत, स्वस्थ पंचायत और आत्मनिर्भर पंचायत की प्राप्ति के लक्ष्य पर काम करती हैं।

आजीविका के नए साधन मुहैया कराती स्मार्ट गौशालाएं

पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हजारों सालों से आधार है। 20वीं पशु जनगणना के मुताबिक देश में 19 करोड़ मवेशी हैं। पशुधन आधारित उद्यम और आजीविकाओं के विकास में गौशालाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नीति आयोग द्वारा मार्च 2023 में जैविक उर्वरक के उत्पादन और संवर्धन में गौशालाओं की भूमिका पर टॉस्क फोर्स रिपोर्ट प्रकाशित की गई। स्वामित्व के आधार पर स्थानीय निकायों, धार्मिक न्यास और व्यक्तिगत गौशालाएं प्रमुख होती हैं। गौशालाओं की आमदनी का प्रमुख स्रोत स्थानीय लोगों, व्यावसायिक और उद्यमियों द्वारा प्रदान किया गया आर्थिक सहयोग होता है।

देश में 81 प्रतिशत गौशाला निजी निकायों द्वारा संचालित हैं। यह सरकार द्वारा किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग के बिना स्थानीय स्तर पर मिले अनुदान से चलती हैं। उदाहरण के लिए हरियाणा में गौशालाओं के खर्च का 74 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय नागरिकों से प्राप्त होता है जबकि 20 प्रतिशत खर्च वह दुग्ध उत्पाद बेचकर हुई आमदनी से प्राप्त होता है। इस आर्थिक सहयोग से ये गौशालाएं गाँव के मवेशियों के साथ आवारा मवेशियों के लिए आश्रय स्थल बन चुकी हैं।

देश में कई गौशालाएं प्रकाश और कूलिंग व्यवस्था के लिए सोलर रुफटॉप और सोलर ट्री का उपयोग कर रही हैं। एक एकड़ भूमि पर 100 गायों को आश्रय देने के लिए उपयोग किए जाने वाली गौशाला की छत के 50 फीसदी हिस्से में सौर पैनल स्थापित किए जा सकते हैं। गुजरात में औसत सौर विकिरण 1266.52 वॉट/मीटर है। एक किलोवॉट पीक सोलर रुफटाफ संयंत्र साल भर 5.0 किलोवॉट प्रतिघंटा बिजली प्रदान करता है। इसी तरह, हरियाणा में औसत सौर विकिरण दर 1156.39 वॉट/ वर्ग मीटर है। यहां एक किलोवॉट पीक सोलर रुफटाप प्लांट 4.6 किलोवाट प्रति घंटा बिजली रोजाना पैदा करता है।

देश के कुछ प्रमुख स्मार्ट विलेज

ओडिन्थुराई (कोयंबटूर, तमिलनाडु) : यह गाँव अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार को बेचता है। पवन ऊर्जा चक्की, गैस संयंत्र, स्ट्रीट लाइटें, पक्की सड़कें, बार कोड आधारित वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था ने इसे देश का पहला स्मार्ट विलेज बनाया है।

गंगादेवीपल्ली (वारंगल, आंध्रप्रदेश) : तमाम बुनियादी सुविधाओं के साथ ही इस गाँव में संचालित मुफ्त केबल टीवी देश के अन्य गाँवों के लिए रोल मॉडल है।

चिजामी (फेक, नगालैंड) : इस गाँव ने समान वेतनमान की व्यवस्था को लागू कर जेंडर भेदभाव को समाप्त किया है। यहां

महिला और पुरुषों को समान वेतनमान दिया जाता है।

पुंसारी (गुजरात) : पूरा गाँव अक्षय ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट से जगमग रहता है। गाँव के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए एक आरओ संयंत्र भी लगाया गया है। गाँव में मोबाइल लाइब्रेरी के जरिए पढ़ने-लिखने वालों को अलग-अलग पुस्तकें चलते-फिरते पुस्तकालय से मिल जाती हैं।

धरनाई (बिहार) : ग्राम पंचायत के प्रयासों से गाँव के 75 फीसदी घरों में माइक्रो सोलर ग्रिड से बिजली आपूर्ति की जा रही है। दो स्कूल, एक स्वास्थ्य केंद्र और किसान ट्रेनिंग सेंटर गाँव में ही उत्पादित बिजली से जगमग हैं।

मावलिननॉन्ग (मेघालय) : इस गाँव को 'भगवान का अपना बगीचा' भी कहा जाता है। स्वच्छता एवं पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली का यह सबसे बेहतरीन उदाहरण है। गाँव स्वच्छता को अपना कर न सिर्फ हर क्षेत्र में तरक्की का बल्कि एशिया के सबसे स्वच्छ गाँव का खिताब भी हासिल कर चुका है। गाँव वालों ने समिति बनाकर जानवरों को बांधना शुरू किया। गाँव में जैविक और गैर-जैविक कचरे को रखने के लिए कम्पोस्ट पिट और बांस के खास बक्से रखे गए हैं। गाँव में प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है। धूम्रपान करते पकड़े जाने पर ग्राम विकास समिति द्वारा जुर्माने का प्रावधान है।

पिपलांत्री (राजसमंद, राजस्थान) : एक समय यह गाँव भीषण जल संकट से जूझ रहा था। अवैध उत्खनन और अतिक्रमण की वजह से भू-जल स्तर निचले स्तर पर चला गया। इसके बाद ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया कि बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं बेटियां पेड़ों को भाई के रूप में राखी बांधती हैं। इससे गाँव में हरियाली और जल स्तर बढ़ा।

रामचंद्रपुर (तेलंगाना) : नेत्रदान के लिए प्रसिद्ध इस गाँव का 70 देशों के प्रतिनिधि दौरा कर चुके हैं। गाँव में ग्राम पंचायत द्वारा मोयथुम्मडा नदी पर उप सतह बांध का निर्माण कराया गया है। इससे जुड़े दो ओवर हेड टैंको के निर्माण से जल संकट का समाधान किया गया।

सक्कांवाली मुक्तसर (पंजाब) : सोलर स्ट्रीट लाइट्स, सड़क पर इंटरलॉक टाइल्स, तालाब और झील मनोरंजन के साधन व पार्क विकसित किए गए हैं। गाँवों में पक्की नालियों से वॉटर रिचार्ज सिस्टम को मजबूती मिलती है। यहां ग्राम पंचायत द्वारा बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल और सामुदायिक भवन की इमारतें विकास के आधुनिक स्मारक से कम नहीं हैं।

हिवरे बाज़ार (अहमदनगर, महाराष्ट्र) : पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों को आपदा प्रबंधन से जोड़े जाने के प्रयासों को गति दी गई है। महाराष्ट्र के अहमदनगर हिवरे बाज़ार ग्राम पंचायत ने जनसहभागिता सुनिश्चित करके ड्राउट प्रूफिंग की व्यवस्था की है। ग्राम पंचायत ने ट्यूबवैल बैन किया, गन्ना और धान जैसी फसलों पर रोक लगाई। जो काम कानून बनाकर करने से नहीं हो रहा था, वह जनसहभागिता से हासिल हो गया। यहां चक्रवात से बचने के लिए शेल्टर का निर्माण कराया। गाँव में प्राकृतिक आपदाओं के समय मवेशियों के बचाव की व्यवस्था खड़ी की गई है।

आज जिस तरह संसाधनों का केंद्रीयकरण शहरों में बढ़ रहा है, उससे पैदा हुई चुनौतियों के समाधान के लिए ग्रामीण विकास को बहुआयामीय रूप देना होगा। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ज़रिए गाँव तक हर वह सुविधा पहुँचाई जा रही है, जो अब तक शहरों के लिए कथित रूप से आरक्षित मान ली गईं थी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) की वहनीयता (सस्टेनेबिलिटी) में अहम भूमिका होती है लेकिन शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल खाई आज एक बड़ी चुनौती है।

कम्युनिटी ई-सेंटर इस दिशा में एक समाधानपरक व्यवस्था बनकर सामने आए हैं। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसेफिक (यूएन-ईएससीएपी) और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट द्वारा सुझाया गया यह उपक्रम डिजिटल आधारित सेवाओं का ग्रामीण भारत में विस्तार करेगा। तकनीक और नवाचार के साथ गाँव रोज़गार और उद्यमिता के केंद्र बनें, इसके लिए जरूरी है कि ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को अगले कुछ दशकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाए। यह लक्ष्य जनभागीदारी और पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली से ही हासिल किया जा सकता है। ❑

गाँवों के सर्वांगीण विकास के लिए एसडीजी संकेतक

-डॉ. सुदीप कुमावत

> एसडीजी संकेतकों के माध्यम से ग्रामीण विकास में आ रही चुनौतियों को चिह्नित करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकेगा तथा सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं का ज़मीनी स्तर पर आंकलन करने में मदद मिलेगी। जिन लक्ष्यों में ग्राम पंचायतें पिछड़ी हुई हैं, उन लक्ष्यों में सुधार करने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा तथा जिन पंचायतों में इन लक्ष्यों की स्थिति बेहतर है, उनसे प्रेरणा लेकर सभी विभाग अन्य पंचायतों में प्रगति बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

वैश्विक स्तर पर तीव्र आर्थिक-सामाजिक व पर्यावरणीय परिवर्तन तथा विश्वभर में असमानताओं में वृद्धि होने पर यह अभिज्ञात हुआ कि 'सभी के लिए एक बेहतर भविष्य की प्राप्ति' हेतु केवल आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। अपितु विश्व के सर्वांगीण विकास एवं आम जन के कल्याण हेतु सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करना आवश्यक हो गया है ताकि कौन-सा लक्ष्य अर्जित कर लिया गया है, और कहां अधिक प्रयासों की आवश्यकता है, इसको समझने में मदद मिल सके।

इसी संकल्पना के साथ वर्ष 2015 में विश्व के सभी देशों द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 को अपनाया गया। इसमें वैश्विक स्तर पर 17 लक्ष्यों के तहत 169 टार्गेट तय किए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त किया जाना है। ये 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी हुए हैं। विश्व के सर्वांगीण विकास एवं आम जन के कल्याण हेतु सतत विकास लक्ष्यों को सामूहिक भागीदारी के साथ अर्जित करना कोई वैधानिक प्रावधान नही है बल्कि वर्तमान में यह बेहद जरूरी हो गया है।

देश के विकास की परिकल्पना गाँवों के विकास के बिना नहीं की जा सकती है। गाँवों के विकास मे ग्राम पंचायत की महत्ता को सर्वोपरि समझते हुए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों के विकास हेतु पिछले कुछ दशकों से अथक प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन के विकेंद्रीकरण हेतु 73वें संविधान संशोधन द्वारा देश की ग्रामीण शासन प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया गया। पंचायती राज व्यवस्था गाँवों में स्थानीय स्वशासन की अहम कड़ी है।

ग्राम पंचायत विभिन्न सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का ज़मीनी स्तर पर सफल क्रियान्वयन करने के साथ-साथ आम जन तक सुगमता से योजनाओं का लाभ पहुँचाने मे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों के 29 कार्यां का उल्लेख है जिनको एसडीजी के लक्ष्यों से सूचीबद्ध किया गया है। केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर सतत विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए पंचायत स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों के निगरानी तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है तथा एसडीजी के माध्यम से ग्राम पंचायत की वर्तमान स्थिति की जांच कर उसे समग्र, समावेशी और सहभागी ग्राम पंचायत के रूप में विकसित किया जा सकता है।

एसडीजी के अंतर्गत एक क्षेत्र मे की गई कार्रवाई दूसरे क्षेत्र के परिणामों को प्रभावित करती है। विकास की यात्रा में 'कोई भी पीछे ना छूटे' सिद्वांत पर कार्य करते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एसडीजी के स्थानीयकरण पर बल दिया है। तथा ग्राम के विकास को ध्यान में रखते हुए सतत विकास लक्ष्यों को 9 थीम/संकल्पों में वगीकृत किया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर पर इन संकल्पों की गणना का मूल उद्देश्य जन-कल्याण एवं गाँवों के विकास के लिए ग्राम पंचायतों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करना है जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर आम जन के बीच असमानताओं में कमी लाना, सभी को घर, सभी को भोजन, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय-शांति एवं अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने के साथ-साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा साथ ही, एक समृद्ध पंचायत का निर्माण हो सके।

लेखक शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) में सांख्यिकी अधिकारी हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : dr.sudeepkumawat85@gmail.com

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत-स्तरीय संकल्प

केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु 9 संकल्प चिह्नित किए हैं। इन संकल्पों का विवरण व इन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर प्राप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख इस प्रकार है–

1) गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत - सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ गरीबी से मुक्ति के लिए सराहनीय प्रयास किए हैं। मनरेगा में रोजगार, सामाजिक सुरक्षा योजना, पीएम-किसान योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना व आवास योजना आदि के पात्र व्यक्तियों तक तय समय में योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

सतत विकास के इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दीर्घ एवं दूरगामी सोच के तहत गाँवों में स्वयंसहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को स्वरोज़गार के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। गाँव की इन महिलाओं ने अपने हुनर से निर्मित उत्पादों को ज़िला व राज्य स्तर पर प्रदर्शनी के माध्यम से बिक्री कर अपनी पारिवारिक आय में वृद्वि की है।

2) स्वस्थ पंचायत - ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) में स्वास्थ्य गतिविधियों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। संग्रहित जल, ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रभावी संग्रह और निपटान, गन्दगी का सही निस्तारण होने से पंचायतों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा रहा है। गाँव की सबसे गंदी जगह पर वॉल पेंटिंग व पौधे लगाकर उन्हें सेल्फी पॉइंट के रूप में विकसित करने के प्रयास किए गए हैं।

स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से सभी शिशुओं, बच्चों, युवाओं, महिलाओं एवं वृद्धजनों को सही पोषण व बीमारियों की रोकथाम हेतु जागरूक किया जाता है। किशोरियों व महिलाओं में एनीमिया को दूर करने, जलजनित रोगों की रोकथाम, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण तथा प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की पात्र महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।

3) बाल हितैषी पंचायत - गाँव के विकास के लिए बाल सभाओं व महिला सभाओं के माध्यम से बच्चों की आवश्यकताओं को चिह्नित कर उनका संभावित समाधान निकालना अति आवश्यक है। देश के सभी गाँवों में ऐसा सहज वातावरण तैयार कर बच्चों को पूर्ण विकसित होने तक अपने अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सुरक्षा के अधिकारों का आनन्द लेने में सक्षम बनाने हेतु प्रयास किए गए हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बच्चों का स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बाल विवाह पर रोक, छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न से बचाव, बाल तस्करी पर रोक, बालश्रम उन्मूलन, दिव्यांगता या विशेष सहायता पात्र बच्चों की संसाधनों व सेवाओं तक आसान पहुँच, पोषण वाटिका, खेल मैदान, पुस्तकालय, लड़के-लड़कियों के लिए पृथक शौचालय आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा मिलकर कार्य किया जा रहा है।

आज गाँवों को स्वच्छ व सम्पन्न बनाने के लिए सर्वप्रथम बच्चों में समझ विकसित करने व उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इस पीढ़ी में यह संस्कार विकसित कर पाए तो निश्चित रूप से आने वाले समय मे सम्पूर्ण देश स्वच्छता के संकल्प को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

4) पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत - गाँवों में पानी की मांग, उपलब्धता एवं पानी के दोहन के मध्य बेहतर सामंजस्य बनाने की आवश्यकता हैं। राज्य के 60 प्रतिशत भू-भाग पर मरुस्थल हैं इस कारण जल संकट की स्थिति सदैव बनी रहती है। ऐसे में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचायत स्तर पर विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को क्रियाशील शुद्ध जल के कनेक्शन, जल संचयन व जल प्रबंध, गाँवों में नालियों की साफ-सफाई के लिए मैजिक पिट तैयार किए जा रहे हैं। इस पिट

संपूर्ण देश के लिए रोल मॉडल बना जाहोता गाँव

राजस्थान के जयपुर ज़िले में ब्लॉक जालसू की ग्राम पंचायत जाहोता में सतत विकास लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन करने पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य का पहला 'ओडीएफ प्लस' गाँव घोषित किया गया। ग्राम जाहोता की साफ-सफाई और हेरिटेज स्वरूप मनमोहक है। यहां की प्रत्येक राजकीय इमारत पर विशेष रंग और चित्रकारी देखने को मिलती है। इन भवनों को गेरू मिट्टी से रंगा गया है। भवनों की दीवारों पर मांडना पेंटिंग गाँव को गुलाबी शहर का स्वरूप देती है।

गाँव की नर्सरी मे तरह-तरह के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। नर्सरी मे 20 हज़ार पौधे तैयार कर उनमें से 17 हज़ार पौधों को जन्मदिन के अवसर पर, शादी की वर्षगांठ पर, सरकारी कार्यालयों मे व खुली जगह पर लगाकर सार्वजनिक प्रयासों से इनकी देखभाल की जा रही है। नालियों की साफ-सफाई के लिए गाँव में मैजिक पिट तैयार किए गए हैं। इस पिट से कचरे को छानकर पानी को ज़मीन में छोड़ा जाता है जो भूजल स्तर को बढ़ाने में सहायक होता है। आज ग्राम पंचायत के भूजल स्तर में सुधार हुआ है। साथ ही, कम्पोस्ट पिट का भी निर्माण किया गया है जहां पर बायोडिग्रेडेबल कचरे, फल और सब्जियों के छिलके, फूल, पत्तियों आदि का निस्तारण किया जा रहा है।

गाँव में केमिकल रंगों के बजाय प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर चित्रकारी की जा रही हैं तथा वनस्पति रंगों से कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को 'अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष' घोषित किया है। इसको ध्यान मे रखकर गाँव में मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए बाजरे से निर्मित देसी घी के लड्डू, मीठे और नमकीन बिस्किट, नमकीन आदि के साथ शहद व लेमनग्रास का उत्पादन किया जा रहा है। इससे गाँव में महिलाओं व युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

गाँव में महिला वार्ड पंच की अध्यक्षता में महिला सभा का गठन किया गया है। इससे महिलाओं व बालिकाओं में संकोच की भावना को दूर कर उनके लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने में मदद मिली है। बच्ची के जन्म पर जामना भरने तथा 11 पौधे लगाने की परम्परा आरम्भ की गई है। लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं।

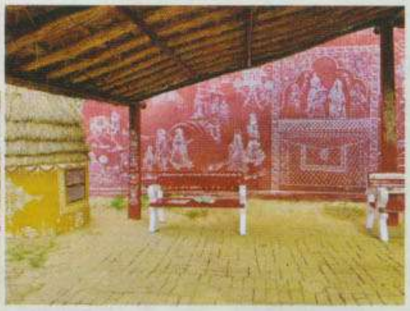

गाँव को स्वच्छ रखने के लिए गाँव की सबसे गंदी जगह पर बणी-ठणी चित्रकारी कर सेल्फी पॉइन्ट के रूप में विकसित किया गया है तथा पंचायत द्वारा पौधारोपण कर आम जन के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। बागवानी खेती को प्रेरित करने के लिए निजी कम्पनियों के सीएसआर फंड से बगीचे तैयार करवाए गए हैं। जाहोता गाँव को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु बच्चों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, बच्चे गाँव में बड़े-बुज़ुर्गों को स्वच्छता का संदेश देते नज़र आते हैं।

जाहोता गाँव के सरपंच श्याम प्रताप सिंह राठौड़ कहते हैं कि यह बदलाव गाँव वालों के समर्थन व सहयोग से संभव हो पाया है। आज गाँव में मौसमी बीमारियां न के बराबर होती हैं तथा महिलाएं व बालिकाएं अपनी बात निःसंकोच कह पाती हैं।

वर्तमान में जाहोता ग्राम सम्पूर्ण देश में रोल मॉडल की भूमिका में है तथा अन्य ग्राम पंचायतों के लिए अनूठी नज़ीर बन गया है। इसका अनुसरण कर देश व राज्य के गाँव भी सशक्त व समृद्ध बनने का प्रयास कर रहे हैं।

में कचरे को छानकर पानी को ज़मीन में छोड़ा जाता है जो भूजल स्तर में सुधार करता है। साथ ही, कम्पोस्ट पिट का भी निर्माण किया जा रहा है जहां पर बायोडिग्रेडेबल कचरे, फल और सब्जियों के छिलके, फूल, पत्तियां आदि को निस्तारित किया जाता है। गाँवों में फार्म तालाब के माध्यम से कृषि संबंधी ज़रूरतों के लिए जल उपलब्ध करवाया जा रहा है।

5) स्वच्छ एवं हरित पंचायत - देश की भावी पीढ़ियों को स्वच्छ व हरित गाँव की सौगात देने हेतु हमें संकल्प लेना होगा कि गाँव में शत-प्रतिशत सौर ऊर्जा का उपयोग, पौधारोपण व बागवानी को बढ़ावा, शत-प्रतिशत खुले में शौच से मुक्ति, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक व जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। ग्राम पंचायत में पौधों की नर्सरी स्थापित कर उन पौधों को चारागाह व बंजर भूमि पर, बच्ची के जन्म पर, वैवाहिक वर्षगांठ पर, जन्मदिन के अवसर पर आम जन के सहयोग से सार्वजनिक व निजी स्थानों पर लगाया जा रहा है। साथ ही, किसानों को बागवानी कृषि के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

6) ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत - पंचायत के माध्यम से आम जन तक गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा गाँव में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाकर पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है। गाँवों में सड़कें, पुल,

रोड लाइट, आवास, सभी घरों मे शौचालय, पानी के कनेक्शन, यातायात सुविधा आदि को प्राप्त करने हेतु विभागीय योजनाओं के साथ-साथ सामुदायिक स्तर पर प्रभावी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

7) सामाजिक, सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत - गाँव में आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े, जरूरतमंद एवं असहाय वर्ग तथा परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनका लाभ जरूरतमंद व पात्र लोगों तक पहुँचाने का कार्य पंचायत के माध्यम से किया जा रहा है।

8) सुशासन युक्त पंचायत - विभागों द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेयता व उत्तरदायी बनाने का कार्य किया गया है। वर्तमान में ग्राम स्तर पर योजनाओं तथा सेवाओं के वितरण व उपलब्धता में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता लायी जा रही है। राज्य में ग्राम पंचायत भवनों मे ई-मित्र, ई-मित्रा प्लस मशीन व कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से समयबद्ध तथा सुगमता से आम जन के कार्यों का संपादन किया जा रहा है। जन आधार डाटा बेस के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को डीबीटी के द्वारा सीधा बैंक खाते में लाभ हस्तांतरण किया जा रहा है।

9) महिला हितैषी पंचायत - गाँवों में महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए महिला सभा के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। महिलाएं अपनी बात कहने में अक्सर संकोच करती हैं इसलिए महिला वार्ड पंच की अध्यक्षता में महिला सभा का गठन कर इनके माध्यम से महिला सुरक्षा, महिलाओं के विरुद्व अपराधों पर रोक, बालिकाओं को पोषण, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक सशक्तीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर ग्राम पंचायतों के विकास कार्यो की प्राथमिकता तय की जा रही है तथा ग्राम पंचायत जीपीडीपी प्लान में उन कार्यों को सम्मिलित कर पंचायत स्तर पर एसडीजी को जीपीडीपी के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर आम जन का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित हो पाएगा।

जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रकिया को गति प्रदान कर एलएसडीजी को प्राप्त करने के महत्व के बारे में जनप्रतिनिधियों को अधिक संवेदनशील व जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा प्रधान सरपंच, प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए एसडीजी की कार्यशाला का आयोजन करवाया गया है।

पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार

गाँवों का सर्वांगीण विकास करने के उद्धेश्य से एसडीजी के नौ संकल्पों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रदर्शन का गुणवत्तापूर्ण आकलन कर पुरस्कार वितरण किए जाएंगे। इससे पंचायतों के मध्य विकास कार्यों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी तथा सभी ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करवाने के प्रयास करेंगी।

निष्कर्ष

एसडीजी संकेतकों के माध्यम से ग्रामीण विकास में आ रही चुनौतियों को चिह्नित करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा सकेगा तथा सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं का जमीनी स्तर पर आंकलन करने में मदद मिलेगी। जिन लक्ष्यों में ग्राम पंचायते पिछड़ी हुई हैं, उन लक्ष्यों में सुधार करने हेतु संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा तथा जिन पंचायतों में इन लक्ष्यों की स्थिति बेहतर है, उनसे प्रेरणा लेकर सभी विभाग अन्य पंचायतों में प्रगति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह प्रक्रिया अनवरत चलती रहे जब तक गाँवों का सर्वांगीण विकास न हो जाए।

एसडीजी संकेतकों को ग्राम स्तर पर प्राप्त करने के लिए केंद्रीय वित्तपोषण की योजना संचालित होने तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अलग से बजट प्रावधान करने की आवश्यकता है।

राजस्थान में सर्वप्रथम ब्लॉक गोविन्दगढ़ में ग्राम पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया गया था। इसका देश के अन्य ब्लॉकों व पंचायतों द्वारा अनुसरण किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास में आ रही बाधाओं को चिह्नित कर उनका समाधान करने में मदद मिल सके।

एसडीजी संकल्पों की भावना के आधार पर ग्राम पंचायत के विकास कार्यों की प्राथमिकता तय की जानी चाहिए तथा जिन संकेतकों में ग्राम पंचायत पिछड़ी हुई है, उनकों ग्राम पंचायत जीपीडीपी प्लान में प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे गाँवों का सर्वांगीण विकास हो सके। और 'कोई भी पीछे ना रहे' सिद्धांत का अनुसरण किया जा सके।

एसडीजी संकेतकों का स्थानीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने हेतु अनिवार्य रूप से ब्लॉक स्तर पर एसडीजी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए तथा उस कमेटी द्वारा ग्राम पंचायतवार वार्षिक रिपोर्ट जारी की जानी चाहिए जिससे सभी जन प्रतिनिधियों, विभागों के अधिकारियों को गाँवों की वास्तविक स्थिति का पता लग सके।

केंद्र व राज्यों द्वारा ग्राम पंचायतों के सर्वांगीण विकास हेतु पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन एस.डी.जी. लक्ष्यों व संकेतकों के आधार पर हमें मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिणामों पर ध्यान देना होगा जिससे ग्रामीण विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। ❑

प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना

-सत्येन्द्र प्रसाद सिंह

प्रधानमंत्री स्वामित्व (गाँवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन के ज़रिए सर्वे और मैपिंग कर गृहस्वामियों को रिकार्ड ऑफ राइट्स (अधिकार अभिलेख) दिया जाना है। इसे पूरे देश में 2025 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना का शुभारम्भ पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 2020 को किया गया। 9 राज्यों में सफलतापूर्वक पायलट परियोजना पूरी होने के बाद 24 अप्रैल, 2021 को इसे पूरे देश में लागू किया गया।

यह बात अब किसी से छिपी नहीं है कि पंचायती राज संस्थाएं ज़मीनी स्तर पर जनता को राजनीतिक दृष्टि से सशक्त बनाने का प्रभावी उपकरण बन गई हैं। यह ऐसा उपकरण है, जिसके ज़रिए वे अपनी नियति खुद तय कर सकती हैं। आज़ादी के बाद संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना के बावजूद पंचायतों में हाशिये पर खड़े वंचित तबके की समुचित भागीदारी न होना एक गंभीर समस्या रही थी। यह एक ऐसी समस्या थी जो संपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था के औचित्य पर ही सवाल खड़ा करती थी। गाँवों के संप्रभु वर्ग पर सामंती सोच इस कदर हावी थी कि वह समावेशी लोकतंत्र को पलीता लगाने के लिए काफी थी। ऐसे में संस्थागत सुधार के लिए सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया था।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। आज इसी बुनियाद पर 'तीसरी सरकार' सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रभावी उपकरण बन गई है। इस लिहाज से केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना नित्य नए आयाम विकसित कर रही है। निश्चित रूप से यह ग्राम स्वराज को साकार करने और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का, ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करते हुए, सर्वे और मैपिंग कर गृहस्वामियों को रिकार्ड ऑफ राइट्स (अधिकारों का अभिलेख) दिया जाना है। इसे पूरे देश में 2025 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य है। इस योजना का शुभारम्भ पंचायती राज दिवस के दिन 24 अप्रैल, 2020 को किया गया। पायलट चरण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 24 अप्रैल, 2021 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। यह सब अचानक नहीं हुआ था, इसके पीछे एक व्यापक तैयारी थी। पूरे देश में इसको लागू करने से पहले 9 राज्यों में 2020-21 में पायलट परियोजना चलाकर इसकी व्यवहार्यता की जांच-परख कर ली गई थी। इस दौरान इसके क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को चिह्नित कर लिया

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : satyendra1947@gmail.com

पेसा: सहभागी लोकतंत्र की ओर

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996 सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित एक ऐसा कानून है, जो अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने का एक उपकरण है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में न केवल ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गई है, बल्कि उनके लिए मानक भी तय किए गए हैं। ज़ाहिर है कि दस राज्यों के आदिवासी-बहुल इलाकों को इसके तहत चिह्नित किया गया है। दरअसल, आज़ादी के बाद ये इलाके आधुनिक विकास प्रक्रिया के साथ न केवल तालमेल बनाने में पिछड़ रहे थे बल्कि जल, जंगल और ज़मीन पर अपने पारंपरिक अधिकार भी खोते जा रहे थे। इससे एक नए किस्म का संकट पैदा होने लगा था। ऐसे में 'पेसा' में इन समस्याओं का समाधान खोजा गया, जिसमें आदिवासी समाज के लोग अपनी नियति खुद तय करते। 'पेसा' लाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी थी कि अनुसूचित क्षेत्र 73वें संविधान संशोधन द्वारा कवर नहीं किए गए थे। लेकिन 1995 में भूरिया समिति की सिफारिशों के बाद पेसा लाया गया, जिसके ज़रिए कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ संविधान के भाग 9 को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। पेसा की खासियत यह है कि ग्रामसभा के पास अनन्य शक्तियां होंगी। यह अनिवार्य रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजना बनाने के साथ-साथ लोगों की परंपरा, रीति-रिवाज और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए सक्षम होगी। इसके अलावा, ग्रामसभा को उपयुक्त स्तर पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, खनन पट्टे जैसे मामलों में परामर्श या सिफारिश का अधिकार प्रदान किया गया है। यही नहीं, ग्रामसभा को समुचित स्तर पर लघु वनोपज के स्वामित्व, भूमि हस्तांरण को रोकने एवं हस्तांरित भूमि को बहाल करने और अनुसूचित जनजातियों को धन उधार देने पर नियंत्रण के संबंध में भी शक्तियां दी गई हैं। फैसला लेने की यह पारंपरिक पद्धति जैसे-जैसे अपने अनुभव के साथ परिपक्व होती जाएगी, वैसे-वैसे आदिवासी इलाकों में स्वशासन के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ती जाएगी।

गया था। आखिर पीढ़ियों से चले आ रहे विवादों का निपटारा कर रिकार्ड ऑफ राइट्स सुनिश्चित करना आसान कार्य नहीं था। स्वामित्व योजना हेतु 2020-25 (पांच साल) के लिए 566.23 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की मंजूरी दी गई है। पायलट परियोजना के तहत वर्ष 2020-21 में 79.65 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए इस मद में 76 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

उद्देश्य एवं महत्व

योजना निर्माण एवं भूमि विवाद निपटान : ग्रामीण योजना तैयार करने के लिए आवश्यक था कि योजनाकारों के पास भूमि का सटीक ब्यौरा उपलब्ध हो। बिना ठोस आंकड़ों के योजना की सफलता संदिग्ध होती। भू-राजस्व अभिलेखों में व्याप्त विभिन्न प्रकार की विसंगतियों या भूमि का स्पष्ट चिह्नांकन न होने के कारण विवादों का पैदा होना स्वाभाविक है। ग्रामीण भारत में भूमि संबंधी विवादों के कारण कभी-कभी सामाजिक तनाव या हिंसा-फसाद की घटनाएं भी देखने-सुनने को मिलती हैं। ऐसे में जब ड्रोन के ज़रिए राजस्व अभिलेखों को अद्यतन कर रिकार्ड ऑफ राइट्स सुनिश्चित कर दिया जाएगा, तो भू-संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। कहने का आशय यह नहीं है कि भूमि विवाद बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि इसमें काफी कमी आ जाएगी। ज़ाहिर है कि इस योजना की सफलता से लोगों को कोर्ट-कचहरी जाने से राहत मिलेगी और स्थानीय स्तर पर ही ग्रामीण विवादों के एक बड़े कारण का समाधान हो जाएगा। इससे अगर किसी को सबसे ज़्यादा लाभ होगा, तो वह गाँव के कमज़ोर तबके को होगा। यह योजना निश्चय ही समावेशी समाज की संकल्पना को साकार करने में सहायक होगी।

वित्तीय स्थिरता : स्वामित्व योजना मात्र आबादी भूमि में लोगों को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया नहीं है, चूंकि अधिकांश लोगों के पास आबादी संपत्ति पर स्वामित्व पहले से है। दरअसल, अधिकतर राज्यों में आबादी क्षेत्र का नक्शा उपलब्ध नहीं है और अधिकारों को रिकार्ड ऑफ राइट्स में दर्ज नहीं किया गया है। ऐसे में आबादी संपत्ति होने के बावजूद अगर किसी व्यक्ति के पास उसके स्वामित्व का प्रमाणपत्र नहीं है, तो उसे ऋण या अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। संपत्ति कार्ड के साथ रिकार्ड ऑफ राइट्स मिल जाने के बाद इसका इस्तेमाल कर लोगों को अपना कारोबार बढ़ाने में सहूलियत हो जाएगी। ज़मीन की खरीद-फरोख्त में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद की जा सकती है कि स्वामित्व

> "भूमि और घरों के स्वामित्व की देश के विकास में एक बड़ी भूमिका है। जब परिसम्पत्ति का रिकार्ड है तो नागरिकों में विश्वास उत्पन्न होता है।"
>
> **-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी**

जीपीडीपी: एक सकारात्मक पहल

73वां संविधान संशोधन सामाजिक समावेशन के इतिहास में मील का पत्थर है, जिसने स्थानीय स्तर पर विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए। इस संशोधन के तहत संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को जोड़ा गया। इस योजना के तहत ग्राम पंचायतों को इस बात की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए योजना तैयार करें। ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की प्लानिंग की प्रक्रिया व्यापक और भागीदारी प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित सभी मंत्रालयों व विभागों की योजनाओं का समावेश हो। इस सूची में कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई विषय शामिल हैं। इनके ज़रिए पंचायतों को ज़मीनी स्तर पर काम कराने में काफी सहूलियत होती है।

यह ऐसी सकारात्मक पहल थी जिसमें हाशिये पर पड़े समूहों (दलित, आदिवासी एवं महिलाएं) को लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का लाभ मिलता। यही नहीं, यह योजना मनरेगा का विकल्प भी बन सकती है, बशर्ते इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान हो। कारण यह है कि कृषि, सिंचाई जैसे कुछ ऐसे विषय हैं, जो दोनों योजनाओं में समान रूप से मिलते हैं। लेकिन मनरेगा के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को कम स्वायत्तता प्राप्त है, इसलिए वे इसे प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर पातीं। सत्ता के विकेंद्रीकरण का तकाज़ा है कि या तो मनरेगा के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बढ़ाई जाए या ग्राम पंचायत विकास योजना से मिलते-जुलते इसके कार्यों के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी पंचायतों को ही सौंप दी जाए। वैसे भी कम मजदूरी के कारण मनरेगा पहले की तरह आकर्षक नहीं रह गया है।

योजना ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन में वित्तीय स्थिरता लाने में सहायक होगी।

संपत्ति कर प्रबंधन : संपत्ति कर संग्रह प्रणाली के प्रबंधन में सुधार स्वामित्व योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। कुछ राज्यों ने संपत्ति रजिस्टर और संपत्ति कर एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन इनमें से अधिकांश प्रणालियों को स्वामित्व योजना के पहले डिजाइन किया गया था। ऐसी स्थिति में स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए मैप और डेटा ने बेहतर संपत्ति कर प्रबंधन के लिए एक अवसर प्रदान किया है। कर योग्य संपत्ति की पहचान व मूल्यांकन करने, सटीक संपत्ति रजिस्टर तैयार करने आदि में स्वामित्व योजना के आंकड़ों का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। इस तरह यह पंचायती व्यवस्था को वित्तीय दृष्टि से सक्षम बनाने में सहायक होगी। अगर पंचायतों के पास अपने स्रोतों से पर्याप्त राजस्व होगा, तो वे ग्राम समाज की ज़रूरत के मुताबिक खर्च करेंगे। ध्यान देने की बात है कि अपने स्रोतों से पंचायतों को बहुत कम राजस्व प्राप्त होता है- आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के मुताबिक कुल राजस्व का करीब पांच प्रतिशत, बाकी हिस्सा केंद्र और राज्यों से आता है। अगर 15वें वित्त आयोग के आकलन पर विश्वास करें, तो कह सकते हैं कि संपत्ति कर वसूली को दुरुस्त करके पंचायतों के पास अपना राजस्व स्रोत बढ़ाने की काफी संभावना है।

डेटा निर्माण : सर्वे ढांचा और जीआईएस मैप के निर्माण का लाभ आगे चलकर किसी भी विभाग को मिल सकता है। कोर्स (कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस सिस्टम) स्टेशन का उपयोग लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, बिजली, जल जैसे विभागों द्वारा सर्वे के लिए किया जा सकता है। यही नहीं, जीआईएस मैप ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के बेहतर क्रियान्वयन में भी काफी उपयोगी होगा। भू-स्थानिक बाज़ार के विस्तार के साथ उम्मीद है कि उद्योगों द्वारा भी इन आंकड़ों का निकट भविष्य में उपयोग किया जाए।

क्रियान्वयन की स्थिति एवं प्रक्रिया

इस केंद्रीय योजना के क्रियान्वयन में पंचायती राज मंत्रालय के साथ राज्यों के राजस्व व पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग भागीदारी कर रहे हैं। अब तक 31 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश अपने यहां स्वामित्व योजना को क्रियान्वित कराने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 1 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार देश के 2.32 लाख गाँवों का ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है। अब तक करीब 70 हजार गाँवों में 1.20 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

अपनी तार्किक पूर्णता तक पहुँचने से पहले इस योजना को चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रारंभिक गतिविधि के तहत जब राज्य एवं सर्वे आफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद ज़िलों एवं उसके गाँवों की पहचान हो जाती है, तब सर्वे की तैयारी शुरू की जाती है। सर्वे पूर्व गतिविधि के तहत

'कोर्स' स्टेशन एवं कंट्रोल प्वाइंट की स्थापना की जाती है। इस प्रकार देश में 567 कोर्स स्टेशनों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाना है। यह नेटवर्क सटीक मैपिंग में मदद करेगा।

जब सर्वे का कार्य शुरू होता है, तब आबादी और संपत्ति को चिह्नित कर ड्रोन के ज़रिए व्यापक पैमाने पर मैपिंग का काम किया जाता है। जिस गाँव का सर्वे किया जाता है, उसके पहले उस गाँव के लोगों को इसकी सूचना दे दी जाती है, ताकि वे उस दिन वहां उपस्थित रहें। सर्वे पूरा हो जाने के उपरांत मैप तैयार कर ज़मीनी-स्तर पर उसका सत्यापन किया जाता है। अगर उसमें कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे दूर किया जाता है। फिर जिनके नाम पर ज़मीन है, इसकी जानकारी पूरे गाँव को दी जाती है। इसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति दर्ज करानी होती है तो इसके लिए कुछ समय दिया जाता है। विवाद समाधान के बाद ही संपत्ति कार्ड प्रदान किया जाता है। इस योजना के संचालन के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल भी शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से किसान अपनी भूमि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

समस्याएं एवं चुनौतियां

क्रियान्वयन में देरी : ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के क्रियान्वयन की गति कुछ धीमी है। यह कई बातों पर निर्भर है। कहीं-कहीं यह देखा जा रहा है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग को सर्वे किए जाने वाले गाँवों की देर से सूचना मिलना, अग्रिम प्रचार का अभाव, कलस्टर आधारित ड्रोन उड़ाने का अनुपालन नहीं करना, मौसम की उपयुक्तता जैसे कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, तो यह राज्यों की तैयारी पर भी निर्भर है; मसलन संपत्ति कार्ड के लिए राज्यों द्वारा कानूनी ढांचे की तैयारी आदि। इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य की संबद्ध एजेंसियां इसकी निगरानी करें, ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो। सरकारी कारकों से परे योजना के क्रियान्वयन में देरी का एक बड़ा कारण गाँवों में आपसी विवाद भी हैं। कभी-कभी एक ही ज़मीन के लिए एक से अधिक दावेदार खड़े हो जाते हैं। अगर ज़मीन सरकारी रही तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है। ज़ाहिर है ऐसी स्थिति में संपत्ति कार्ड बनाने में विलंब होगा।

संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता : यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि संपत्ति कार्ड की कानूनी वैधता आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी विवाद की संभावना न रहे। फिर आबादी संपत्ति की ज़मानत पर बैंकों द्वारा कर्ज़ प्रदान करने के लिए स्वामित्व दस्तावेज़ आवश्यक है। यह गाँव की कृषि भूमि के रिकार्ड ऑफ राइट्स के समान होना चाहिए। आबादी संपत्ति सुरक्षा (सिक्युरिटीज़) के रूप में स्वीकार करने के लिए सबसे पहले उधारकर्ता के पास स्वामित्व के स्पष्ट प्रमाण के रूप में संपत्ति कार्ड हो। इसके अलावा, उस संपत्ति को बंधक रखने और डिफाल्ट की हालत में बैंक उसको बेचकर बकाया ऋण की वसूली कर सकने की स्थिति में हों। ऐसे में राज्यों को उपयुक्त कानूनी प्रावधान करना होगा, ताकि संपत्ति कार्डधारकों को ऋण प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।

डेटा सुरक्षा : स्वामित्व योजना के डेटा को अनाधिकृत परिवर्तनों और जोड़-तोड़ से बचाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस डेटा का उसकी संवेदनशीलता के मद्देनज़र वर्गीकरण करने और उसकी सुरक्षा के उपाय करने की आवश्यकता है। डेटा की सुरक्षा की तरह ही लोगों की निजी जानकारी की गोपनीयता भी महत्वपूर्ण है। चूंकि बहुत सारे विभाग इसके आंकड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए उचित होगा कि इनका स्वामित्व किसी एजेंसी के पास रहे। स्वामित्व योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक पंचायती राज मंत्रालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राज्य सरकारों का इन आंकड़ों पर संयुक्त स्वामित्व है।

डेटा अपडेट : जिस प्रकार सर्वेक्षण ढांचा और भू-स्थानिक डेटा के निर्माण में भारी पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, अगर यदि स्वामित्व डेटा को समय-समय पर अपडेट नहीं किया जाएगा, तो वह उस पर हो रहे खर्च का समुचित उपयोग नहीं होगा। हालांकि राज्यों के पास रिकार्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करने का प्रावधान है, लेकिन स्वामित्व योजना के तहत तैयार किए गए डेटा को अद्यतन करने के लिए कोई नीति या दिशानिर्देश नहीं हैं। ध्यान रहे रिकार्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करने के लिए पहली बार भू-स्थानिक डेटा का उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीण विवादों को कमतर रखने के लिए रिकार्ड ऑफ राइट्स को अपडेट करना आवश्यक है। ❑

भारत को मिला समावेशी,

एक कृषि-प्रधान राष्ट्र के लिए, खाद्य सुरक्षा की गारंटी के अलावा, कृषि और संबद्ध गतिविधि क्षेत्र हमारे समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 'सबका साथ, सबका विकास' को अपना मार्गदर्शक दर्शन मानने वाली केन्द्र सरकार के लिए किसानों के समावेशी और सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देना सर्वोपरि है। पिछले छह वर्षों में, भारतीय कृषि क्षेत्र 4.6% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। यह भारत के अन्नदाताओं के लिए दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित करते हुए आधुनिक और सतत कृषि प्रणालियों के बीच संतुलन के लिए मोदी सरकार के प्रयासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय में वृद्धि को अपने प्राथमिक लक्ष्यों में से एक के रूप में निर्धारित किया है। सरकार का लक्ष्य उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादन की लागत को कम करना तथा उच्च कीमतों को सुनिश्चित कर किसानों को प्रत्यक्ष आय अंतरण द्वारा इसे प्राप्त कराना है।

फसल की पैदावार पर जोर देने के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा

2014 से, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना और प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सहित कई पहलों ने सिंचाई में सुधार, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और प्रतिकूल मौसम के कारण फसल के नुकसान को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है।

PMKSY का एक हिस्सा, 'प्रति बूंद, अधिक फसल' (पर ड्रॉप, मोर क्रॉप) ने सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, उत्पादक सामग्री की लागत को कम करने और कृषि स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है।

प्रति बूंद, अधिक फसल

2015-16 में लागू होने के बाद लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर हुई और इसमें लगभग 1,116% की वृद्धि दर्ज की गयी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के फसल बीमा दावों को मंजूरी दी गई है। 2016 में लॉन्च होने के बाद से PMFBY के तहत कवर किए गए छोटे किसानों की हिस्सेदारी में 282% की वृद्धि हुई है।

एक स्वच्छ पर्यावरण की ओर बढ़ने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है जिससे मिट्टी की सेहत में सुधार होगा और भोजन में पोषण की मात्रा बढ़ेगी। सतत कृषि की ओर बढ़ने के लिए, दिसंबर 2022 में, केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन को 1,600 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय के साथ मंजूरी दी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

● 2016-17 ● 2020-21

कुल आवेदन: 38 करोड़

दावों पर कुल भुगतान: 1,30,000 करोड़ रुपये*

* अनुमानित मूल्य

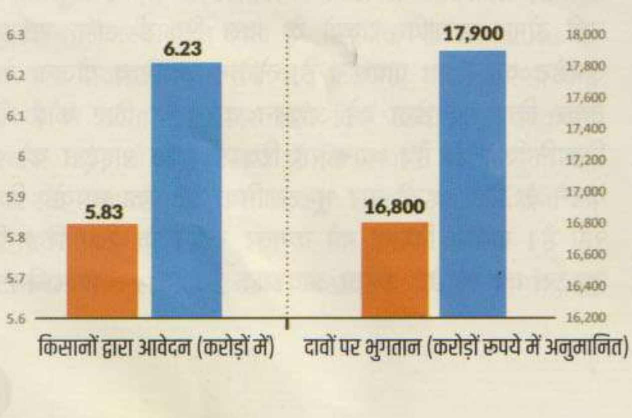

इसके अनुरूप, केंद्रीय बजट 2023-24 में कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष (एएएफ) और उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग-मुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम की भी घोषणा की गई है।

मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड

22 करोड़ कार्ड — **2015 से अब तक देश भर के किसानों को बांटे जा चुके हैं**

किसानों को सीधे लाभ के रास्ते खोले

पिछले नौ वर्षों के दौरान, मोदी सरकार का ध्यान किसानों की संसाधनों तक पहुंच बढ़ाने से हटकर कृषि उपज के लिए उच्च मूल्य सुनिश्चित करने और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में वित्तीय सहायता पर केंद्रित रहा है।

किसानों को निवेश पर बेहतर रिटर्न के लिए, मोदी सरकार सभी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में लगातार वृद्धि कर रही है। इसके अलावा, मुख्य उपज गेहूं और चावल की फसलों से इतर अधिक पौष्टिक और मिट्टी के अनुकूल फसलों की खेती में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए, सरकार दलहन और तिलहन पर एमएसपी बढ़ा रही है|

मोदी सरकार ने अपने अनेक क़दमों से यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय मोटा अनाज भारत में और वैश्विक स्तर पर स्वस्थ आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। पीएम मोदी के दृष्टिकोण और प्रयासों के कारण संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के समर्थन के साथ 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष' के रूप में घोषित किया है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटा अनाज की खेती में सर्वोत्तम प्रणालियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा देगी।

2019-20 के केंद्रीय बजट में, मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की घोषणा की, जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना है, जिसमें प्रति वर्ष प्रति भूस्वामी किसान 6,000 रुपये का नकद सहयोग प्रदान किया जाता है। तीन साल की अवधि में, इस योजना ने पूरे भारत में जरूरतमंद किसानों को कुल 2 लाख करोड़ रुपये की नकद सहायता प्रदान की है। सस्ती दर पर झंझट मुक्त ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)** योजना किसानों को किसी भी समय कृषि उत्पादों और सेवाओं को ऋण पर खरीदने के लिए सशक्त बनाती है।

फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

2014-15 और 2022-23 के बीच गेहूं के एमएसपी में 52%, धान के एमएसपी में 56% की बढ़ोतरी हुई

पीएम-किसान

शुरुआत के बाद से 10 करोड़ से अधिक किसानों को नकद सहायता प्राप्त हुई है।

दिसंबर 2018 से कुल लाभार्थियों में 230% से अधिक की वृद्धि हुई।

दूरदर्शी और सतत कृषि वातावरण

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सहायता

30 दिसंबर 2022 तक 3.89 करोड़ किसानों को केसीसी जारी हुए

मौजूदा नीतियों को मजबूत करने के लिए की गई पहलों और उपायों के परिणामस्वरूप, पिछले कुछ वर्षों में संस्थागत कृषि ऋण प्रवाह में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2022 का कृषि ऋण लक्ष्य 16.5 लाख करोड़ रुपये था जबकि वास्तविक वितरित कृषि ऋण इस लक्ष्य से 13% अधिक था। सरकार की मंशा 2022-23 के लिए 18.5 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाना है।

कृषि क्षेत्र को संस्थागत ऋण में 119% की वृद्धि

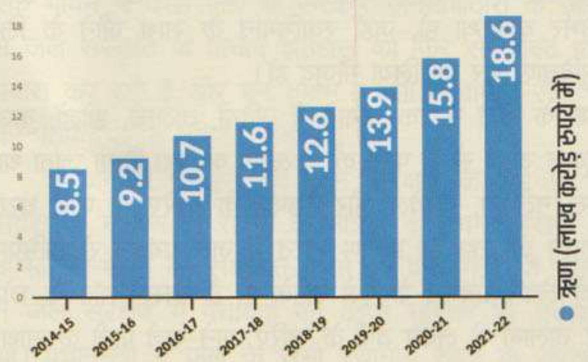

भारत के लिए एक स्मार्ट और सतत कृषि योजना का विकास

खेती और कृषि गतिविधियों में नए युग की तकनीकों को अपनाने जैसे मानव रहित मशीनरियों आदि के उपयोग को बढ़ावा देकर, खेती की लागत को कम करना और कृषि से आय में वृद्धि करना सरकार का लक्ष्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों, महिलाओं और पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को कृषि उपयोग के लिए ड्रोन की खरीद के लिए, ड्रोन की लागत का 50% या अधिकतम 5 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

केंद्रीय बजट 2023-24 में, 127 करोड़ रुपये किसान ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किये गए हैं।

उर्वरकों के समानुपातिक उपयोग के माध्यम से कृषि उपज में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए, सरकार एक राष्ट्र, एक उर्वरक योजना की दिशा में काम कर रही है ताकि किसानों को भारत ब्रांड के गुणवत्ता वाले उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराये जा सकें। इस उपाय से माल ढुलाई सब्सिडी की राशि का 5% बचाने का अनुमान है।

उर्वरकों की खरीद और ज्ञान के लिए, 12,000 **प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके)** वन-स्टॉप शॉप के रूप में स्थापित किए गए हैं। यह केंद्र मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ कृषि-इनपुट प्रदान करते हैं।

इसके अलावा,किसानों की आय को दोगुना करने के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए, **इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई-एनएएम (e-NAM)** जैसी पहल के माध्यम से किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर बाजार मूल्यों में सहायता कर रही है।

31 दिसंबर 2022 तक, 1.7 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.3 लाख से ज्यादा व्यापारी ई-एनएएम (e-NAM) पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी, कर्नाटक में पीएम-किसान योजना की 13वीं किस्त जारी करते हुए।

> "देश की कृषि की असली ताकत छोटे किसान हैं जो देश की 80-85 प्रतिशत आबादी के लिए एक या दो एकड़ जमीन पर कड़ी मेहनत करके उपज पैदा करते हैं।"
>
> \- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

बदलती कृषि, बदलता भारत

पिछले नौ वर्षों के दौरान, कृषि में क्रांति लाने के मोदी सरकार के प्रयासों ने कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र में, महत्त्वपूर्ण मदद देकर देश के समग्र वृद्धि और विकास में ब योगदान दिया है। 2015-16 से कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियों के क्षेत्र के निर्यात 53% की वृद्धि देखी गई।

कृषि से संबंधित क्षेत्र की सफलता इस तथ्य से निर्धारित की जा सकती है कि भारत दुनिया व सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत ने 2014-15 से दूध उत्पादन व 51% की वृद्धि दर्ज की है। 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान दिया।

दालों और बागवानी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करने और कृषि-प्रसंस्करण, कृषि और खेती व एक व्यवसाय के रूप में बढ़ावा देने के परिणामस्वरूप कृषि आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

2021-22 में 316 मिलियन टन खाद्यान्न और 342 मिलियन टन बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है

कृषि क्षेत्र में इस उत्साहजनक प्रदर्शन के लिए, मोदी सरकार द्वारा उठाए गए विकासशी कदमों को ही श्रेय दिया जाएगा, जिसमें किसान-उत्पादक संगठनों को सहायता, फसल विविध को बढ़ावा देना और मशीनीकरण की मदद से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना शामिल है।

मोदी सरकार की किसान-समर्थक और जन समर्थक नीतियों से निर्भरता, लचीलापन अं जीविका का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हुआ है।। मोदी सरकार के प्रौद्योगिव आधारित दृष्टिकोण ने भारत में समावेशी और सतत कृषि के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा

जल प्रबंधन : ग्राम पंचायतों की भूमिका अहम

जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है जिसमें फैसले लेने का अधिकार शासन के सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायतों को इतना अधिक अधिकार संपन्न और सक्षम बनाया जा रहा है कि वे अपने-अपने गाँव के भीतर जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने और लागू करने के साथ-साथ उसे रोज़ाना के आधार पर चला भी सकें और रखरखाव की भी पूरी ज़िम्मेदारी उठा सकें।

-संतोष कुमार पाठक

जल ही जीवन है और जल के बिना मनुष्य के लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। यह पंक्तियां तो हम सबने सुनी या पढ़ी ज़रूर होंगी। हममें से ज़्यादातर लोगों ने देश के गाँवों को लेकर महात्मा गाँधी का यह चर्चित कथन भी ज़रूर पढ़ा-सुना होगा कि 'भारत की आत्मा गाँवों में बसती है।' इसलिए जब भी ग्रामीण भारत यानी देश के गाँवों में जल प्रबंधन की बात आती है तो उसमें भारतीय लोकतंत्र एवं शासन व्यवस्था की सबसे निचली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई 'ग्राम पंचायत' की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह भी याद रखने योग्य बात है कि 'ग्राम स्वराज्य' के बारे में महात्मा गाँधी की भी यही परिकल्पना थी कि प्रत्येक गाँव स्वयं में एक संपूर्ण और पूर्णतः आत्मनिर्भर व्यवस्था हो, जहाँ स्वाभिमान के साथ जीने के लिए सभी सुविधाएं और प्रणालियां मौजूद हों।

देश के गाँवों में एक ज़माने में नदियों, तालाबों, झीलों, कुओं और भूजल स्त्रोतों से ही पानी की जरूरतों को पूरा किया जाता था। आजकल नलकूप, बोरवेल और हैंडपंपों के ज़रिए भी पानी धरती से निकाला जा रहा है। ग्रामीण भारत में जल प्रबंधन से अभिप्राय जल को लेकर प्रबंधन के ऐसे तरीके से है जिसमें गाँव के छोटे से छोटे तालाबों से लेकर वर्षा के ज़रिए आने वाले पानी के साथ-साथ भूजल का इस प्रकार से प्रबंधन किया जाए जिससे ग्रामीणों के घर तक नल के ज़रिए न केवल पीने का शुद्ध पानी पहुँचे बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी की उपलब्धता बनी रहे।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : mediasantoshpathak@gmail.com

जल संरक्षण भी जल प्रबंधन का ही अंग है। जल को लेकर केंद्र सरकार की योजनाएं विकेंद्रीकृत तरीके से समुदाय द्वारा भूजल और वर्षा के पानी के प्रबंधन पर ज़्यादा ज़ोर देती हैं। देश में जल आपूर्ति और उसके प्रबंधन को लेकर सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तरफ जहाँ सरकार **जल जीवन मिशन** के ज़रिए प्रत्येक ग्रामीण घर तक नल से शुद्ध पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ **अटल भूजल योजना** के ज़रिए भूजल प्रबंधन की कोशिश की जा रही है। साथ ही, **कैच द रेन** कैंपेन के ज़रिए वर्षा के पानी के संरक्षण पर ज़ोर दे रही है। इसके अलावा, अमृत सरोवर योजना के माध्यम से वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए नए तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता देने के साथ-साथ पुरानी जल संरचनाओं का भी जीर्णोद्धार, नवीनीकरण और पुनःस्थापना की जा रही है। एक मायने में देखा जाए तो सरकार जनभागीदारी के ज़रिए देश में जल संस्कृति के प्राचीन इतिहास को फिर से जीवंत करने का प्रयास कर रही है और इन तमाम प्रयासों में ग्रामीण स्तर पर देश की पंचायतें अहम भूमिका निभा रही हैं।

5 जनवरी, 2023 को जल संरक्षण के मुद्दे पर वीडियो संदेश के माध्यम से राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण में पंचायतों की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला था। प्रधानमंत्री ने जल के सभी स्थानीय स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन पर ध्यान देने का आह्वान करते हुए यह दोहराया था कि "ग्राम पंचायतें अगले 5 वर्षों के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें, जिसमें जल आपूर्ति से लेकर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन तक के रोडमैप पर विचार किया जाए।" साथ ही, उन्होंने पंचायत स्तर पर जल बजट की वकालत करते हुए राज्यों से भी यह कहा था कि, "किस गाँव में कितने पानी की जरूरत है और इसके लिए क्या काम किया जा सकता है, और उसी आधार पर पंचायत स्तर पर जल बजट तैयार करने के तरीके अपनाए जाएं।"

प्रधानमंत्री ने ग्राम पंचायतों द्वारा ही जल जीवन मिशन का नेतृत्व करने का प्रस्ताव देते हुए यहाँ तक कह दिया कि, "ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन का नेतृत्व करें और काम पूरा होने के बाद वे यह भी प्रमाणित करें कि पर्याप्त और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत भी एक मासिक या त्रैमासिक रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकती है, जिसमें गाँव में नल से पानी प्राप्त करने वाले घरों की संख्या बताई गई हो।" उन्होंने पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जल परीक्षण की व्यवस्था भी विकसित करने की बात कही थी।

जैसाकि हम ऊपर पहले ही बता चुके हैं कि ग्रामीण भारत में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के दो महत्वपूर्ण आयाम हैं- पहला,

मिशन अमृत सरोवर

प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण की दृष्टि से 24 अप्रैल, 2022 को अमृत सरोवर पर एक नया मिशन आरंभ किया, जिसका उद्देश्य आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। 15 अगस्त, 2023 तक एक एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण किया जाना है। यह मिशन समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आरंभ किया गया है जिसमें 6 मंत्रालय एवं विभाग- ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय शामिल हैं। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) का चयन मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में किया गया है। यह मिशन राज्यों की अपनी योजनाओं के अतिरिक्त राज्यों और ज़िलों के माध्यम से महात्मा गाँधी नरेगा, 15वां वित्त आयोग अनुदान, पीएमकेएसवाई की उप योजनाओं जैसे जलसंभर विकास घटक, हर खेत को पानी जैसी विभिन्न योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करके काम करता है। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त, 2023 तक पूरा किया जाना है।

देश में लगभग 50,000 ऐसे अमृत सरोवरों का निर्माण करना है जिनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर के पास 10,000 घनमीटर की जलधारण क्षमता के साथ लगभग एक एकड़ का क्षेत्र होगा। बहु-उद्देश्यीय स्वरूप में बन रहे अमृत सरोवरों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मज़बूत होगी। सरोवर में मछली पालन, मखाने की खेती एवं पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने से ग्रामीण खाद्यान्न का अधिक उत्पादन करके खुद को समृद्ध बना सकेंगे।

मिशन अमृत सरोवर के शुभारंभ के 6 महीने के भीतर ही 25,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया था। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, 12 मार्च, 2023 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए 98,337 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 63,904 स्थलों पर काम शुरू कर दिया गया है। 12 मार्च, 2023 तक 35,902 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त, 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

जनसहभागिता से जल संरक्षण की मिसाल बना धसपड़ गाँव

जल संरक्षण और संवर्धन पर शानदार काम करने के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी ब्लॉक के धसपड़ गाँव की ग्राम पंचायत को **श्रेष्ठ ग्राम पंचायत** के तौर पर वर्ष 2022 में तीसरे **राष्ट्रीय जल पुरस्कार** से सम्मानित किया जा चुका है। धसपड़ की ग्राम पंचायत ने जनसहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण को लेकर ऐसा अभूतपूर्व काम किया जिससे यह गाँव एक मॉडल गाँव के रूप में उभर कर सामने आया।

पहाड़ पर स्थित इस गाँव में सिंचाई की व्यवस्था न के बराबर थी और सिंचाई के लिए किसान केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर रहा करते थे लेकिन यहां की ग्राम पंचायत ने जल संरक्षण की दिशा में काम करते हुए गाँव के लोगों की मदद से छोटे-मध्यम तालाब, चाल-खाल, खंतियां, रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग टैंक, सामूहिक सिंचाई टैंक और बारिश के पानी को रोकने के लिए इस तरह के कई अन्य टैंकों और ड्राई स्टोन चेकडैम का निर्माण किया। गाँव की तलहटी में बने चेकडैम की मदद से पहले पानी को रोक कर और फिर सौर ऊर्जा से संचालित वॉटर लिफ्ट पंप की सहायता से 118 मीटर ऊपर स्थित 20 हजार लीटर के टैंक तक पानी लाकर सिंचाई की जाती है। इस तरह के नए-नए वैज्ञानिक प्रयोगों ने जहां एक तरफ गाँव में सिंचाई की समस्या का समाधान कर दिया तो वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से ग्रामीणों की खेती योग्य ज़मीनों का भी रकबा कई हेक्टेयर बढ़ गया है। जल संरक्षण के लिए किए गए इन प्रयासों के कारण गाँव वालों की आमदनी में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई है।

हर ग्रामीण के घर तक पीने का शुद्ध पानी नल के जरिए पहुँचे और दूसरा, हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहे। इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्र की मोदी सरकार कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है और इन कार्यक्रमों को कामयाब बनाने में ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बल्कि एक मायने में देखा जाए तो हर घर तक जल पहुँचाने के लिए चलाया जा रहा जल जीवन मिशन और पानी समितियां ग्राम स्वराज को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा प्रमाण बन चुकी हैं।

वर्ष 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्राम पंचायत को लेकर गुजरात में किए गए प्रयोगों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेष कर जल और स्वच्छता के लिए, सवा दो लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। सरकार जहाँ एक तरफ ग्राम पंचायतों को ज़्यादा-से-ज़्यादा अधिकार दे रही है, वहीं दूसरी तरफ, पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

गाँव और पानी, खासतौर से पीने के पानी का जब भी ज़िक्र होता है तो हम सबकी आँखों के सामने फिल्मों के कई दृश्य तैरते नजर आने लगते हैं जिसमें गाँव की महिलाएं और बच्चे मीलों दूर तक पैदल जाकर पीने का पानी लाते नजर आते हैं। ये दृश्य हम सबने फिल्मों में ज़रूर देखा है लेकिन वास्तव में देश के गाँवों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए पीने की पानी की यह कमी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा और पानी की तलाश रोजमर्रा का किस्सा बन चुकी थी। इस समस्या को चुनौती के रूप में लेते हुए प्रधानमंत्री ने अपने दूसरे कार्यकाल में 15 अगस्त, 2019 को **जल जीवन मिशन** की शुरुआत की जिसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के साथ-साथ स्कूलों, आँगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों और सामुदायिक भवनों जैसे सार्वजनिक संस्थानों तक नल कनेक्शन के ज़रिए शुद्ध पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कर गाँवों में रहने वाले लोगों, खासतौर से महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाना है।

राज्यों और ग्राम पंचायतों की भागीदारी से चलाए जा रहे इस **जल जीवन मिशन** के ज़रिए जहाँ एक तरफ ग्रामीण महिलाओं को दूर-दूर से बड़े-बड़े मटकों और बर्तनों में पानी ढोकर लाने की सदियों से चली आ रही मजबूरी से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ, सभी गाँवों को जल, स्वच्छता और साफ-सफाई का महत्व समझाते हुए उन्हें 'वॉश' (WASH)* प्रबुद्ध गाँव बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसमें देश की ग्राम पंचायतों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।

पानी की सुनिश्चित सर्विस डिलीवरी के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में प्रत्येक ग्राम पंचायत और उसकी उपसमिति (जिसे पानी समिति अथवा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति भी कहा जाता है) निर्णायक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम पंचायतों की भूमिका इसलिए भी काफी निर्णायक हो जाती है क्योंकि जल जीवन मिशन एक विकेंद्रीकृत कार्यक्रम के रूप में ही लागू किया जा रहा है जिसमें फैसले लेने का अधिकार शासन के सबसे निचले स्तर ग्राम पंचायत को दिया गया है। ग्राम पंचायतों को इतना अधिक अधिकार संपन्न और सक्षम बनाया जा रहा है कि वे अपने-अपने गाँव के भीतर जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने और लागू करने के साथ-साथ उसे रोजाना के आधार पर चला भी सकें और रखरखाव की भी पूरी ज़िम्मेदारी उठा सकें। इस मिशन के तहत प्रत्येक गाँव को एक इकाई के रूप में लिया जा

*WASH - Water, Sanitation & Hygiene

रहा है और पांच वर्षीय ग्राम कार्ययोजना के जरिए स्थानीय पेयजल स्रोतों की सुरक्षा और वृद्धि के साथ ही ग्रे-वॉटर को उचित ढंग से एक जगह एकत्र कर उसके शोधन और पुनरुपयोग पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

जल संरक्षण में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का अंदाजा 15वें वित्त आयोग की सिफारिश से भी लगाया जा सकता है। 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 2,36,805 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है जिसमें से 40 प्रतिशत राशि शर्त रहित मूल अनुदान के रूप में है जबकि 60 प्रतिशत राशि पेयजल, वर्षा जल संचयन, जल के पुनरुपयोग, स्वच्छता और ओडीएफ दर्जा बनाए रखने के लिए सशर्त अनुदान के रूप में है। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में यह भारी निवेश आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, गाँवों में रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहा है। यह सरकार का एक ऐसा प्रगतिशील कदम है जिसके जरिए गाँवों को बेहतर स्वच्छता के साथ-साथ पीने योग्य पानी की भी आपूर्ति की जा रही है। भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए 21 पात्र राज्यों को 2022-23 में अब तक 22,975.34 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन योजना की कामयाबी का अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। अगस्त 2019 में जब इस मिशन की घोषणा की गई थी, उस समय देश के कुल 18.7 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.23 करोड़ घरों में ही पीने के पानी का कनेक्शन था यानी ग्रामीण भारत के लगभग 17 प्रतिशत घरों तक ही कनेक्शन के माध्यम से पानी पहुँच रहा था। लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार, 10 मार्च, 2023 तक देश के कुल 19.42 करोड़ ग्रामीण घरों में से अब देश के 11.40 करोड़ से अधिक (58.73 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पानी मिल रहा है।

केंद्र सरकार द्वारा 27 दिसंबर, 2022 को जारी विस्तृत आंकड़ों (वर्षांत समीक्षा 2022) के मुताबिक, अब तक देश के 125 जिलों और 1,61,704 गाँवों को 'हर घर जल' के रूप में दर्ज किया गया है। पंचायत स्तर पर अब तक 5.18 लाख ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समितियों का गठन किया गया है, और निरंतर पेयजल आपूर्ति प्रबंधन के लिए 5.09 लाख ग्राम कार्य योजनाएं विकसित की गई हैं, जिनमें आवश्यक जल आपूर्ति योजना के प्रकार, लागत अनुमान, कार्यान्वयन कार्यक्रम, ओ एंड एम व्यवस्था और आंशिक पूंजी लागत के लिए प्रत्येक घर से योगदान का विवरण है।

पंचायत स्तर पर ही महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, प्रत्येक गाँव में कम से कम पांच महिलाओं को ग्राम स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी तक 1.95 लाख गाँवों में 16.22 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) का उपयोग करके 57.99 लाख से अधिक पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।

ग्राम पंचायत सिर्फ जल सरंक्षण से जुड़े कामों पर विभिन्न स्तरों पर ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है बल्कि इसके साथ ही, जब एक बार किसी गाँव को 'हर घर जल' घोषित कर दिया जाता है तो उस गाँव की ग्राम पंचायत एक विशेष ग्रामसभा आयोजित करती है और गाँव के सभी सदस्यों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित करती है कि उनके गाँव के सभी घरों, स्कूलों, आँगनवाड़ी और सार्वजनिक संस्थानों में नल का जल कनेक्शन काम कर रहा है और इस तरह खुद को 'हर घर जल' प्रमाणित घोषित करती है।

सरकार के निरंतर अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप 8.72 लाख (84.83 प्रतिशत) से अधिक स्कूलों और 9.02 लाख (80.79 प्रतिशत) आँगनवाड़ी केंद्रों में नल के जल की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। चार राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों ने स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों में 100 प्रतिशत नल का जल कनेक्शन सुनिश्चित कर दिया है। शेष राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्कूलों और आँगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि देश के बच्चों को सुरक्षित पेयजल मिल सके जो शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

पीने के शुद्ध पानी के साथ ही देश के गाँवों में खेतों तक सिंचाई के लिए पानी पहुँचाना भी जरूरी है क्योंकि कृषि प्रधान देश भारत में खेती के लिए पानी बहुत जरूरी है और इसके लिए सिर्फ मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसे ध्यान में रखते हुए पानी से हर किसी का संबंध बनाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय आह्वान के रूप में **जल शक्ति अभियान** शुरू किया गया जिसमें जल संरक्षण और पुनर्भरण के प्रयासों में लाखों लोग शामिल थे। इस अभियान ने सार्वजनिक भागीदारी और समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ 6 लाख से अधिक जल संबंधी संरचनाओं का निर्माण और कायाकल्प किया। जल शक्ति अभियान - 2019 के बाद जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2020 मे **बारिश को थाम लो** (कैच द रेन)

जल संरक्षण के क्षेत्र में मलकपुरा ग्राम पंचायत का उल्लेखनीय कार्य

जल प्रबंधन और जल सरंक्षण के क्षेत्र में ग्राम पंचायतें कितना बेहतरीन काम कर रही है और उनकी कोशिशों से कितना क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है, इसे उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले की मलकपुरा ग्राम पंचायत के कामकाज से समझा जा सकता है। जल शक्ति मंत्रालय ने जालौन के मलकपुरा के ग्राम प्रधान अमित को जल सरंक्षण, जल संसाधनों के सतत विकास, तलछट की सफाई के ज़रिए जलशोधन और अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय में पोषक भोजन उपलब्ध कराने, पौधारोपण और पर्यावरण सुरक्षा जैसी विभिन्न विकास गतिविधियों में हिस्सा लेने के कारण सितंबर 2022 में अगस्त-2022 के लिए **'वॉटर हीरोज़ : शेयर यूअर स्टोरीज़ कंटेस्ट'** अर्थात **'जलनायक'** पुरस्कार से सम्मानित किया।

इसी बुंदेलखंड के जालौन ज़िले के ग्राम प्रधान अमित ने मलकपुरा में जल सरंक्षण को लेकर विशेष प्रयास करते हुए पानी को सरंक्षित करने के लिए वॉटर रिसाइकल बिन प्रक्रिया को अपनाया। उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों का शानदार सदुपयोग करते हुए 'सेडीमेंटेशन' तकनीक के ज़रिए गंदे और प्रदूषित पानी का ट्रीटमेंट कर उसे इस्तेमाल करने लायक बनाया। उन्होंने 'सेडीमेंटेशन' और 'भूजल पुनर्भरण प्रक्रिया' के ज़रिए एक तरफ जहां गाँव के अंदर किसी भी प्रकार का गंदा पानी जमा नहीं होने दिया तो वहीं दूसरी तरफ, गाँव के घरों से निकलने वाले गंदे और प्रदूषित पानी का उपचार कर, इसे फिर से स्वच्छ बनाया। इसका एक फायदा यह भी हुआ कि गाँव के घरों से निकलने वाले गंदे और प्रदूषित पानी को नाली, नदियों और तालाबों में भी जाने से रोक दिया गया। इसके लिए उन्होंने गाँव के बाहर 9×9 के चार बड़े गड्ढे बनवाए। गाँव की नाली के गंदे पानी को इन गड्ढों तक पहुँचा कर वहां पर पानी को सेडीमेंटेशन के माध्यम से स्वच्छ किया जाता है और फिर इस स्वच्छ पानी को ही गाँव के तालाब तक पहुँचाया जाता है। उन्होंने गाँव की नालियों में बहने वाले गंदे पानी को 'ब्लैक वॉटर ट्रीटमेंट सेडीमेंटेशन एंड ग्राउंडवॉटर रिचार्जिंग' तकनीक का सहारा लेकर स्वच्छ बना दिया, 'ब्लैक वॉटर' को 'ग्रीन वॉटर' में बदल दिया। इससे स्वच्छ हुए तालाब के पानी का उपयोग गाँव के लोग घरेलू कामों और सिंचाई के लिए कर रहे हैं। इस गाँव के पंचायत की बिल्डिंग भी वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से लैस है। जल सरंक्षण के लिए सोकपिट और वृक्षारोपण पर भी काफी ज़ोर दिया जा रहा है।

अभियान का शुभारंभ किया गया। कोविड के दौरान भी इस अभियान से मिली भारी प्रतिक्रिया ने सरकार को इसे एक वार्षिक कार्यक्रम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो मानसून के मौसम से पहले शुरू होता है और अगले छह महीनों तक जारी रहता है।

इसकी सफलता से उत्साहित, सरकार ने **जल शक्ति अभियान : बारिश को थाम लो-2023** की शुरुआत की जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति महोदया ने किया जिसका विषय 'पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता' रखा गया, जो इस श्रृंखला में चौथी है। जल शक्ति अभियान के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीटीआर-2023 में इन पाँच गतिविधियों- (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन (2) सभी जल निकायों की गणना, भू-टैगिंग और सूची बनाना, इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना (3) सभी ज़िलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना (4) सघन वनीकरण और (5) जागरूकता सृजन को शामिल किया गया।

16 फरवरी, 2023 को ब्रह्मकुमारियों द्वारा 'जल-जन अभियान' के शुभारंभ पर वीडियो संदेश के ज़रिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने **बारिश को थाम लो** यानी 'कैच द रेन अभियान' की जरूरत और महत्व के बारे में कहा था कि गिरता भूजल स्तर भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से पार पाने में देश की ग्राम पंचायतों द्वारा निभाई जा रही अहम भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना के माध्यम से देश की हज़ारों ग्राम पंचायतों में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के अभियान का भी ज़िक्र करते हुए इसे जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम करार दिया। जल संरक्षण के साथ पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठाने की जरूरत पर भी बल देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा देश कृषि में पानी के संतुलित उपयोग के लिए ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। ❑

Dr. Vishwanath Karad
MIT WORLD PEACE UNIVERSITY | PUNE
TECHNOLOGY, RESEARCH, SOCIAL INNOVATION & PARTNERSHIPS

MIT-SOG MIT School of Government
Bharat's First School to Create Future Political Leaders

ADMISSIONS OPEN 2023

BE THE CHANGE YOU WANT TO SEE

SCHOOL OF GOVERNMENT

MA IN POLITICAL LEADERSHIP AND GOVERNMENT (MPG)

2 Years | 4 Semesters

HIGHLIGHTS

+ Internships at the offices of political parties & leaders
+ Election-focused study tours and internships
+ Interactive academic sessions with professors of practice
+ National Study Tour of Delhi with more than 50 interactions with MPs, ministers and party leaders
+ 100% placement assistance

CAREER PROSPECTS

+ Political Campaign Strategists
+ Political Researchers
+ Social Media Manager for Political Parties & Leaders
+ Legislative Assistants to MPs and MLAs
+ Office & Constituency Managers and more
+ Contesting elections of Lok Sabha, Vidhan Sabha, Local Government Bodies

ELIGIBILITY

+ Minimum 55% aggregate score in Graduation in any stream from a UGC approved Institution or equivalent

DEPARTMENT OF ECONOMICS & PUBLIC POLICY

BA GOVERNMENT AND ADMINISTRATION (BAGA)

4 Years | 8 Semesters
(NEP 2020 Curriculum)

HIGHLIGHTS

+ Improve readiness for UPSC Civil Services (IAS) Examination
+ Mentoring by Civil Servants and UPSC Toppers
+ Interdisciplinary study with a wide range of subject areas
+ Complete 4-year programme and apply directly to PhD

ELIGIBILITY

+ Minimum 50% aggregate score in 10+2/Class 12th or in an equivalent examination with English subject

UNIVERSITY HIGHLIGHTS

100% INTERNSHIP ASSISTANCE
100,000+ ALUMNI GLOBALLY
₹ 40 Cr MERIT BASED SCHOLARSHIPS
IMMERSION PROGRAMME INTERNATIONAL, NATIONAL & RURAL

SCAN TO APPLY

admissions.mitwpu.edu.in | admissions@mitwpu.edu.in | +91-020 - 7117 7137 | +91-98814 92848 (WhatsApp Message Only)

महिला सशक्तीकरण की वाहक ग्राम पंचायतें

-अरविंद कुमार मिश्रा

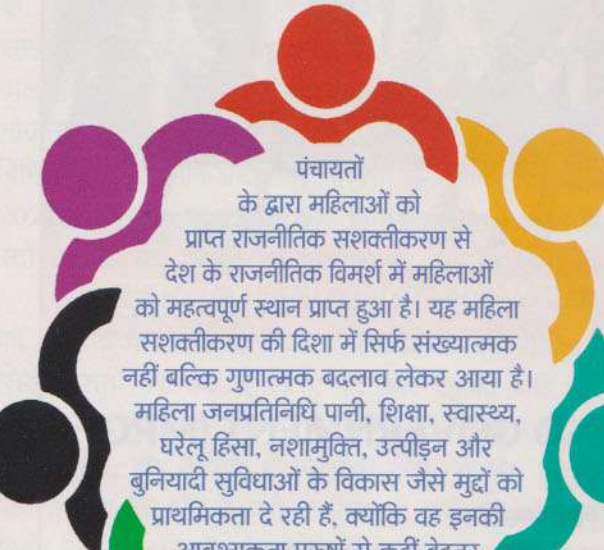

वर्ष 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली पंचवर्षीय योजना (1951-1956) से ही महिलाओं की विकास में भागीदारी बढ़ाने के नीतिगत प्रयास शुरू हुए, लेकिन उनकी गति और दायरा सीमित होने की वजह से आधी आबादी विकास का वाहक बनने की जगह चुनौती बन गई। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब भारत दुनिया में समावेशी विकास का केंद्र बनकर उभरा है, ऐसे समय में भारतीय महिलाओं की देश ही नहीं दुनिया के विकास में भागीदारी बढ़ानी होगी। आज यदि भारत वैश्विक अर्थतंत्र का सबसे अहम हिस्सा है तो उसका श्रेय भारतीय महिलाओं द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किए जा रहे महत्वपूर्ण योगदान को जाता है।

देश में पंचायती राज व्यवस्था महिला सशक्तीकरण का सबसे अहम जरिया बनकर उभरी है। महिला जनप्रतिनिधि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लेकर आ रही हैं। पंचायती राज मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक इस समय पंचायती राज संस्थाओं के 31.5 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46 प्रतिशत महिलाएं हैं। 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। पंचायत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम से कम 33 प्रतिशत या कुल सीटों का एक तिहाई है। संविधान के अनुच्छेद 243D का खंड (3) महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण को अनिवार्य करके पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। देश में 21 राज्यों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा चुका है।

केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रारंभिक सीढ़ी पंचायत हैं। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने से लेकर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, किसानों को उन्नत बीज और नई तकनीक उपलब्ध कराने, शिक्षा और स्वास्थ्य महामारियों के विरुद्ध टीकाकरण, पेयजल स्वच्छता, आजीविका व स्वरोज़गार, सड़क एवं अन्य बुनियादी आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से जुड़ी योजनाएं ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित हैं। पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं के हाथ में होने से सिर्फ महिलाएं ही सशक्त नहीं हो रही हैं बल्कि संपूर्ण समाज में बदलाव की बयार देखने को मिल रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही है जैसे- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा); स्वरोज़गार और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम); प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी); प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई); राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी); एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) आदि। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों द्वारा संचालित योजनाएं हैं।

इन योजनाओं के ज़रिए ग्रामीण भारत की तस्वीर बदल रही है। महिला जनप्रतिनिधि इन योजनाओं को न सिर्फ सफल बना रही हैं बल्कि पुरुषों के मुकाबले उसे कहीं अधिक दक्षता और पारदर्शिता से क्रियान्वित कर रही हैं।

महिला सशक्तीकरण से अंत्योदय की राह

दीनदयाल अंत्योदय योजना के अतंर्गत पंचायती राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : arvindmbj@gmail.com

महिला सशक्तीकरण के लिए सबसे बड़े संस्थागत मंच के रूप में उभरा है। यह मिशन 29 राज्यों एवं 5 केंद्रशासित राज्यों में 600 जिलों में फैले ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत मई 2018 तक 45 लाख स्वयंसहायता समूहों में 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 2.48 लाख ग्रामीण संगठनों तथा 20 हजार क्लस्टर स्तर संघों का भी उन्नयन किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना की प्रमुख हितग्राही महिलाएं

आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही चयन अर्थात कार्ड बनाने का जिम्मा ग्राम पंचायतों को दिया गया है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ महिलाओं को हुआ है। अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव, गंभीर बीमारियों के उपचार में 5 लाख रुपये तक की निशुल्क व्यवस्था होने से ग्रामीण भारत में रह रही महिलाओं की स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान हुआ है। एक महिला जनप्रतिनिधि महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं को पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर समझ सकती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत 31 जनवरी, 2023 तक 31 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते खोले जा चुके हैं, इसका बड़ा श्रेय महिला जनप्रतिनिधियों को जाता है।

शिक्षा से सबल और सजग बनी महिलाएं

भारतीय समाज में पिछली सदी में बेटियों के प्रति जिस प्रकार का भेदभाव देखने को मिला, उससे सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को गहरा नुकसान पहुँचा। बेटियों को कोख में ही मार देने की सामाजिक कुप्रथा मानवता के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं थी। इसका सीधा असर असंतुलित लिंगानुपात और जनसांख्यिकी के रूप में सामने आया। केंद्र सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** योजना शुरू की। यह योजना सिर्फ बेटियों की शिक्षा को ही प्रोत्साहित नहीं करती है, बल्कि बेटियों को लेकर समाज की सोच को भी उत्प्रेरित करती है। एक बेटी को पढ़ाने का मतलब है कि पूरे परिवार को शिक्षित किया जाना। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान जैसे कार्यक्रमों से समाज में बेटियों के प्रति भेदभाव खत्म करने से जुड़ी जागरुकता बढ़ी है। जिला और ब्लॉक टास्क फोर्स गठित कर इसे जनआंदोलन का रूप दिया गया है।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवनकाल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिली है। इससे महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े कई मुद्दों का समाधान हुआ है। यह योजना तीन मंत्रालयों-महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। **समग्र शिक्षा अभियान** का दूसरा चरण भी देश में लागू किया जा चुका है। इसके अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में स्थित स्कूलों की अवसंरचना, व्यावसायिक शिक्षा, रचनात्मक शिक्षण विधियों का विकास किया जा रहा है। इसी तरह, केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए शुरू की गई कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना ग्रामीण भारत में बेटियों को आवासीय शिक्षा सुविधा प्रदान करती है।

पोषण वाटिकाएं : कुपोषण से पोषण की राह

बेहतर स्वास्थ्य की परिकल्पना पोषण कार्यक्रमों से ही पूर्ण हो सकती है। कुपोषण का सीधा असर बीमारियों और स्वास्थ्य समस्या के रूप में सामने आता है। राष्ट्रीय परिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़े बताते हैं कि देश में कुपोषण की दर घटी है। लेकिन न्यूनतम आमदनी वर्ग वाले परिवारों में अभी भी 51 प्रतिशत बच्चे अविकसित और 49 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं। आज भारत में विश्व के सबसे अधिक अविकसित (4.66 करोड़) और कमजोर (2.55 करोड़) बच्चे मौजूद हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए 2 अक्टूबर, 1975 से जारी एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीएस) और 1995 में शुरू मध्याह्न भोजन योजना (मिड डे मील स्कीम) से आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार ने 2017 में **राष्ट्रीय पोषण मिशन** की शुरुआत की। इसका मकसद बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के खान-पान में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत आंगनबाड़ियों में फलों, सब्जियों, औषधीय पौधों तथा जड़ी-बूटियों की सहज और रियायती पहुँच के

लिए पूरे देश में पोषण वाटिकाएं (न्यूट्री गार्डेंस) स्थापित की जा रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के सहयोग से चलाए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत 4.37 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं की स्थापना की गई है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में कुपोषण से मुक्ति की दिशा में एक सराहनीय पहल हुई है। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों की भूमिहीन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों में कुपोषण खत्म करने के लिए सामुदायिक पोषण वाटिकाएं तैयार की जा रही हैं।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता से आधी आबादी का सशक्तीकरण

ऊर्जा और ईंधन की उपलब्धता महिला सशक्तीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता का सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य व ग्रामीण अर्थतंत्र की उत्पादकता पर पड़ता है। देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। इस योजना की सफलता में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रही है। योजना के हितग्राहियों को पंचायतों से प्राप्त बीपीएल अथवा राशन कार्ड प्रस्तुत करना होता है। 1 मई, 2016 से शुरू **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** से महिलाओं को धुंआ रहित वातावरण में भोजन पकाने की सुविधा मिली है। इससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और ईंधन संग्रह करने में लगने वाले समय की बचत हुई है। इस समय का उपयोग महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ाने और सामाजिक कार्यों के लिए कर रही हैं। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री एलपीजी पंयायतों की शुरुआत की गई। इसमें उज्ज्वला लाभार्थियों को एलपीजी के सुरक्षित और सतत उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पूरे देश में 87,876 एलपीजी पंचायतों का आयोजन (8 मार्च, 2019 तक) किया जा चुका है।

महिला सशक्तीकरण का पर्याय बनी **उज्ज्वला योजना** जनभागीदारी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसके तहत **उज्ज्वला दीदी** नाम से एक पहल की शुरुआत हुई। इसमें ग्रामीण भारत में 10,000 महिलाओं को लोगों को स्वच्छ ईंधन के लाभ बताने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उज्ज्वला दीदी ने स्थानीय महिलाओं को मुख्य रूप से तीन संदेश दिए। पहला, स्वच्छ घरेलू ईंधन सर्वत्र उपलब्ध है, दूसरा, स्वच्छ घरेलू ईंधन किफायती है और तीसरा, एलपीजी सुरक्षित है और बीमाकृत है।

जिले के समग्र विकास में पंचायतों की भूमिका त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर विभिन्न समितियों जैसे शिक्षा, वन, निर्माण और सहकारिता समिति ग्रामीण विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। ये समितियां गाँव की तरक्की से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने से लेकर उसके क्रियान्वयन की अहम ईकाई हैं। हर समिति का एक अध्यक्ष और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सदस्य होते हैं। इन समितियों के अध्यक्ष ब्लॉक और जिला पंचायत स्तर पर बनी स्थायी समितियों में सदस्य होते हैं। किसी भी जिले का विकास स्थानीय प्रशासन के साथ ग्राम पंचायतों के एकीकृत प्रयासों से ही संभव है। जिले की सामान्य प्रशासन समिति में पंचायती राज संस्थाओं में गठित विभिन्न समितियों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। इससे जिले के समग्र विकास में लोकतांत्रिक संस्थाओं की सहभागिता तय होती है।

शिक्षा समिति- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा समिति स्कूलों में वितरण किए जाने वाले मध्याह्न भोजन की निगरानी के साथ ही अधोसंरचना से जुड़े प्रस्ताव तैयार करती है।

सामाजिक सुरक्षा समिति- विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन के लिए हितग्राहियों के चयन से लेकर उन तक योजनाओं का

महिलाओं का क्षमता निर्माण

लाभ पहुँचाने में सामाजिक सुरक्षा समितियों की अहम भूमिका होती है। पंचायतों में महिला जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति बढ़ने से सामाजिक सुरक्षा के दायरे को एक मज़बूत आवरण मिला है।

वन समिति- वन से जुड़े स्थानीय लोगों के अधिकार और कानून के क्रियान्वयन का ज़िम्मा ग्राम पंचायतों की वन समितियां करती हैं। महिलाओं को वनोपज कार्यक्रम से जोड़कर आजीविका के मुख्य साधन मुहैया कराए जाते हैं।

निर्माण समिति- ग्राम पंचायत गाँव के सुदूर इलाकों तक पहुँच मार्ग, सड़क, चेक डैम, पुलिया, रपटा एवं अन्य जरूरी अवसंरचना के निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं।

जल समिति- ग्राम पंचायतों में जल समितियों में 50 प्रतिशत महिला भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। यह समितियां अमृत सरोवर के निर्माण के साथ ही तालाब व जल निकायों के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी निभाती है। इसी प्रकार ग्राम रक्षा समितियां अपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण से लेकर पंचायतों में सीसीटीवी आदि लगवाने व स्थानीय पुलिस के साथ समन्वयन का कार्य करती हैं। आज स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बड़ा श्रेय ग्राम पंचायतों की स्वच्छता समितियों को जाता है। गाँव में शौचालय निर्माण से लेकर गाँव में वेस्ट मैनेजमेंट कार्यक्रम संचालन और जागरुकता में इनका अहम योगदान है।

कार्यबल में बढ़ रही हिस्सेदारी

हमारे यहां लंबे समय से महिलाओं के साथ वेतनमान और पारिश्रमिक में भेदभाव होता रहा है। श्रम संहिता 2019 के जरिए महिलाओं का कार्यबल में अनुपात बढ़ाने, समान वेतनमान, आर्थिक सुरक्षा के साथ कार्य की परिस्थितियों को महिला अनुकूल बनाने पर बल दिया गया है। वेतन संहिता अधिनियम 2019, औद्योगिक संबंध संहिता अधिनियम 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता विधेयक 2020 चार श्रम संहिताओं में महिलाओं के हित में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 (मनरेगा) के अंतर्गत एक तिहाई रोजगार महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य है। महिला सशक्तीकरण के प्रयास को किसी एक या दो योजनाओं पर केंद्रित नहीं किया जा सकता है। यह जेंडर बजटिंग से लेकर सभी हर नीतिगत पहल और सामाजिक सोच से उत्प्रेरित है।

महिला उद्यमिता की राह : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

महिला को आजीविका और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकार प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के जरिए आजीविका के नए साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। इससे महिलाएं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के साथ गरीबी उन्मूलन, कुपोषण आदि चुनौतियों के समाधान की वाहक बनी हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू है। 30 जून, 2022 तक 8.39 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 76.94 लाख स्वयं सहायता समूहों के ज़रिए सामुदायिक विकास के उद्देश्य को पूरा कर रही हैं। अकेले पंजाब में 33,500 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के जरिए 3.4 लाख महिलाएं अपनी आजीविका को बेहतर बना रही हैं।

दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 2013-14 से अब तक स्वयं सहायता समूहों को 5.20 लाख करोड़ रुपये ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) और महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी) चलाई जा रही है। एसवीईपी के ज़रिए स्वसहायता समूहों को गैर-कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यम गाँव में खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 2.08 लाख उद्यम स्वयं सहायता समूहों द्वारा खड़े किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आजीविका के साथ ही पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और लैंगिक समानता के समाधान के प्रयास किए जाते हैं।

महिलाओं को मिल रहा संपत्ति का मालिकाना

महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए बिना महिला सशक्तीकरण का हर प्रयास अधूरा रहेगा। इस तथ्य की अहमियत को समझते हुए केंद्र सरकार ने विगत कुछ वर्षों में संपत्ति से जुड़े अधिकारों में महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। विधवा, दिव्यांग और एससी-एसटी वर्ग की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा करने में इस योजना का बड़ा योगदान है। **प्रधानमंत्री आवास योजना** के अंतर्गत बने 3 करोड़ घरों में एकल अथवा संयुक्त स्वामित्व महिलाओं के नाम पर है। वर्ष 2015-16 में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की संख्या 38.4 फीसदी थी जो अब बढ़कर 43.3 फीसदी पर पहुँच गई है। ग्रामीण इलाके की 45.7 फ़ीसदी महिलाओं के पास अपने नाम पर प्रॉपर्टी है जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 38.3 फीसदी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। यदि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पीएम आवास योजना के 30 लाख से अधिक घर बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का भी नाम है। ग्राम पंचायतों द्वारा क्रियान्वित प्राधानमंत्री आवास योजना महिला सशक्तीकरण का एक बेहतरीन उदाहरण बन चुकी है।

इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई **स्वामित्व योजना** के तहत 'आबादी' इलाके में स्थित संपत्ति का मालिकाना हक प्रदान किया जा रहा है। 'आबादी' इलाके में वह ज़मीन आती है जिसके कागज़ात उपलब्ध नहीं होते, पीढ़ी-दर-पीढ़ी उस पर लोग अपना अधिकार मानते आ रहे हैं। जमीन से जुड़े विवाद और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत ऐसी जमीन का मालिकाना हक संपत्ति कार्ड के रूप में उपयोगकर्ताओं को दिया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी हितग्राही ग्रामीण महिलाएं

होंगी। इससे महिलाओं को बैंकों से आर्थिक सहयोग हासिल करने के साथ उनमें आत्मविश्वास का संचार होगा। वहीं दूसरी ओर, ग्राम पंचायतों का कर संग्रहण भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक देश के 6.62 लाख गाँवों में हर परिवार को संपत्ति कार्ड मुहैया कराए जाएंगे।

मत्स्य पालन से लेकर उद्यानिकी में आगे महिला किसान

देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है। कृषि गतिविधियों में सबसे अधिक कार्यबल महिला किसानों का है। महिला किसानों के उत्थान के जरिए ग्रामीण अर्थतंत्र को ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जा सकती है। इसके लिए **महिला किसान सशक्तीकरण** योजना शुरू की गई। 24 जुलाई, 2019 तक महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के दायरे में 36 लाख महिलाएं आ चुकी हैं। योजना की लोकप्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार ने 84 स्कीमों को इससे जोड़ा है। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़कर गैर-इमारती लकड़ियों के उत्पादन और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला किसानों के स्वयं सहायता समूह इसके प्रत्यक्ष लाभार्थी बन रहे हैं। महिला सशक्तीरण का एक सफल उदाहरण छत्तीसगढ़ के जशपुर में देखने को मिल रहा है। यहां सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभ उठाकर मछली पालन समूह की महिलाएं आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। वह स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ-साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों महिलाओं को रोजगार के मौके मुहैया करवाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठानों में स्थित तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कमल स्वयं सहायता समूह की 11 महिलाओं ने गौठान स्थित तालाब में मछली पालन का काम शुरू किया। समूह की महिलाओं को विभाग की मत्स्य पालन प्रसार योजना से जोड़कर मत्स्य बीज संवर्धन के लिए बीज, एक नग चटजाल तथा आईस बॉक्स प्रदान किया गया है। महिलाओं के द्वारा अभी तक लगभग पन्द्रह हजार का नकद मत्स्य बीज विक्रय किया गया है एवं आधे बीज को अन्य तालाबों में शिफ्ट कर मत्स्य पालन किया जा रहा हैं। समूह को जल्द ही 50 हजार रुपये से अधिक का लाभ होने की उम्मीद है।

सेहत से समृद्धि : सेनेटरी नैपकिन की उपलब्धता

4 जून, 2018 को भारत सरकार ने महिलाओं के लिए "जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन" लॉन्च करने की घोषणा की थी। 10 जून, 2020 तक जनऔषधि केंद्रों के माध्यम से एक रुपये प्रति नैपकिन की दर से 4.61 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन बेचे जा चुके हैं। देश में विशेष रूप से ग्रामीण भारत में मासिक धर्म और इससे जुड़ी प्रथाओं को कई तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है। देश के दूरदराज के इलाकों में लड़कियों और महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों तक पहुँच नहीं है। कई बार वह इनका विकल्प नहीं चुन पातीं क्योकि बाजार में उपलब्ध ज्यादातर ऐसे नैपकीन महंगे हैं। ऐसे में सस्ते नैपकिन की उपलब्धता महिलाओं के स्वास्थ्य से सशक्तीकरण की राह को आसान बनाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे-5 में दिखी महिला सशक्तीकरण की तस्वीर

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की इन योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ 2.6 करोड़ महिलाओं को मिला है। लिंगानुपात (जन्म के समय) 918 से बढ़कर 937 के स्तर पर पहुँच गया है। इसी तरह ग्रामीण बालिकाओं की सकल नामांकन दर में वृद्धि हुई है। 708 वन स्टॉप सेंटर के जरिए 5.40 लाख महिलाओं को सहायता मिल जुकी है। महिला हेल्पलाईन के जरिए 34 राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में 70 लाख मामलों को सुना गया है।

महिला सशक्तीकरण में जेंडर बजटिंग की अहमियत को वरीयता देते हुए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1.71 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान महिला केंद्रित योजनाओं के लिए किया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस-5) के मुताबिक देश की 78 फीसदी महिलाओं के पास अपने बैंक खाते हैं, जिसका संचालन भी वह स्वयं करती हैं। पिछले पांच वर्ष में महिला बैंक खाताधारकों की संख्या में 25 फीसदी वृद्धि हुई है। आज हर दूसरी महिला (54 प्रतिशत) के पास अपना मोबाइल फोन है। इसी तरह 43 प्रतिशत महिला एकल अथवा संयुक्त रूप से जमीन अथवा घर का स्वामित्व रखती हैं। 5 साल पहले यह दर 38 प्रतिशत थी। पिछले दस साल के मुकाबले वैवाहिक हिंसा के मामलों में भी कमी आई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे-5 के मुताबिक 29 फीसदी विवाहित महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है जबकि दस साल पहले यह आंकड़ा 39 और पांच साल पहले 33 प्रतिशत था।

संक्षेप में, पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ने से उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया है। पंचायतों के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तीकरण से देश के राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था लागू होने से पहले निर्वाचित महिलाओं की संख्या मात्र 4.5 प्रतिशत थी। आज बिहार में 55 प्रतिशत, उत्तराखंड में 54 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 52 प्रतिशत, कर्नाटक में 48 प्रतिशत महिलाएं पंचायत चुनाव जीतकर आगे आई हैं। यह महिला सशक्तीकरण की दिशा में सिर्फ संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक बदलाल लेकर आया है। महिला जनप्रतिनिधि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलू हिंसा, नशामुक्ति, उत्पीड़न और बुनियादी सुविधाओं के विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योकि वह इनकी आवश्यकता पुरुषों से कहीं बेहतर समझ सकती हैं। ❑

पंचायती राज और मानवीय विकास

-देबब्रत सामंता

भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना ने ग्रामीण लोगों को योजना बनाने, निगरानी और मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम बनाया। इसके माध्यम से सेवाओं की प्रदायगी में उनकी भागीदारी को उपयुक्त स्थान मिला। सेवा प्रदायगी का लोगों के विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण विकास कार्यनीति के बदलते परिप्रेक्ष्य में, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से न केवल लोगों के हालातों में सुधार के लिए सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की है बल्कि उनसे जलवायु परिवर्तन और आपदा से निपटने की तैयारी के बारे में लोगों को जागरूक करने की भी अपेक्षा है।

पिछले कुछ दशकों में, 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण', 'भागीदारी विकास' और 'नागरिक समाज' जैसी विकेंद्रीकृत शासन की नई विधाओं ने विकास के प्रतिमान में महत्वपूर्ण जगह बनाई है। वर्ष 1974 में केवल 39 देशों में लोकतांत्रिक शासन था। 1970 से 2014 के दौरान फिलीपींस, बोलीविया, तंजानिया, युगांडा और भारत सहित लगभग 123 देशों ने विकेंद्रीकृत शासन की दिशा में अपने विधानों में संशोधन किया। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य केंद्र सरकार के अधीनस्थ या अर्ध-स्वतंत्र सरकारी संगठनों और/या निजी क्षेत्र को सार्वजनिक कार्यों के लिए अधिकार और ज़िम्मेदारी के हस्तांतरण से है। विकेंद्रीकरण के तीन मूल प्रकार हैंः (i) राजनीतिक विकेंद्रीकरण, (ii) प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और (iii) वित्तीय विकेंद्रीकरण- जिसमें आर्थिक या बाजार विकेंद्रीकरण शामिल हैं। विकेंद्रीकृत शासन की मौजूदगी प्राचीन भारत में देखी जा सकती है। स्वतंत्रता के बाद 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक संरचना निर्धारित की गई। 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली को कानूनी दर्जा दिया गया। ऐसा अपेक्षित है कि ग्रामीण आबादी के कल्याण के लिए प्रशासनिक और राजनीतिक अंतरण के माध्यम से यह शासन व्यवस्था गरीबों के हितों का अधिक ध्यान रखेगी।

भारत में पंचायत प्रणालीः ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत से ही विकेंद्रीकृत और सहभागी शासन प्रणाली को अपनाया है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देने और मज़बूती प्रदान

लेखक चन्द्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट, पटना में सहायक प्रोफेसर हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।

ई-मेल : debabrata@comp.ac.in

करके विकेंद्रीकृत शासन को प्रोत्साहित करती है। पंचायती राज प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता 1957 में बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों से ज्ञात होती है। समिति ने ज़िला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की। राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में मेहता समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी और सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य को अपनी क्षेत्र विशेष परिस्थितियों के अनुकूल इसे लागू करना चाहिए। दूसरी योजना के दस्तावेज ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास की आवश्यकता को स्वीकारा और समाज के कमजोर वर्गों को राज्य के लाभ के कुशल वितरण के लिए 'व्यापक ग्राम योजना' पर ज़ोर दिया। ब्लॉक-स्तरीय योजना पर 1978 में गठित दांतेवाला समिति ने ज़िला योजनाओं के साथ ब्लॉक-स्तरीय योजनाओं के एकीकरण का सुझाव दिया। 1978 में अशोक मेहता समिति ने राजनीतिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की और एल.एम. सिंघवी समिति ने बुनियादी योजना और विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी की सिफारिश की और पंचायती राज संस्थाओं को 'स्वशासी संस्था' के रूप में माना ताकि योजना और विकास प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी को सुगम बनाया जा सके। इन सिफारिशों को भारत में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की स्थापना के प्रारंभिक प्रयासों के रूप में माना जाता था।

1992 में 73वें संविधान संशोधन ने पीआरआई को प्रत्येक राज्य में त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के गठन का संवैधानिक प्रावधान देकर इस संस्था को औपचारिक रूप प्रदान किया और साथ ही, 'स्वशासन' संस्था के रूप में स्थापित होने का आधार दिया। यह संवैधानिक संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने, नियमित अंतराल में चुनाव कराने और योजना प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी को संस्थागत बनाने का अधिदेश देता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची भी बनाई गई है जिसमें 29 विषयों को पंचायती राज के दायरे में रखने के लिए निर्दिष्ट किया गया है। ये विषय सेवा प्रदायगी, बुनियादी ढांचे के विकास और ग्रामीण लोगों के लिए आजीविका के विकास से संबंधित हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कानून के तहत अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना जरूरी होता है।

भारत में पंचायती राज संस्था : भारत में पंचायती राज संस्था (पीआरआई) एक त्रि-स्तरीय संरचना है। पीआरआई में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर), मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर) शामिल हैं।

(i) ज़िला परिषद या ज़िला पंचायत : प्रत्येक ज़िले में एक ज़िला परिषद या ज़िला पंचायत होती है।

(ii) ब्लॉक पंचायत (बीपी) या पंचायत समितियां : उक्त ज़िले के प्रत्येक ब्लॉक में एक ब्लॉक पंचायत होती है।

(iii) ग्राम पंचायत (जीपी) : कानून द्वारा परिभाषित ग्राम में एक गाँव या आसपास के गाँवों का समूह शामिल हो सकता है। इसे कम-से-कम पांच निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है (ग्राम के मतदाताओं की संख्या के आधार पर)। इनमें से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य निर्वाचित होता है। इन निर्वाचित सदस्यों के निकाय को 'ग्राम पंचायत' कहा जाता है। ग्राम पंचायतों का आकार एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापक रूप से भिन्न होता है।

73वें संवैधानिक संशोधन के बाद इन निकायों को स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अधिक शक्तियां और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्रदान किए गए हैं। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को एकीकृत करने और ज़िले के लिए विकास योजना का मसौदा तैयार करने के लिए ज़िला स्तर पर ज़िला योजना समिति का गठन अनुच्छेद 243जेडडी (1) में सुझाया गया है ।

पंचायती राज संस्था और विकेंद्रीकृत शासन का प्रभाव

यूएनडीपी (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 1997) ने विकेंद्रीकरण या विकेंद्रीकृत शासन का सत्ता के पुनर्गठन के रूप में उल्लेख किया है ताकि केंद्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर शासन के संस्थानों के बीच सहयोगी के सिद्धांत के अनुरूप सह-जिम्मेदारी की व्यवस्था हो। यह उप-राष्ट्रीय स्तरों के अधिकार और क्षमताओं में वृद्धि करते हुए शासन प्रणाली की समग्र गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है। इससे सुशासन के प्रमुख पक्षों में योगदान अपेक्षित है जैसे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णयों में लोगों की भागीदारी के अवसरों को बढ़ाना, लोगों की क्षमताओं को विकसित करने में सहायता करना और सरकार की जवाबदेही, पारदर्शिता और दायित्व बढ़ाने के साथ-साथ लोगों के कल्याण और विकास में योगदान के लिए वस्तुओं और सेवाओं की प्रदायगी।

ड्रेज एंड सेन (ड्रेज एंड सेन, 1995) और वेबस्टर (वेबस्टर, 1992) का कहना है कि भारत में स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं की खराब कार्यप्रणाली उनके प्रबंधन के केंद्रीकृत और गैर-भागीदारी स्वरूप के कारण है। विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करने में विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया है कि स्थानीय सरकारों को प्रशासनिक अधिकार सौंपने से बेहतर सूचना उपलब्धता, नागरिकों की प्राथमिकताओं की बेहतर जानकारी या स्थानीय स्तर पर बेहतर निगरानी क्षमता के कारण सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होता है (विश्व बैंक, 2004; बर्धन और मुखर्जी, 2006)। भारत में पीआरआई प्रणाली देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक, राजनीतिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण का एक ज्वलंत उदाहरण है।

पीआरआई प्रणाली के त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचे से ज़मीनी स्तर के लोगों तक पहुँचने और ग्रामीण स्तर की योजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपेक्षा है। ग्राम-स्तरीय योजना में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 'वार्डसभा' और 'ग्रामसभा' का गठन किया गया है। राजनीतिक विकेंद्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक ग्राम निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित स्थानीय निकायों के सदस्यों को लोगों के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यह मतदान नियमित अंतराल पर (आमतौर पर हर पांच साल में) आयोजित किया जाता है। पीआरआई के प्रत्येक स्तर में सीटों के आरक्षण के माध्यम से महिलाओं और कमज़ोर वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए राज्यों को इन स्थानीय सरकारी संस्थाओं (चौधरी और अय्यर, 2022) को राजस्व-साझाकरण व्यवस्था और अनुदान पर सिफारिशें प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोगों की स्थापना करनी थी।

मानव विकास में पंचायत की भूमिका

73वें संविधान संशोधन के बाद अधिकांश राज्यों ने या तो पंचायत अधिनियम को तदानुसार तैयार किया या संशोधित किया ताकि पंचायत के तीन स्तरों पर धनराशि, कार्य और पदाधिकारियों के अंतरण की सुविधा हो सके और उन्हें स्थानीय स्तर के विकास के लिए योजना विकसित करने और लागू करने की ज़िम्मेदारी दी जा सके। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय इस प्रक्रिया में मार्गदर्शन के लिए सहायक हैं। इन 29 विषयों में शामिल हैं- कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई और जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य पालन, सामाजिक वानिकी, लघु वन उत्पादन, लघु उद्योग, खादी और कुटीर, ग्रामीण आवास, सांस्कृतिक गतिविधियां, बाज़ार और मेले, स्वच्छता और स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़क और संचार, विद्युतीकरण, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और सामुदायिक परिसंपत्ति। इन विषयों का ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका विकास और सेवा प्रदायगी पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनमें से अधिकांश विषयों का ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास को "लोगों के विकल्पों का दायरा बढ़ाने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित किया और कहा कि ये विकल्प उन्हें 'दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षित होने, अच्छे जीवन स्तर का आनंद लेने' के साथ-साथ 'राजनीतिक स्वतंत्रता, अन्य सुनिश्चित मानव अधिकार और स्वाभिमान के विभिन्न पहलुओं को हासिल करने के अवसर प्रदान करते हैं। मानव विकास अवधारणा की केंद्रीय परिकल्पना क्षमता अवधारणा है जिसे अमर्त्य सेन ने कार्य (होने और करने) के विभिन्न संयोजनों के रूप में परिभाषित किया है जिसे व्यक्ति हासिल कर सकता है। 1990 से जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा पहली मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ तब आमदनी, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास के तीन महत्वपूर्ण आयामों के रूप में चिह्नित हुए।

ग्रामीण स्तर पर पीआरआई प्रणाली से स्वशासन की एक संस्था के रूप में काम करने और शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा प्रदायगी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों की योजना निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अपेक्षित है। यह समझा जाता है कि शासन की उत्कृष्टता का आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और पोषण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्थानीय स्तर पर सेवा प्रदायगी का सार्वजनिक प्रावधान गरीबों को बेहतर खाद्य पदार्थों के ग्रहण में सहायक है और अल्पपोषण, अल्परोज़गार और गरीबी के दुष्चक्र को हराता है। (दासगुप्ता और रे, 1986) पिछले कुछ दशकों में यह देखा गया है कि लक्षित सार्वजनिक सेवाओं के कुशल वितरण में आर्थिक असमानताओं को कम करने की क्षमता है जो चीन और भारत जैसी तेज़ी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रही है (दत्त, रैवेलियन, और मुरगई, 2016)।

हालांकि भारत में ग्रामीण आबादी का भाग घट रहा है फिर भी विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। भारत में ग्रामीण आबादी बड़े पैमाने पर अपनी आजीविका के लिए कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भरता के कारण सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर है। रोज़गार के अवसरों की कमी और गरीबी भी ग्रामीण आबादी को उनकी क्षमता से कम नौकरियां करने के लिए मजबूर करती हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी ग्रामीण विकास योजनाओं की संरचना को स्वयं और मजदूरी रोज़गार के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने और सहभागी पद्धतियों के माध्यम से गरीबी को दूर करने के अनुरूप तैयार किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली के सक्रिय जुड़ाव से बड़ी संख्या में सेवाएं प्रदान की जाती हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली न केवल आजीविका वृद्धि और सेवा प्रदायगी से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में संलग्न है बल्कि वे इस प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करती है। सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के कार्य प्रदर्शन पर भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव के साक्ष्य देश भर में मिलते हैं।

सेवा प्रदायगी प्रयासों की लागत को कम करने में पीआरआई की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है और समुदाय की आवश्यकता

के अनुसार परिणाम उत्पन्न करती है (हॉडिनॉट, एडाटो, बेस्ली, और हद्दाद, 1999; ईशम और कहकोनेन, 1999)। चार दक्षिण भारतीय राज्यों में 522 से अधिक गाँवों का एक अध्ययन (बेस्ली, राव, और पांडे, 2005) सिद्ध करता है कि ग्रामसभा बैठकों का उपयोग गाँवों में कुछ सबसे वंचित समूहों - भूमिहीन, अशिक्षित और अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) द्वारा अपने पक्ष में नीतियों को प्रभावित करने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। अध्ययन में पाया गया कि पीआरआई प्रणाली के तहत ऐसी बैठकें आयोजित करने से जरूरतमंदों की ओर संसाधनों के प्रवाह में सुधार होता है। पश्चिम बंगाल पर किए गए एक अध्ययन में भी कुछ ऐसा ही मामला देखा गया है जिसमें यह पता चला है कि ग्रामसभा की बैठकों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग सबसे अधिक भाग लेते हैं। जो उनमें भाग लेने से परहेज करते हैं, वे वो लोग हैं जो ग्रामसभा बैठकों (घटक और घटक, 2002) से शीघ्र लाभ की अपेक्षा नहीं करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पीआरआई सार्वजनिक सेवाओं से सम्बंधित सामूहिक कार्रवाई के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये लोगों को जागरूक करती हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया और सेवाओं की निगरानी पर विचार-विमर्श सुनिश्चित करती हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा के मामले में विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा में ग्राम पंचायत और ग्राम शिक्षा समितियों ने भारत के गाँवों में शिक्षा की सेवाओं की निगरानी और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है (बनर्जी, डुफ्लो, ग्लेनरस्टे, और खेमानी, 2006)।

शिक्षा में पंचायत की भूमिकाः मध्य प्रदेश का उदाहरण अनुकरणीय

1994 से मध्य प्रदेश ने स्कूली शिक्षा के प्रबंधन को स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत करने और शिक्षा को लोगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए समुदाय को सक्षम बनाने के निरंतर प्रयास किए हैं। 1996 में स्कूली शिक्षा (कक्षा I-XII से) के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दी गई। प्रबंधन और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कुछ संरचनात्मक व्यवस्था की गई। जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी समितियां बनाई गईं और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन स्कूली शिक्षा के प्रबंधन की देखभाल के लिए किया गया। 2002 में अभिभावक-शिक्षक संघों (पीटीए) को स्कूल स्तर पर वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था जिसमें इन निकायों को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई थीं। स्कूल प्रबंधन से संबंधित कार्यों के हस्तांतरण के लिए ग्रामसभाओं को सशक्त बनाया गया है। अध्ययनों (त्यागी, 2012) में पाया गया कि 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के दाखिले में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और 2003-04 से 2006-07 के बीच दाखिले से वंचित बच्चों का अंतर कम हुआ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के दाखिले में 30.6 प्रतिशत और उच्च प्राथमिक स्तर पर 19.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का दाखिला 2003-04 में 46.6 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 47.5 प्रतिशत हो गया। 2003-04 से 2006-07 के दौरान दिव्यांग बच्चों के दाखिले में भी कुछ प्रगति हुई। इस अवधि में केवल वंचित समूहों के दाखिले में कमी आई। हालांकि पीआरआई और समुदाय को अधिकार हस्तांतरित करने के लिए किए गए संरचनात्मक सुधार के अच्छे परिणाम मिले पर इसमें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। यह पाया गया है कि जहां पंचायती राज संस्थाओं को आमतौर पर भर्ती, स्थानांतरण और निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वहीं उन्हें क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में अपर्याप्तता का सामना करना पड़ता है। एक ओर, जहां स्कूल प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी काफी हद तक बढ़ गई है वहीं बड़ी संख्या में बच्चे अभी भी स्कूली शिक्षा से अछूते हैं; और यह कि स्कूल स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और अभिभावक-शिक्षक संघों के बीच शायद ही कोई संपर्क हो। जिला, ब्लॉक और बस्ती स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं और शैक्षिक प्रशासन के विभिन्न निकायों के बीच समन्वय भी चिंता का एक प्रमुख विषय पाया गया है (त्यागी, 2012)।

जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन में पंचायत की भूमिका

निकट अतीत में ग्रामीण विकास रणनीतियों में आमूल परिवर्तन हुआ है। भविष्य की रणनीतियों को, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्या के संदर्भ में, शहरीकृत और वैश्वीकृत प्रणालियों की निरंतरता के रूप में समझने की आवश्यकता है। 18वीं शताब्दी से मानव गतिविधियां जलवायु परिवर्तन का मुख्य चालक रही हैं मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस जैसे जीवाश्म ईंधन को जलाने के कारण। जीवाश्म ईंधन जलाने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर लिपटे कंबल की तरह काम करता है, सूरज की गर्मी को फँसाता है और तापमान बढ़ाता है। यह वर्षा के पैटर्न पर असर डालता है, प्रचंड वर्षा और साथ ही बाढ़ लाता है और कई क्षेत्रों में भयंकर सूखे की मार का कारण बनता है। ग्रामीण लोग प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अत्यधिक निर्भर हैं और वर्षा, जल उपलब्धता, भूजल व्यवस्था, चरम मौसम की घटनाओं और प्राकृतिक आपदा के प्रभावों सहित जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं।

जलवायु परिवर्तन का आजीविका सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आजीविका के माध्यमों में व्यवधान पड़ता है खासकर जब अनुकूल तंत्र सीमित होते हैं। बदलते ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र के साथ भौतिक पहलुओं (खाद्य उत्पादन

आदि), पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (जल, जैव विविधता, स्वच्छ हवा आदि) की ज़रूरतों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के शमन में ग्रामीण क्षेत्रों के योगदान के लिए ग्रामीण नीतियों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।

किसी भी स्थानीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्थानीय सरकारी संस्थाओं अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की सक्रिय प्रतिबद्धता और नेतृत्व महत्वपूर्ण है। बाहरी हितधारकों के बीच राजनीतिक समर्थन और सहायता के लिए पीआरआई प्रणाली का नेतृत्व महत्वपूर्ण है। इस संबंध में पीआरआई से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अपेक्षित है। एक ओर, वे सार्वजनिक सेवाओं के तत्काल प्रदाता हैं तो दूसरी ओर, वे नागरिकों के बीच स्वाभाविक रूप से मौजूद होने के कारण जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम हैं। पीआरआई जलवायु परिवर्तन और आपदा की तैयारी से संबंधित सामुदायिक प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि सामुदायिक तैयारी कभी-कभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण में महंगे सार्वजनिक निवेश की तुलना में अधिक प्रभावी दिखाई देती है (एशिया और प्रशांत के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र, 2017)।

निष्कर्ष

पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में शासन संरचना अधिक विकेंद्रीकृत प्रणाली में तब्दील हो गई है। भारत ने भी 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकेंद्रीकृत शासन को कानूनी रूप से अपनाया है। इस संशोधन ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रि-स्तरीय पीआरआई प्रणाली स्थापित करने की कानूनी बाध्यता बना दी। पीआरआई प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में शासन संरचना को ज़मीनी स्तर पर ला दिया है और विभिन्न योजनाओं और सेवा प्रदायगी कार्यक्रमों की योजना, निगरानी और मूल्यांकन में लोगों की भागीदारी के लिए जगह बनाई है जिसका मानव विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है। दुनिया भर के साथ-साथ भारत में भी इस बात के प्रमाण हैं कि पीआरआई प्रणाली की शुरुआत ने लोगों की आवश्यकता के अनुसार सेवा प्रदायगी को प्रभावित करने की गुंजाइश ला दी है और साथ ही, सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण विकास रणनीतियों में बदलाव जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता को शामिल करने से आया है। इस संबंध में पीआरआई से महत्वपूर्ण भूमिका निभाना अपेक्षित है। एक ओर, वह सार्वजनिक सेवाओं की तत्काल प्रदाता है तो दूसरी ओर, वह नागरिकों के बीच स्वाभाविक रूप से मौजूद होने के कारण जलवायु परिवर्तन और आपदा की तैयारी से संबंधित जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ❑

पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन

-गजेन्द्र सिंह 'मधुसूदन' एवं डॉ. शम्भूनाथ सिंह

यदि पंचायत प्रणाली को वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जाए तो पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से पंचायतें विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती हैं। इससे न केवल बेहतर आजीविका की तलाश में गाँवों से शहरों के लिए पलायन कर रहे ग्रामीणों का प्रतिस्थापन रुकेगा, बल्कि गाँव आर्थिक गतिविधियों व स्थानीय उद्यमिता का केंद्र बन सकते हैं। स्थानीय स्तर पर एक सक्षम स्वशासन, ग्राम स्वराज्य के माध्यम से आदर्श राज्य प्राप्त करने का साधन बन सकता है।

वर्तमान पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र की मौन क्रांति का सूत्रपात हो चुका है और विकास की नित नई कहानियां लिखी जा रही हैं। पंचायतों के माध्यम से दलितों, उपेक्षितों, महिलाओं और आदिवासियों को उनका वांछित स्थान मिल रहा है। देश के सुदूर गाँवों से भी पंचायती राज प्रणाली की सफलता और उपलब्धियों की कहानी सुनाई पड़ रही है। आज स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दलितों को निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिल रहा है। इस व्यवस्था ने हमारे गाँवों की तस्वीर बदल दी है और वे विकास की राष्ट्रीय धारा से सीधे जुड़ गए हैं। यह हमारे समुदाय, समाज और राजनीतिक तंत्र के लिए सुखद संदेश है। हालांकि तमाम उपलब्धियों के बावजूद वित्तीय संसाधनों के मामले में स्थानीय निकाय न तो अभी तक सक्षम हो पाए हैं और न ही आत्मनिर्भर हैं।

किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त एक अनिवार्य आवश्यकता है। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का निर्माण हो या फिर पंचायतों को सौंपे गए कार्यों का क्रियान्वयन हो, वित्त की समुचित व्यवस्था के बिना उनका क्रियान्वयन संभव नहीं है। पंचायत प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पंचायत में होने वाले विकास कार्यों के लिए धन की समुचित व्यवस्था और उसका प्रभावी उपयोग करें। जिन पंचायत सदस्यों को आय के साधन जुटाने, बजट बनाने और धन को खर्च करने की सही जानकारी होती है, वे स्वयं की पहल से अपनी पंचायत के लिए पर्याप्त धन जुटा लेते हैं अन्यथा पंचायतें सरकारी आदेशों के अनुपालन तक सीमित रह जाती हैं।

संवैधानिक दृष्टि से देखें तो पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों के संसाधन जुटाव और प्रबंधन के लिए तीन प्रावधान दिए गए हैं। एक तो पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां (अनुच्छेद-243 H), दूसरा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन (अनुच्छेद 243 I) और तीसरा, पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा (अनुच्छेद-243 J)। इनमें से दो पंचायतों के वित्तीय संसाधनों से संबंधित हैं और तीसरा, उनके प्रबंधन से संबंधित है। हालांकि पंचायतों के संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न वित्तीय स्रोत रहे हैं, जिनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और स्थानीय निकायों के स्वयं के संसाधन शामिल हैं। कई राज्यों में करों और गैर-कर उपायों के माध्यम से संसाधन जुटाने की अतिरिक्त शक्ति भी ग्राम पंचायतों को दी गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के वित्त संसाधनों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है-

केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता - केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की सहायता करने के अतिरिक्त समय-समय पर उनको विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार गरीबी उन्मूलन, रोज़गार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासन जैसी बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच प्रदान करने, सड़क निर्माण, विद्युतीकरण, डिजिटलीकरण, सामुदायिक केंद्र जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण आदि के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को लागू कर रही है, जो पंचायतों द्वारा ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम आदि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम हैं। इसी तरह, जिला पंचायत स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी

लेखक गोस्वामी तुलसीदास राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चित्रकूट में सहायक प्रोफेसर (अर्थशास्त्र) और सहलेखक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में असोसिएट प्रोफेसर (अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन) हैं। ई-मेल : gajendra10.1.88@gmail.com

रुर्बन मिशन आदि कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न अनुपात में निधियों का प्रवाह होता है। इनमें योजनाओं के अनुरूप केंद्र और राज्यों की वित्तीय हिस्सेदारी भिन्न-भिन्न होती है। प्रायः मैदानी क्षेत्रों में योजनाओं की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में जबकि उत्तर-पूर्व और तीन हिमालयी राज्यों- जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में रहती है। ये पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली योजनागत सहायता कही जा सकती है। इसके अलावा, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों-पंचायती राज मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय आदि से भी विभिन्न मदों पर अनुदान प्राप्त होता है।

केंद्रीय वित्त आयोग से प्राप्त संसाधन - केंद्रीय वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के लिए एक संवैधानिक निकाय है। स्थानीय सरकार शासन प्रणाली में तीसरा स्तर है, पहला स्तर केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार हैं। परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आंकलन के आधार पर वित्त आयोग संस्तुति करता है कि केंद्रीय कर पूल से इन सरकारों को कितना-कितना अंश मिलना चाहिए। संविधान की धारा 280(3) (बीबी) के अंतर्गत केंद्रीय वित्त आयोग को संबंधित पचांयतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि की अनुशंसा का अधिकार प्राप्त है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार हस्तांतरण के लिए आयोग की सिफारिशें 10वें वित्त आयोग से शुरू हुई थीं। 10वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 5381 करोड़ रुपये सहायता अनुशंसित की थी जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 80 और 20 प्रतिशत था। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 4381 करोड़ रुपये के वित्त में से केवल 3576 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने निर्गत किए थे, जो अनुशंसित अनुदान का 82 प्रतिशत था, जबकि नगरीय निकायों को स्वीकृत अनुदान का 83 प्रतिशत निर्गत किया गया था। चूंकि 10वें वित्त आयोग का गठन 73वें और 74वें संशोधनों के लागू होने के एक वर्ष पहले हुआ था, इसलिए उसकी संदर्भ शर्तों (टीओआर) में स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों पर विचार करने की अपेक्षा नहीं की गई थी। तथापि इसने स्थानीय निकायों से संबंधित विभाज्य पूलों के 1.38 प्रतिशत के बराबर अनुदानों की अनुशंसा की थी, ताकि आयोग की पंचाट अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने में सहायता मिल सके।

11वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 10,000 करोड़ रुपये सहायता अनुदान स्वीकृत किया था जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 80 और 20 प्रतिशत था। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 8000 करोड़ रुपये में से केवल 6602 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने निर्गत किया था, जो अनुशंसित अनुदान का 83 प्रतिशत था, जबकि नगरीय निकायों को स्वीकृत अनुदान का 88 प्रतिशत निर्गत किया गया था।

12वें आयोग ने अनुशंसा की थी कि पंचायतों द्वारा अनुदानों का उपयोग जलापूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए किया जाना था। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई थी कि आधुनिक प्रोद्यौगिकी व प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग कर लेखाओं का रखरखाव व वित्तीय डेटाबेस के सृजन पर व्यय को उच्च प्राथमिकता देंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 12वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 25000 करोड़ रुपये सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 80 और 20 प्रतिशत था। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 20000 करोड़ रुपये में से केवल 18927 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने निर्गत किया था, जो अनुशंसित अनुदान का 95 प्रतिशत था, जबकि नगरीय निकायों को स्वीकृत अनुदान का 89.4 प्रतिशत निर्गत किया गया था।

13वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 87519 करोड़ रुपये सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 74 और 26 प्रतिशत था। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 64408 करोड़ रुपये में से केवल 58257 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने निर्गत किया था, जो अनुशंसित अनुदान का 91 प्रतिशत था, जबकि नगरीय निकायों को स्वीकृत अनुदान का 82 प्रतिशत निर्गत किया गया था। 13वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के दो घटक मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान थे। निष्पादन अनुदान का उपयोग करने हेतु आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए छह शर्तें और शहरी निकायों के लिए नौ शर्तें निर्दिष्ट की थी जिनको पंचाट के प्रत्येक वर्ष में पूरा किया जाना था।

14वें वित्त में अनुदानों की अनुशंसा दो भागों-शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान में की थी। ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशर्त निष्पादन अनुदान के बीच अनुपात 90:10 था, जबकि नगर निकायों के लिए यह अनुपात 80:20 था। मूल अनुदान का उपयोग निर्दिष्ट मौलिक नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के लिए किया जाना था, जबकि निष्पादन अनुदान राजस्व में सुधार के लिए था जिसके लिए मानदंड राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाने थे।

14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए कुल 287437 करोड़ रुपये सहायता अनुदान स्वीकृत किया था, जिसमें ग्राम पंचायतों और नगर निकायों का हिस्सा क्रमशः 70 और 30 प्रतिशत था। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित 200292 करोड़ रुपये में से केवल 183249 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने निर्गत किया था, जो अनुशंसित अनुदान का 91 प्रतिशत था, जबकि नगरीय निकायों को स्वीकृत अनुदान का 85 प्रतिशत निर्गत किया गया था। यद्यपि 13वें वित्त आयोग ने संविधान के भाग-IX एवं IX-ए से बाहर रखे गए क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद-244, 280 और 275 को ध्यान में रखते हुए 1357 करोड़ रुपये के अनुदान की अनुशंसा की थी, किंतु 14वें वित्त आयोग ने इन क्षेत्रों के लिए अनुदानों की अनुशंसा नहीं की थी। 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायातों के लिए 200292 करोड़ रुपये की सिफारिश की अर्थात् समुच्चय स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष

केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों हेतु अनुशंसित वित्तीय अंतरण (करोड़ रुपये)

केंद्रीय वित्त आयोग एवं पंचाट अवधि	ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी)		*शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)		कुल अनुशंसित वित्त	कुल निर्गत वित्त	कुल अनुशंसित आबंटन अनुपात आरएलबीः यूएलबी
	अनुशंसित वित्त	निर्गत वित्त	अनुशंसित वित्त	निर्गत वित्त			
दसवां (1995-2000)	4381	3576	1000	834	5381	4110	81:19
ग्यारहवां (2000-2005)	8000	6602	2000	1752	10000	8354	80:20
बारहवां (2005-2010)	20000	18927	5000	4477	25000	23397	80:20
तेरहवां (2010-2015)	64408	58257	23111	18980	87519	77237	74:26
चौदहवां (2015-2020)	200292	183249	87144	74259	287437	257508	70:30
पंद्रहवां (2021-2026)	236805	अनुपलब्ध	121055	अनुपलब्ध	436361*	अनुपलब्ध	66:34

*जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान 70051 करोड़ रु. और 8450 करोड़ रु. अन्य अनुदान भी शामिल है।

स्रोतः 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट, अध्याय-7, पृष्ठ-222 और पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, अध्याय-10

488 रुपये का अनुदान जारी किया गया। 14वें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) के दौरान राज्यों को 183249 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो 13वें वित्त आयोग की अवधि में जारी राशि से तीन गुना से भी अधिक थी।

वित्त वर्ष 2020-21 में स्थानीय ग्रामीण निकाय के लिए 15वें वित्त आयोग ने कुल अनुदान राशि 60,750 करोड़ रुपये तथा 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 236805 करोड़ रुपये अनुशंसित की है। 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशांसित यह अनुदान राशि ग्राम पंचायतों के लिए 70-85 प्रतिशत, खण्ड/मध्यवर्ती पंचायतों के लिए 10-25 प्रतिशत, जिला पंचायतों के लिए 5-15 प्रतिशत जबकि ग्राम और जिला पंचायत वाली द्वि-स्तरीय प्रणाली के राज्यों में यह वितरण ग्राम पंचायतों के लिए 70-85 प्रतिशत और जिला पंचायतों के लिए 15-30 प्रतिशत है। कोविड-19 महामारी की चुनौती को देखते हुए 15वें वित्त आयोग ने 70,051 करोड़ रुपये 'स्वास्थ्य अनुदान' के रूप में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए रखे हैं। स्थानीय निकायों द्वारा पूरी की जाने वाली संबंधित गतिविधियाँ के लिए 43,928 करोड़ रुपये ग्रामीण स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाएंगे। वर्ष 2020-21 के लिए आवंटन राशि 60,750 करोड़ रुपये में से 60,559 करोड़ रुपये (99.68 प्रतिशत) राज्यों को जारी किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिश पर मई, 2021 में 25 राज्यों को 15वें वित्त आयोग के प्राथमिक अनुदान की पहली किस्त के रूप में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 8924 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।

राज्य सरकार से प्राप्त सहायता - राज्य सरकार से पंचायतों को मिलने वाला बजट सहायता अनुदान के अंतर्गत आता है। पंचायतें काफी हद तक इसी अनुदान पर निर्भर हैं और यह सहायता अनुदान सरकार के पास उपलब्ध बजट पर निर्भर करता है। यह अनुदान पंचायतों को दो रूपों में मिलता है। एक तो सरकार के नैतिक दायित्वों व कार्या की पूर्ति से संबंधित सहायता जैसे कार्यालय व्यय, पंचायतकर्मियों के वेतन, भवन का किराया आदि के रूप में मिलती है और दूसरा, विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त होने वाला अंशदान जैसे जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, खडंजों, कच्चे मार्गों, पैदल पथों, गौशाला के निर्माण व रखरखाव आदि के लिए मिलता है। विकास योजनाओं के तहत पंचायती राज संस्थाओं को राज्य सरकार से दो मदों में सहायता मिलती है। एक तो केंद्र सरकार की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य के हिस्से के रूप में सहायता मिलती है और दूसरा, राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर क्रियान्वित किया जाता है, जैसे मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना आदि।

राज्य वित्त आयोग से प्राप्त संसाधन - संविधान के अनुच्छेद-243 आई, के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के प्रारंभ से एक वर्ष के भीतर और उसके पश्चात् प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग गठित करेगा, जो राज्य द्वारा अधिरोपित करों, शुल्कों और फीस की शुद्ध आय का राज्य और पंचायतों के बीच विभाज्य वितरण की अनुशंसा करेगा। आयोग सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच उनसे संबंधित हिस्से का आबंटन सुनिश्चित करेगा। वह उन करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण करेगा जो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं या विनियोजित किए जा सकते हैं। आयोग राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान भी स्वीकृत करेगा। आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय प्रस्तुत करेगा और राज्यपाल द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिए निर्दिष्ट किसी अन्य विषय या शर्तो पर भी अनुशंसा करेगा। हालांकि इस संवैधानिक प्रावधान के बावजूद सभी राज्यों ने राज्य वित्त आयोग (एसएफसी) का गठन नहीं किया है, कुछ राज्यों ने एक या दो बार आयोग गठित किया है तो अधिकांश राज्यों ने समय पर आयोग गठित नहीं किया है जिसके चलते पंचायतों के लिए धन का प्रवाह प्रभावित हुआ है।

सरकार से इतर संसाधन - यदि पंचायती राज संस्थाओं के पास ग्रामीणों के लिए लाभकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वित्त पोषण का स्त्रोत न हो या फिर आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए पंचायती राज संस्थाएं बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकती हैं। हालांकि ग्राम पंचायतों ने ऐसे संसाधनों का बहुत कम प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसे प्रावधान राज्यों के पंचायती राज

अधिनियमों में जिला स्तर पर दिए गए हैं। पंचायतें विकास में साझेदारी के लिए निजी क्षेत्र से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। वे निजी निवेश और सहयोग को आकर्षित कर सकती हैं। निगमित क्षेत्र ग्रामीणों के लिए विभिन्न सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालित कर सकता है। सार्वजनिक-निजी पंचायत साझेदारी प्रणाली अपनाकर भी पंचायतें संसाधन संग्रहित कर सकती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन जैसी गतिविधियों में पंचायतें स्थानीय स्तर पर निजी भागीदारी प्राप्त कर सकती हैं। पीआरआई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को भी आकर्षित कर सकती हैं। सीएसआर की अवधारणा में यह निहित है कि निगमित क्षेत्र पर्यावरण व सामाजिक कल्याण के प्रभाव का संज्ञान लेकर सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देता है।

पंचायतों के स्वयं के संसाधन - पंचायतों के पास अपने वित्तीय संसाधन दो प्रकार से उपलब्ध होते हैं जिसमें एक तो करों के माध्यम से संग्रहित वित्तीय संसाधन हैं और दूसरा, गैर-कर उपयों के माध्यम से अर्जित आय है। संविधान के अनुच्छेद-243एच, के अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा विहित विधि के तहत पंचायतें कर और शुल्क वसूलने के लिए अधिकृत होती हैं। यद्यपि राज्य विधानमंडल पंचायतों को सहायता अनुदान हेतु सिफारिशों के अतिरिक्त स्थानीय निकायों को करारोपण आदि के लिए अधिकृत करता है, लेकिन यह विधानमंडल के लिए एक समर्थकारी प्रावधान है अर्थात् अनिवार्य नहीं है कि इन्हें अक्षरशः लागू किया जाए। फिर भी पंचायतों को कई करारोपण अधिकार उपलब्ध हैं।

पंचायती राज अधिनियमों में स्थानीय निकायों के लिए उपलब्ध कर आय के स्त्रोतों में संपत्ति कर, विज्ञापन कर, मनोरंजन कर, व्यावसायिक कर, सेवा कर, कृषि कर, गैर-कृषि कर, भूमि कर, गृह कर, जल कर, स्वच्छता कर, तीर्थ कर, मेला कर, निर्माण कर, लोक कार्यों के लिए विशिष्ट कर, विशेष कर, सामुदायिक सेवा कर आदि शामिल हैं। हालांकि स्थानीय प्राथमिकताओं के हिसाब से पंचायतों के स्वयं के संसाधन बहुत सीमित रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के विकसित राज्य हरियाणा को लें तो इसके पांचवें एसएफसी की रिपोर्ट (सितंबर, 2017) के अनुसार 2015-16 में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का कर राजस्व केवल 2 करोड़ रुपये था, जो पीआरआई के कुल राजस्व का केवल 0.2 प्रतिशत था यानी राज्य में पीआरआई के कुल राजस्व में कर राजस्व का भाग एक प्रतिशत भी नहीं है। इसका मतलब कि पीआरआई अपने कार्यों के लिए एक प्रतिशत भी स्वायत्त नहीं है। यहां पीआरआई की स्वायातत्ता एक बड़ा मुद्दा है।

वित्त के विभिन्न संस्थागत स्त्रोतों के अलावा राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों में सूचीबद्ध पंचायतों के लिए गैर कर राजस्व आय के भी कई स्त्रोत हैं, जिनमें संपत्ति से आय, पट्टेदारों द्वारा कृषि गतिविधियों में प्रयुक्त सामान्य भूमि से आय, दुकानों और संपत्तियों से किराया, तालाबों और सार्वजनिक स्थलों से आय, सावधि जमा से ब्याज, सह-बाजारी, सेवा शुल्क, उपयोग कर, बेचे गए पशुओं पर पंजीकरण शुल्क, लाइसेंस शुल्क, पंजीकरण शुल्क, लघु खनिजों से रॉयल्टी आदि शामिल हैं। हालांकि ये स्त्रोत सभी पंचायतों में एक समान नहीं हैं। यह भी संज्ञान में आया है कि इन स्त्रोतों से पंचायतों को बहुत कम आय प्राप्त होती है और कुछ ग्राम पंचायतों के पास कोई गैर कर राजस्व आय नहीं है।

पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के स्त्रोतों से वित्त संग्रहण की सीमा ही उन्हें विकास गतिविधियों को संचालित करने की स्वायतत्ता प्रदान करती है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त वित्त का उपयोग पंचायतों को उन योजनाओं व कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही करना होता है जिसके तहत वित्त निर्धारित किए गए हैं या कहें कि पंचायतों के स्वयं के वित्त शर्तरहित प्रकृति के होते हैं, जबकि अन्य स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान शर्तबद्ध होते हैं। छत्तीसगढ़ के द्वितीय वित्त आयोग (2012-2017) ने पाया कि 2006 से 2011 के दौरान ग्राम पंचायतों की स्वअर्जित आय उनकी कुल प्राप्तियों का 2.25 प्रतिशत थी, यानी ग्राम पंचायतें मुख्यतः शासन से प्राप्त राजस्व व अनुदानों द्वारा ही सौंपे गए कार्यों को पूरा करती हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का जून, 2019 में प्रकाशित अध्ययन "भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन के सशक्तीकरण हेतु अंतर्सरकारी राजकोषीय योजना" राष्ट्रीय स्तर पर पंचायतों के सकल खर्च और स्वयं के खर्च की स्थिति को दर्शाता है। इसके 2012 से 2018 के आंकड़ों का औसत बताता है कि राज्यों में पंचायतों का व्यय 134330 करोड़ रुपये और पंचायतों के स्वयं के संसाधन 13769 करोड़ रुपये थे यानी पंचायतों के पास 120561 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल व्यय में पंचायतों के स्वयं के राजस्व का हिस्सा 10.30 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि पंचायतों द्वारा स्वयं से संसाधन संग्रहित करना बहुत कठिन है। इसलिए पंचायतों को अपने स्तर पर स्वायात्त संस्था नहीं कहा जा सकता है।

केंद्रीय वित्त आयोग को स्थानीय निकायों हेतु राज्यों की हिस्सेदारी के अलावा विभाज्य कर पूल के एक हिस्से का आबंटन करना चाहिए ताकि निकायों को कर राजस्व में उछाल का लाभ प्राप्त हो सके, जैसाकि 13वें वित्त आयोग ने आंशिक रूप से किया था। स्थानीय निकायों के कमजोर वित्तीय स्त्रोतों को देखते हुए उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संपत्तियों पर कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आयोग द्वारा अनुशंसित निष्पादन अनुदान सराहनीय है, क्योंकि इससे बेहतर निष्पादन करने वाले स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन पिछड़े क्षेत्रों को निष्पादन की शर्तों को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए निष्पादन आधारित अनुदान को स्थानीय निकायों द्वारा हरित ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा पहलों, विभिन्न सेवाओं के डिजिटलीकरण प्रावधान, लेखा परीक्षा आदि से लिंक किया जाना चाहिए। अनुदानों को कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए कठोरता से सीमित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निकायों को उनके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुदानों का उपयोग करने की छूट दी जानी चाहिए। अनुदानों का वितरण उन क्षेत्रों को भी किया जाए, जिनसे पंचायतों को स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की गई है, लेकिन उनकी भूमिका पंचायत प्रणाली से कम नहीं है।

संवैधानिक रूप से पंचायती राज प्रणाली को लागू हुए 30 वर्ष

हो चुके हैं, लेकिन कुछ राज्यों ने ही इसे निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया है और कुछ राज्यों ने तो केवल औपचारिकताएं पूरी की हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जो पंचायती राज प्रणाली को परिचालित करने वाला देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसने संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 कार्यों के सापेक्ष मात्र 16 कार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किए हैं। इसी तरह, कई ऐसे राज्य हैं, जिन्होने अनुसूची 11 के सभी 29 विषय पंचायतों को प्राधिकार सहित हस्तांतरित नहीं किए हैं। कई राज्यों में ग्रामीण निकायों को 29 विषय हस्तांतरित करने के बावजूद निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के प्रभावी प्रत्यायोजन का मामला अभी लंबित है। कमोबेश यही स्थिति एसएफसी की भी है। कई राज्यों अभी तक एक भी एसएफसी गठित नहीं किया है, कुछ राज्यों ने केवल एक या दो बार एसएफसी गठित किए हैं और जो एसएफसी गठित भी हुए हैं, वे समय से रिपोर्ट नहीं देते हैं। अतः स्थानीय निकायों से संबंधित अनुदान राज्यों को हस्तांतरित किए जाने हेतु एक अनिवार्य शर्त रखी जानी चाहिए कि एसएफसी अपनी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करें और जो राज्य संवैधानिक उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं, उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीआरआई को किया जाने वाला वित्तीय अंतरण रोंक देना चाहिए। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय को चाहिए कि वह समय-समय पर राज्यों द्वारा अनुपालित पीआरआई के सभी संवैधानिक उपबंधों को सत्यापित करे।

पंचायतों के अधिकारों व कर्त्तव्यों को स्पष्टता से परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे 11वीं अनुसूची के अनुसार कृषि को पंचायतों को दिए गए 29 विषयों में सम्मिलित किया गया है। कृषि अपने आप में एक व्यापक विषय है। यदि यह स्पष्ट हो कि कृषि के कौन से पक्ष पंचायतों के दायित्व हैं, तो उन्हें कृषि क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने में सहायता मिलेगी। स्थानीय निकायों को योजनाओं के क्रियान्वयन को जांचने व निरीक्षण का भी अधिकार होना चाहिए। स्थानीय निकायों के लिए आवंटित धन पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा निगमों के खाते में जाना चाहिए। इस धन को निकायों द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार ही खर्च किया जाना चाहिए, न कि किसी अन्य संस्था या राज्य की विकास एजेंसी द्वारा, क्योंकि अतिशय कार्यकारी हस्तक्षेप निकायों की विकासीय स्वायत्तता को बाधित करता है। इसलिए अनुदान जारी करने के लिए निकायों पर वित्त आयोग द्वारा आरोपित शर्तों के अलावा अन्य कोई भी शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। वैसे भी सरकारों को सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय कौशल विकास, मनोरंजन, सामुदायिक विकास, पेयजल, पोषण जैसे मामले नियोजन, अनुश्रवण, निगरानी के लिए स्थानीय संस्थाओं को सौंपने थे, लेकिन अफसरशाही ने इस विकेंद्रीकरण को बहुत बाधित किया है।

वित्त वह ईंधन है, जिससे पंचायती राज संस्थाओं के विकास का इंजन चलता है। सभी उपक्रम और क्रियाकलाप वित्त पर निर्भर हैं, इसलिए पंचायतों को संसाधनों का समुचित प्रबंधन करना चाहिए। उन्हें अपने सामान्य संपत्ति संसाधन जैसे तालाब, पंचायत भूमि, सार्वजनिक स्थल, ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमित भूमि को पहचान कर सूचीबद्ध करना चाहिए और आय सृजन के लिए उत्पादक उपयोग किया जाना चाहिए। पंचायतें किराए के लिए सार्वजनिक स्थल, दुकान आदि विकसित कर सकती हैं। इससे न केवल पंचायतों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि उत्पादों, ग्रामीण उद्यमों, हस्तशिल्प, आचार आदि स्थानीय उत्पादों के विपणन को भी बढ़ावा मिल सकता है। जहां तक संभव हो, पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं, विज्ञापन आदि प्रदान करके पर्यटक वाहनों, रेस्तरा शुल्क लगाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकती हैं। पंचायतें एकत्रित कचरे से खाद बनाकर उसे अतिरिक्त आय के लिए विपणन कर सकती हैं।

पिछले 30 वर्षों में पंचायती राज प्रणाली ने उपलब्धियों के कई मानक स्थापित किए हैं। पंचायती राज संस्थाओं को मज़बूत और अधिकार संपन्न बनाने हेतु किए गए उपायों के बेहतर परिणाम मिले हैं। पंचायतों ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई है। आज दुनिया के विकसित देश औपचारिक रूप से यह मानने को विवश हैं कि कैसे भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश में पंचायती राज के माध्यम से सत्ता को नीचे तक पहुँचाने का अद्भुत काम हुआ है। विश्व में सबसे ज़्यादा शोध यदि किसी एक प्रणाली पर हुआ है, तो वह भारत की पंचायती राज व्यवस्था है।

हमारी पीआरआई व्यवस्था ने न केवल शक्ति के विकेंद्रीकरण द्वारा सफल लोकतांत्रिक मॉडल को कायम किया है, बल्कि देश के विविधतापूर्ती समाज में जाति और लिंग के आधार पर सत्ता में भागीदारी की दृष्टि से भी इसने समानता के सिद्धांत को साकार किया है। मौजूदा करीब 2.6 लाख ग्राम पंचायतों में सत्ता की आधी बागडोर महिलाओं के हाथों में है और आरक्षण के अनुसार दलितों, आदिवासियों व पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या 80 फीसदी से ज़्यादा मानी जा रही है। यानी पंचायती राज ने सामाजिक समानता को मनोवैज्ञानिक स्तर पर स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाई है। हां, महिलाओं के मामले में अभी यह लक्ष्य प्राप्त होना शेष है। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था में 33 प्रतिशत सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है, लेकिन इससे भी आगे बढक़र 21 राज्यों ने महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं और अनेक जगह महिलाएं स्वयं भी सक्रिय हैं जिससे पुरुषों और स्त्रियों के बीच राजनीतिक विषयों पर बहस व विमर्श की वर्षों से कायम दूरियां घटी हैं।

अतः यदि पंचायत प्रणाली को वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जाए तो पर्याप्त वित्तीय संसाधनों से पंचायतें विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती हैं। इससे न केवल बेहतर आजीविका की तलाश में गाँवों से शहरों के लिए पलायन कर रहे ग्रामीणों का प्रतिस्थापन रुकेगा, बल्कि गाँव आर्थिक गतिविधियों व स्थानीय उद्यमिता का केंद्र बन सकते हैं। स्थानीय स्तर पर एक सक्षम स्वशासन, ग्राम स्वराज्य के माध्यम से आदर्श राज्य प्राप्त करने का साधन बन सकता है। ❑

सभी की सेहत के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र

-डॉ मनीषा वर्मा

एबी-एचडब्ल्यूसी का उद्देश्य लाभार्थियों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं की विस्तृत शृंखला उपलब्ध कराना है। इससे समुदाय के नज़दीक प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और व्यापकता का विस्तार हुआ है। इन सेवाओं को मुहैया कराने में आउटरीच सेवाओं, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, शिविरों तथा घर और समुदाय आधारित सेवा की मदद ली जाएगी।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की परिभाषा के अनुसार, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर किसी को जब और जहां ज़रूरत हो, तभी और वहीं बिना किसी आर्थिक परेशानी के हरेक तरह की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसमें सेहत में सुधार से लेकर रोगों की रोकथाम, उपचार, पुनर्वास और देखभाल तक सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। यूएचसी का उद्देश्य रोगों की रोकथाम तथा संपूर्ण स्वास्थ्य और आरोग्य प्राप्ति है। भारत में भी चिकित्सकीय और उपचारात्मक स्वास्थ्य से ध्यान रोगों की रोकथाम और सेहत में सुधार की ओर बढ़ रहा है। यूएचसी के दायरे में संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य शामिल है।

भारत में भी, क्लिनिकल और उपचारात्मक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के व्यापक दायरे को शामिल करते हुए निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य की हिमायत करता है और उसे बढ़ावा देता है।

यह बदलाव कैसे आया, इसे समझने के लिए कुछ साल पीछे जाकर देखने की ज़रूरत है। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा (सीपीएचसी) के लिए कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई। इस नीति में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को व्यापक और सभी के लिए रखा गया है। इसमें स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के ज़रिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा पैकेज मुहैया कराने की बात कही गई है। इस तरह यह अत्यंत सीमित से आगे बढ़ कर व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पैकेज की ओर महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाती है। इसमें वृद्धावस्था स्वास्थ्य सेवा, देखभाल और पुनर्वास सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इस नई नीति ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) की स्थापना की बुनियाद तैयार की है।

भारत सरकार ने फरवरी 2018 में 1.5 लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने की घोषणा की। इसके तहत मौजूदा उपकेंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एबी-एचडब्ल्यूसी में तब्दील किया जाना था। ये केंद्र नागरिकों को उनके घरों के नजदीक व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएंगे। इनमें मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा असंचारी रोगों का उपचार, मुफ्त अनिवार्य दवाएं और नैदानिक सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। 14 अप्रैल, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में पहले स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र का उद्घाटन किया था।

एबी-एचडब्ल्यूसी का उद्देश्य लाभार्थियों की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं की विस्तृत शृंखला उपलब्ध कराना है। इससे समुदाय के नज़दीक प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और व्यापकता का विस्तार हुआ है। इन सेवाओं को मुहैया कराने में पहुँच कार्यक्रमों, मोबाइल चिकित्सा इकाइयों, शिविरों तथा घर और समुदाय आधारित सेवा की मदद ली जाएगी। इस तरह ये एबी-एचडब्ल्यूसी सोच में बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह व्यवस्था स्वास्थ्य के प्रति

> स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र एक तरह से गरीबों के लिए पारिवारिक चिकित्सक के रूप में काम करेंगे। पहले सिर्फ मध्य और उच्च वर्गों के परिवारों के पारिवारिक चिकित्सक हुआ करते थे। ये आरोग्य केंद्र अब आपके विस्तृत परिवार का हिस्सा होंगे। ये आपके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़े होंगे।
>
> -प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

लेखिका अपर महानिदेशक (मीडिया) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं।
ई-मेल : pibhealth@gmail.com

एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए यूएचसी के भारत के लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करती है। इसने दृष्टिकोण को सामुदायिक ज़िम्मेदारी के साथ रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन की ओर मोड़ दिया है। नेशनल हेल्थ अकाउंट (एनएचए) के मुताबिक, कुल स्वास्थ्य खर्च (टीएचई) का 48 प्रतिशत ऑउट ऑफ पॉकेट खर्च (ओओपीई) है। पिछले कुछ वर्षों में ऑउट ऑफ पॉकेट खर्च में काफी कमी आई है इसके बावजूद गरीब जनता के लिए स्वास्थ्य देखभाल खर्च अभी भी बेहद ज़्यादा है।

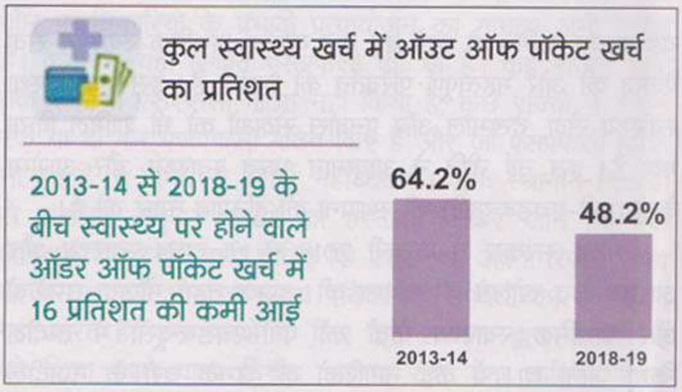

एबी-एचडब्ल्यूसी का एक उद्देश्य समुदायों के नज़दीक किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता के ज़रिए व्यक्तिगत खर्चों और कठिनाइयों को काफी हद तक घटाना भी है।

एबी-एचडब्ल्यूसी में स्वास्थ्य सेवाएं

एबी-एचडब्ल्यूसी सेवा डिलीवरी, मानव संसाधन, वित्त पोषण, अनिवार्य दवाओं और नैदानिकियों तक पहुँच, सामुदायिक भागीदारी, स्वामित्व और प्रशासन जैसे स्वास्थ्य क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में सुधारों को प्रतिबिंबित करते हैं। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में 10 फरवरी, 2023 तक 1,56,960 एबी-एचडब्ल्यूसी काम कर रहे थे।

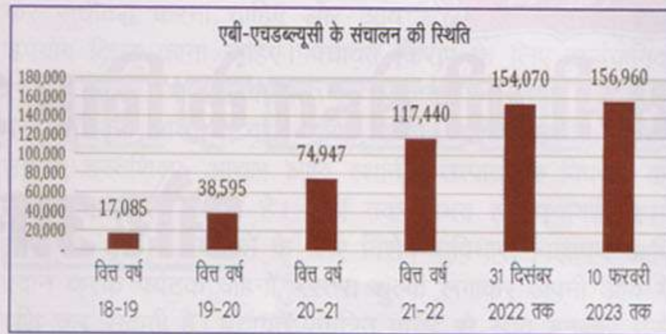

सक्रिय एबी-एचडब्ल्यूसी की संख्या

स्रोत : एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल 10 फरवरी, 2023 तक

सेवा पैकेज

एबी-एचडब्ल्यूसी में उपलब्ध कराए जाने वाले सेवा पैकेजों का विस्तार किया गया है। अब इनमें गर्भावस्था और जन्म, नवजात, शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, गर्भनिरोध तथा अन्य प्रजनन संबंधी सेवाओं को भी शामिल किया गया है। इनमें सामान्य संचारी रोगों, साधारण और मामूली बीमारियों (अस्पताल में भर्ती के बिना) के उपचार तथा असंचारी एवं तपेदिक और कुष्ठ जैसे संचारी रोगों की जांच, स्क्रीनिंग रोकथाम और प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है।

कुछ अन्य सेवाओं को भी एबी-एचडब्ल्यूसी में क्रमबद्ध ढंग से शामिल किया जा रहा है। इनमें मुंह, कान, नाक और गले की साधारण समस्याओं का उपचार भी शामिल है। इसके अलावा, मानसिक रोगों की जांच और बुनियादी प्रबंधन, बुजुर्ग और उपशामक स्वास्थ्य सेवा तथा जलने और आघात जैसी आपातकालीन सेवाओं को भी एबी-एचडब्ल्यूसी के दायरे में लाया जा रहा है।

स्रोत : एबी-एचडब्ल्यूसी पोर्टल 10 फरवरी, 2023

एबी-एचडब्ल्यूसी स्वस्थ जीवनशैली के ज़रिए असंचारी रोगों की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहे हैं। देशवासियों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 14 फरवरी, 2023 को विभिन्न राज्यों

और संघशासित क्षेत्रों के सभी 1.56 लाख एबी-एचडब्ल्यूसी पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। इन मेलों की एक प्रमुख विशेषता साइकिल रैलियां रहीं। हर राज्य ने इस दिन विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों का आयोजन किया।

महत्वपूर्ण घटक

एबी-एचडब्ल्यूसी के बुनियादी स्तंभों में रेफरल प्रणाली के ज़रिए प्राथमिक से द्वितीयक और तृतीयक स्तरों तक सेवा का प्रवाह बनाए रखना शामिल है। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत शृंखला, मानव संसाधन और उनका प्रशिक्षण तथा बहुकौशल विकास, औषधियों और नैदानिक उपकरणों की विस्तृत शृंखला, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा की डिलीवरी के लिए अवसंरचना तथा स्वास्थ्य संवर्धन और सामुदायिक भागीदारी गतिविधियों के विस्तार के साथ ही दूरचिकित्सा प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया गया है। पर्याप्त धन की व्यवस्था, सभी हितधारकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ठोस सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली तथा ज्ञान और सूचनाओं के प्रसार के वास्ते मज़बूत साझेदारी और नेटवर्क भी इनकी प्रभावशीलता के अभिन्न अंग हैं।

सामुदायिक भागीदारी

एबी-एचडब्ल्यूसी के स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को समुदायों के साथ मिल कर काम करना होता है। वे व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को ज्ञान और कौशलों की जानकारी देकर अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम बनाते हैं। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य संवर्धन को 'आरोग्य' का अनिवार्य पहलू माना गया है। एबी-एचडब्ल्यूसी अंतर वैयक्तिक संचार तथा सोशल मीडिया समेत विभिन्न माध्यमों के ज़रिए स्वास्थ्य ज्ञान में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार, योग, व्यायाम, तंबाकू की लत से निजात तथा लंबी बीमारियों की स्थिति में खुद देखभाल से संबंधित जानकारियों के प्रसार में इन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। जन आरोग्य समिति और स्वयंसहायता समूह जैसी संस्थाएं तथा रोगी मिल कर एबी-एचडब्ल्यूसी टीमों के सामुदायिक स्वामित्व और उनकी जवाबदेही को संभव बनाते हैं। जन आरोग्य समितियों में स्थानीय निकायों और पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

मुफ्त अनिवार्य दवाओं और नैदानिक सेवाओं तक पहुँच

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर दवाओं के वितरण के लिए एबी-एचडब्ल्यूसी केंद्र के तौर पर काम करते हैं। वे दवाओं की निर्बाध उपलब्धता के ज़रिए यह सुनिश्चित करते हैं कि उपचार में व्यवधान नहीं आए। वे रोगियों को उनके घरों के नज़दीक दवाएं उपलब्ध कराके उनकी कठिनाइयों को घटाते हैं। पीएचसी-एबी-एचडब्ल्यूसी पर आवश्यक दवाओं की संख्या को बढ़ा कर 171 कर दिया गया है। इसी तरह इन केंद्रों पर अब 63 आवश्यक नैदानिक सेवाएं उपलब्ध हैं। एबी-एचडब्ल्यूसी के अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) पर इन्हें बढ़ाकर 105 आवश्यक दवाएं और 14 आवश्यक नैदानिक सेवाएं कर दिया गया हैं।

मज़बूत सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियां

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को स्मार्टफोन प्रदान किए गए हैं। इसी तरह, बहु-उद्देश्यीय कार्यकर्ताओं और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) को टैबलेट फोन देने का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदत्त सेवाओं और उनके परिणामों के सभी व्यक्तिगत रिकॉर्डों का पंजीकरण संभव होने से सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है। अब इलाज जारी रखने और फॉलोअप जांच के लिए रोगी तक उसके घर या समुदाय के स्तर पर पहुँचा जा सकता है।

आयुष्मान भारत के अंतर्गत सेवा की निरंतरता

दूरपरामर्श सेवाएं

एबी-एचडब्ल्यूसी दूरपरामर्श सेवाएं मुहैया कराते हैं। एसएचसी-एचडब्ल्यूसी के सीएचओ से लेकर पीएचसी-एचडब्ल्यूसी के चिकित्सा अधिकारी तक द्वितीयक और तृतीयक केंद्रों के विशेषज्ञों से उच्च-स्तरीय परामर्श ले सकते हैं। इससे रोगियों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ता और उनके खर्चों और कठिनाइयों में कमी आती है।

स्वास्थ्य और आरोग्य दूत तथा संदेशवाहक

एबी-एचडब्ल्यूसी की गतिविधियों में स्कूल स्तर की स्वास्थ्य गतिविधियां भी शामिल हैं। हर स्कूल में शिक्षकों को स्वास्थ्य और आरोग्य दूत के तौर पर काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी तरह, छात्रों को भी स्वास्थ्य और आरोग्य संदेशवाहक के तौर पर तैयार किया जा रहा है। किशोर उम्र में अक्सर जोखिम उठाने की आदत पड़ जाती है। इस पहल से स्कूली छात्रों में स्वस्थ आदतों को विकसित करने में मदद मिलेगी। नतीजतन छात्र कम उम्र में ही स्वस्थ आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे और आगे के जीवन में दीर्घकालिक रोगों से बच सकेंगे।

एबी-एचडब्ल्यूसी को क्यों 'गेमचेंजर' के रूप में देखा जा रहा है?

एबी-एचडब्ल्यूसी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में 'गेमचेंजर' क्यों माना जा रहा है? इस प्रश्न का उत्तर उपलब्ध साक्ष्यों से मिलता है। एबी-एचडब्ल्यूसी की स्थापना से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सीमित थी। इसमें आमतौर पर प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं तथा संचारी रोगों को ही रखा गया था। इस तरह स्वास्थ्य सेवा की सिर्फ 20 प्रतिशत जरूरतें ही पूरी हो पाती थी। अब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में दीर्घकालिक रोगों और असंचारी बीमारियों को भी शामिल कर लिया गया है। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होने की वजह से द्वितीयक स्तर पर भीड़ हो जाती थी। एबी-एचडब्ल्यूसी से प्राथमिक स्तर पर ही ज़्यादा मामलों का समाधान हो जाता है। इससे द्वितीयक और तृतीयक स्तर की सुविधाओं में भीड़भाड़ घटाने में मदद मिली है।

> “हाल ही में ई-संजीवनी पर दूरपरामर्श की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कर इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए कहा- "10,00,00,000 टेली-कंसल्टेशन एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उन सभी डॉक्टरों की सराहना करता हूँ जो भारत में डिजिटल हेल्थ इको-सिस्टम बनाने में सबसे आगे हैं।"”

एबी-एचडब्ल्यूसी शुरू होने से पहले प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने वालों को दूरचिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एबी-एचडब्ल्यूसी ने ई-संजीवनी जैसे दूरपरामर्श/दूरचिकित्सा प्लेटफॉर्मों के ज़रिए एक व्यापक नेटवर्क और रेफरल शृंखला उपलब्ध करायी है। रिपोर्टिंग और दस्तावेज़ीकरण पहले हाथ से किया जाता था। इससे रिकॉर्डों के दोहराव की आशंका रहती थी। साथ ही, खासतौर से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों समेत कर्मचारियों पर काम का बोझ भी ज़्यादा रहता था। एबी-एचडब्ल्यूसी का सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म मानक डिजिटल स्वास्थ्य रिकार्ड, देखभाल के सभी स्तरों पर सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह तथा सेवा की सततता सुनिश्चित करता है।

साथ ही, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं में पहले आरोग्य पर सीमित ध्यान दिया गया था। अब योग समेत आरोग्य गतिविधियों को स्वास्थ्य सेवा की डिलीवरी प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल कर लिया गया है। एबी-एचडब्ल्यूसी में योग गुरुओं की सक्रिय भागदारी सुनिश्चित की गई है।

निष्कर्ष

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को यूएचसी के लिए प्रभावी और संवहनीय स्वास्थ्य प्रणाली की बुनियाद के रूप में व्यापक स्वीकृति मिली है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-3 के केंद्र में रखा गया है। यह हर किसी की जरूरत के वक्त बिना किसी आर्थिक परेशानी के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच के महत्व को रेखांकित करता है। एबी-एचडब्ल्यूसी के ज़रिए निचले स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण अनेक दीर्घकालिक और असंचारी रोगों के कारण अस्वस्थता और मृत्यु घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा मिलेगा और जिला/राज्य-स्तरीय अस्पतालों में रोगी की जेब से होने वाले खर्च में कमी आएगी। साथ ही, जिला और राज्य स्तर के अस्पतालों पर मरीजों का बोझ भी घटेगा। इस तरह, एबी-एचडब्ल्यूसी सार्वभौमिक जन स्वास्थ्य कवरेज का एक अभिन्न अंग है। ❑

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

देश के सबसे बड़े सरकारी प्रकाशन समूह संग व्यापार का अवसर

हमारी लोकप्रिय पत्रिकाओं और साप्ताहिक रोज़गार समाचार की विपणन एजेंसी लेकर सुनिश्चित करें आकर्षक नियमित आय

विपणन एजेंसी मिलना... मतलब

- ✓ असीमित लाभ
- ✓ निवेश की 100% सुरक्षा
- ✓ स्थापित ब्रांड का साथ
- ✓ पहले दिन से आमदनी
- ✓ न्यूनतम निवेश-अधिकतम लाभ

रोज़गार समाचार के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-1000	25%
1001-2000	35%
2001-अधिक	40%

मासिक पत्रिकाओं के एजेंसी धारकों के लिए लाभ

प्रतियों की संख्या	खुदरा मूल्य में छूट
20-250	25%
251-1000	40%
1001-अधिक	45%

विपणन एजेंसी पाना बेहद आसान

- किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं
- कोई व्यावसायिक अनुभव जरूरी नहीं
- खरीद का न्यूनतम तीन गुना निवेश (पत्रिकाओं हेतु) अपेक्षित

सम्पर्क

रोज़गार समाचार
फोन: 011-24365610
ई-मेल: sec-circulation-moib@gov.in

पत्रिका एकक
ई-मेल: pdjucir@gmail.com
फोन: 011-24367453

पत्र भेजें : रोज़गार समाचार, कक्ष संख्या-779, 7वां तल, सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कुल पृष्ठ : 56
आई.एस.एस.एन. 0971-8451
प्रकाशन की तिथि: 1 अप्रैल 2023
डाक द्वारा जारी होने की तिथि : 5-6 अप्रैल, 2023

R.N.I/708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2021-23
Licenced under U (DN)-54/2021-23
to Post without pre-payment at R.M.S. Delhi.
DL(DS)-49/MP/2022-23-24 (Magazine Post)

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारत 2023

भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों, भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की आधिकारिक जानकारी देने वाला वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

मोटे अनाजों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष 2023

ऑर्डर के लिए संपर्क करें :
फोन : 011-24367260
ई-मेल : businesswng@gmail.com
हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए
कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार
सूचना भवन, सी जी ओ कॉम्पलेक्स,
लोधी रोड नई दिल्ली -110003
वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीर्घा में पधारें

@publicationsdivision @DPD_India @dpd_India

प्रकाशक और मुद्रक: अनुपमा भटनागर, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
मुद्रक : संदीप प्रेस, सी105/2, इंडस्ट्रीयल एरिया फेस-1, नारायणा, नई दिल्ली-110028
वरिष्ठ संपादक: ललिता खुराना